अध्याय—दो

अध्याय – दो

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करके जरूरतमंद उद्यमियों को भूमि आवंटन के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में उद्योगो तथा औद्योगिकारण को बढ़ावा देने तथा विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड/मध्य प्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फेसीटीटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के रूप में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (औ.के.वि.नि.) भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर को क्रमशः नवम्बर 1987, नवम्बर 1981 एवं नवम्बर 1981 के दौरान स्थापित किया।

प्रारंभ से मार्च 2014 तक वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19032.60 एकड़ भूमि अधिगृहित की तथा बिना किसी मूल्य के तीनों औ.के.वि.निगमों (भोपाल 6472.59 एकड़, इन्दौर 10230.49 एकड़ और जबलपुर 2329.52 एकड़) को आवंटित की । 2009 से 2014 के मध्य इन औ.के.वि.निगमों ने ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹ 242.33 करोड़ खर्च किये एवं 876 आवंटियों को 1750.31 एकड़ भूमि आवंटित कर ₹ 414.82 करोड़ अर्जित किये ।

उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर औद्योगिक संवर्धन नीति तथा साथ ही आवंटन नियमों/दिशा निर्देशों की भी घोषणा करती रही है । जिसका कि औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि आवंटन प्रक्रिया एवं आवंटियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पालन करना होता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा सात औ.के.वि.निगमों में से तीन जो कि भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर को समाहित करते हुए किया गया ।

औ.के.वि.नि., भोपाल

अधिगृहित भूमि का विकास न हो पाने के कारण औ.के.वि.नि. में आवंटन प्रक्रिया धीमी हुई ।

औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि अधिगृहित करने विकसित करने एवं आवंटित करने के परिपेक्ष्य में कोई कार्पोरेट/वार्षिक योजनाऐं नहीं बनाई गई।

औ.के.वि.नि. ने ₹ 9.74 करोड़ मूल्य की 18.50 एकड़ भूमि का कब्जा, समझौते की शर्तो के विरूद्ध एक रियायतग्राही को मण्डीदीप में लॉजिस्टिक हब के विकास के लिए प्रदान किया एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया ।

औ.के.वि.नि. ने चार आवंटियों जिन्होंने निर्धारित समय में अपने मेगा परियोजना की स्थापना तथा न्यूनतम स्थायी पूँजी का निवेश नहीं किया, से राशि ₹ 1.22 करोड़ ब्याज सहित रियायत राशि वसूली नहीं की ।

औ.के.वि.नि. ने एक आवंटी की इकाई में अंशधारिता/गठन में परिवर्तन के बावजूद हस्तांतरण शुल्क तथा विकास शुल्क की राशि ₹ 4.56 करोड़ की वसूली नहीं की ।

औ.के.वि.नि. द्वारा एक आवंटी से भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर के दिशा निर्देशों पर निर्धारित मूल्य से कम मूल्य आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.91 करोड़ मूल्य के राजस्व की हानि हुई ।

औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि के प्रचलित मूल्य एवं अतिरिक्त प्रब्याजी को आरोपित न करने के कारण ₹ 1.40 करोड़ कि राजस्व की हानि हुई ।

औ.के.वि.नि. इन्दौर

क्रिस्टल आई.टी. पार्क इन्दौर का सिविल कार्य दिसम्बर 2004 संभावित पूर्णता एवं अनुमानित व्यय ₹ 55.57 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2014 में ₹ 118.47 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ।

औ.के.वि.निगम ने अनुचित तरीके से प्राईम लोकेशन भू–खण्डों के 21 आवंटियों से मेगा प्रोजेक्टों की स्थापना के लिये पट्टा प्रब्याजी पर छूट देने के लिये छूट नीति में विचलन करते हुये अतिरिक्त भूमि पर प्रब्याजी की राशि ₹ 2.92 करोड़ की छूट दी ।

औ.के.वि.नि. ने 11 आवंटियों से जिन्होने समय रहते अपने मेगा प्रोजक्ट के न्यूनतम स्थाई पूँजी का निवेश नहीं किया, ब्याज सहित रियायत की राशि ₹ 10.39 करोड़ वसूल नहीं की ।

औ.के.वि.नि. के पास भूमि के उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण खण्ड के प्रवर्तन की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है ।

आवंटन नियमों/विकास शुल्क आरोपित करने के निर्णय के विलम्ब से कार्यान्वयन के कारण ₹ 6.92 करोड़ मूल्य की हानि हुई ।

रख रखाव शुल्क को निर्धारित मानक 2 प्रतिशत से कम निर्धारित करने के कारण 134 आवंटियों से ₹ 48.85 लाख की हानि हुई ।

औ.के.वि.नि. जबलपुर

औ.के.वि.नि. द्वारा लेनदेन सलाहकार की राय के विरूद्ध एवं सह विकासकर्ता को खोजे बगैर, एस.ई.जेड. हरगड़ के विकास पर ₹ 5.23 करोड़ खर्च किये ।

औ.के.वि.नि. ने तीन आवंटियों को पात्र सीमा से अधिक एवं औद्योगिक परिसर के बाहर अनियमित रूप से आवासीय उपयोग के लिए जमीन आवंटित की ।

औ.के.वि.नि. द्वारा 15 आवंटियों से अतिरिक्त प्रब्याजी आरोपित न करने एवं 8 हस्तांतरिणियों से विकास शुल्क न वसूलने के कारण ₹ 45.48 लाख की राजस्व की हानि हुई।

परिचय

2.1.1 औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करके जरूरतमंद उद्यमियों को भूमि आवंटन के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में उद्योगों तथा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने वाणिज्यि, उद्योग तथा रोजगार विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, (औकेविनि) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन तथा सागर का निगमन मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के तौर पर किया।

मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशों तथा निवेश प्रारूप में परिवर्तन के कारण सभी औ.के.वि.नि. मध्य प्रदेश ट्रेड एवं इंवेस्टमेंट फैसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड (ट्राइफेक) की सहायक कम्पनियाँ 2011–12 से 2013–14 के दौरान बन गई।

वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग औद्योगिकीकरण हेतु आवश्यक भूमि को अधिग्रहित करता है तथा औ.के.वि.निगमों को निःशुल्क आवंटित करता है । मार्च 2014 तक 28419.51 एकड भूमि अधिग्रहीत तथा सातों औ.के.वि.निगमों (भोपाल 6472.59 एकड़, इन्दौर–10230.49 एकड़, जबलपुर–2329.52 एकड़, रीवा–1842 एकड़, उज्जैन–643.11 एकड़, सागर–887.60 एकड़, तथा ग्वालियर–6014.20 एकड़) को आंवटित की गयी थी । आंवटियों से एकत्रित प्रब्याजि (भूमि की लागत) मध्य प्रदेश सरकार को देय होती है ।

उद्योगो को प्रोत्साहन देने हेतु मध्यप्रदेश सरकार समय–समय पर उद्योग संवर्धन नीति (आई.पी.पी.) की घोषणा करती है (2004 संधोधन 2007, 2010 एवं 2012 में), जो कि राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए विकास तथा आधारभूत संरचना के उन्नयन का सम्पूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है उपरोक्त नीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार लघु, मध्यम तथा वृहद उद्योगो, मेगा प्रोजेक्टों तथा महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा औ.के.वि.नि. हेतू भूमि आवंटन तथा आवंटियों के द्वारा प्रोजेक्टो के क्रियान्वयन हेतु पालन किए जाने वाले नियमों/मार्गदर्शिकाओं तथा प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए आंवटन नियमों (1974 संशाधित 2008) को भी बनाया गया था ।

जैसा कि बनाए गए आवंटन नियमों/मार्गदर्शिकाओं तथा प्रक्रियाओं के गैर–अनुपालन के कारण औ.के.वि.निगमों को राजस्व तथा राज्य के कोष को हानि का जोखिम था, अतः सात में से तीन औ.के.वि.निगमों (भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर) के गतिविधियों पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा करवाने की आवश्यकता हुई ।

औ.के.वि.निगमों का निगमन नवम्बर, 1987 (औ.के.वि.नि., भोपाल) तथा नवम्बर, 1981 (औ.के.वि.निगमों, इन्दौर तथा जबलपुर) के दौरान हुआ । 2009–14 के दौरान भूमि के अधिग्रहण, आवंटन, विकास पर किया गया व्यय, पट्टा प्रब्याजि इत्यादि तथा कमाए गए शुद्ध लाभ इत्यादि का विवरण नीचे सारणीबद्ध है :

औ.के.वि.नि. का नाम	अधिगृहित भूमि (एकड़ में)	विकास पर व्यय (₹ करोड़ में)	आंवटित भूमि		प्रब्याजि इत्यादि (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़)
			आंवटनों की संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)		
भोपाल	3137.50	77.20	205	607.11	99.20	9.03
इन्दौर	1847.36	115.61	437	769.60	289.76	100.26

जबलपुर	736.00	49.52	234	373.60	25.86	4.22
योग	**5720.86**	**242.33**	**876**	**1750.31**	**414.82**	**113.51**

औ.के.वि.नि. का प्रबंधन संचालक मण्डल में समहित होता है जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक का नेतृत्व होता है । प्रबंध संचालक औ.के.वि.नि. का मुख्य कार्यकारी होता है तथा उसे मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधको, कार्यकारी यांत्रियों तथा लेखा अधिकारियों द्वारा क्रमशः विकास, तकनीकी तथा लेखा अनुभागों में सहायता दी जाती है ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.2 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था किः

- भूमि के अधिग्रहण, विकास तथा आंवटन के लक्ष्य, आधारभूत संरचना के निर्माण तथा औद्योगिक विकास के उद्देश्य के अनुसार बने है;
- भूमि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी थी, आवंटन नियमों तथा विनियमों, मार्गदर्शिकाओं का एक समान रूप से लागू किया गया; तथा
- भूमि का मूल्यांकन/पट्टा प्रब्याजि/विकास शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया तथा संधारण शुल्क/भू–भाटक समय पर वसूल किए गए ।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.3 हमने लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्न स्त्रोतों को अपनायाः

- मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट तथा भूमि आवंटन) नियम, 1974 (आवंटन नियम, 1974) तथा मध्यप्रदेश राज्य औद्यागिक भूमि तथा औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 (आवंटन नियम 2008);
- मध्यप्रदेश सरकार/मध्यप्रदेश राज्य औद्यागिक विकास निगम लिमिटेड तथा औ.के.वि.निगमों के अधिग्रहण, आवंटन तथा प्रब्याजि, भू–भाटक, विकास शुल्क इत्यादि के लिए निर्धारण हेतु जारी निर्णय, आदेश तथा नीति निर्देशिकाएं;
- अनुबंधों के नियम और शर्ते/विकासकर्ताओं के साथ किए गए समझौता ज्ञापन/मध्यप्रदेश सरकार तथा भूमि आवंटन की नियम और शर्ते; तथा
- मध्यप्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा घोषित की गयी औद्योगिक नीति तथा योजना निर्देशिकाएं तथा संचालक मण्डल के निर्णयों, निर्देशों तथा समय–समय पर जारी परिपत्र।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2.1.4 औ.के.वि.निगमों के द्वारा आधारभूत सुविधाओं के निर्माण तथा विकास पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी तथा 31 मार्च 2005 को अंत हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्य) में शामिल की गयी थी, जिस पर अक्टूबर 2007 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति में चर्चा हुई थी तथा अनुशंसाए अभी तक (अक्टूबर 2014) नहीं प्राप्त हुई । सात में से तीन औ.के.वि.निगमों को समाविष्ट करते हुए आवंटन तथा आधारभूत संरचना विकास गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी । हमारे अंकेक्षित नमूनों में 2009–14 के दौरान 876 आंवटनों में से 341 आवंटन (भोपल–91, इन्दौर–152 तथा जबलपुर–98 यथा 38 प्रतिशत) 1750.31 एकड़ आवंटित कुल भूमि में से 1173 एकड़ भूमि समाहित करते हुए बनाया गया था ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा क्षेत्र की शासकीय/ औ.के.वि.नि. को मई 2014 में हुए एन्ट्री कान्फ्रेंस में व्याख्या की गयी थी । निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल तथा जुलाई

2014 के औ.के.वि.निगमों मध्यप्रदेश सरकार/वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग और राजस्व प्राधिकरणें द्वारा जारी अधिसूचना तथा आदेशों को समाविष्ट करते हुए, विकास तथा प्रत्येक प्रोजेक्ट/योजना के कार्यान्वयन एवं विकास संबंधि अभिलेख, औ.के.वि. निगमों के संचालक मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करते हुए की गयी ।

लेखापरीक्षा में निकाले गए निष्कर्षो को मध्यप्रदेश सरकार तथा औ.के.वि.निगमों को सूचित (सितम्बर 2014) किया गया था तथा औ.के.वि.निगमों इन्दौर तथा औ.के.वि.निगमों भोपाल तथा जबलपुर के लिए सरकार के उत्तर नवम्बर, 2014 के दौरान प्राप्त हुए । प्रारूप प्रतिवेदन पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग) और औ.के.वि. निगमों के प्रबंध संचालकों के साथ 22 नवम्बर 2014 को हुए निकास सम्मेलन में चर्चा की गयी और सरकार/औ.के.वि.निगमों के विचार समुचित रूप से शामिल किए गए ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.5 औ.के.वि. निगमवार लेखापरीक्षा के दौरान भूमि आवंटन तथा आवंटियों द्वारा प्रोजेक्ट के क्रियान्वन में पायी गयी लेखापरीक्षा निष्कर्ष/कमियों तथा विचलन आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, भोपाल

2.1.6 औ.के.वि.नि. औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों या किसी अन्य प्रकार के औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक क्लस्टर/भवन इत्यादि के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं है, अपितु वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश सरकार से अपनी सम्पूर्ण भूमि बैंक निःशुल्क प्राप्त करते है । भूमि अधिग्रहण के उपरांत आधारभूत संरचना का विकास तथा सामान्य सुविधाओं का निर्माण सड़क का निर्माण, जलापूर्ति का प्रावधान, विद्युतीकरण, सामान्य उपयोग भवन इत्यादि का कार्य औ.के.वि.नि. के निर्माण इकाई द्वारा किया जाता है तथा परिस्थितिनुसार भूखण्ड बनाए जाते है ।

औ.के.वि.नि. ने जून 2009 तक आवंटन नियम, 1974 के अनुसार आवंटन प्रक्रिया अपनायी थी तथा जुलाई, 2009 से आवंटन नियम, 2008 अपनाए गए थे । औ.के.वि. नि. की समन्वय तथा समीक्षा समिति अध्यक्ष (प्रबंध संचालक, ट्राइफेक) तथा औ.के.वि. नि. के प्रबंध संचालकों (सदस्यों) को शामिल करते हुए, भी मूल्य निर्धारण, विकास शुल्क इत्यादि पर मार्गदर्शिकाएं तथा औ.के.वि.नि. द्वारा मांगे जाने पर समय–समय पर स्पष्टीकरण जारी करती है ।

औ.के.वि.नि., भोपाल द्वारा भूमि विकास तथा आवंटन

2.1.7 मार्च 2014 तक औ.के.वि.नि. ने प्रारम्भ से 6472.59 एकड़ भूमि आधिगृहित की । 2009–14 के दौरान, औ.के.वि.नि. ने मध्य प्रदेश सरकार से 3137.50 एकड़ भूमि आधिगृहित की और समस्त आधिगृहित भूमि विकासरत् थी । औ.के.वि.नि. ने औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केन्द्रों में 2009–14 के दौरान आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ₹ 77.20 करोड़ व्यय किए। औ.के.वि.नि. ने 607.11 एकड़ विकसित तथा अविकसित दोनो प्रकार की भूमि 205 आवंटियों को आवंटित की तथा ₹ 99.20 करोड़ प्राप्त किये । 2009–14 के दोरान एक वर्षवार अधिग्रहण तथा आवंटन की रूपरेखा ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दी गयी है ।

पर्याप्त विकसित भूमि की उपलब्धता नहीं होने से आवंटनों की रफ्तार धीमी हुई

परिशिष्ट 2.1.1 से यह भी देखा जा सकता है कि औ.के.वि.नि. में 2009–10 तथा 2010–11 के बाद आवंटनों की संख्या तथा आवंटित क्षेत्र में प्रबल गिरावट आई है । 2010–11 से 2013–14 के दौरान आवंटनों की संख्या 72 से गिरकर 29 हो गयी तथा आवंटित भूमि भी 248.60 एकड़ से गिरकर 147.62 एकड़ हो गयी । हमने पाया कि

आवंटनों की गति औ.के.वि.नि. के द्वारा प्राप्त भूमि के विकास न होने के कारण धीमी हो गयी ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, औ.के.वि.नि.ने कहा (नवम्बर 2014) कि विकसित भूमि की अनुपलब्धता के कारण, भूमि आवंटन धीमे हो गए है तथा नए औद्योगिक क्षेत्र भावी आवंटनों के लिए अब विकसित किए जा रहे है ।

हमने यह भी पाया कि 42.63 एकड़ ₹ 18.29 करोड़ मूल्य की भूमि झुग्गियों/स्थानियों के द्वारा बारह वर्षो से अधिक समय से अनाधिकृत अतिक्रमण में थी तथा बेदखली का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

परिप्रेक्ष्य/निगमित योजनाओं का निर्माण न होना

2.1.8 औ.के.वि.नि. लघु अवधि तथा दीर्घावधि दोनो प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण करने हेतु किसी प्रकार के परिप्रेक्ष्य/निगमित तथा वार्षिक योजनाएं नहीं बनाता है तथा औ.के.वि.नि. से प्राप्त की गयी तथा विकसित/विकासशील औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिए लक्ष्यनिर्धारित करने की कोई नीति तथा प्रथा नहीं है अतः लेखापरीक्षा लक्ष्यों के संदर्भ में उपलब्धि निर्धारित नहीं कर सकता है ।

औ.के.वि.नि. में जमीन अधिग्रहण, विकास व आवंटन की निर्मित योजनाऐं बनाने के लिए कोई तंत्र नहीं था

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में तीन चरणों (2011–12 से 2016–17) में 27 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय (जनवरी 2012) लिया । तीन औद्योगिक पार्को यथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अचारपुरा, औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा, तथा औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, औ.के.वि.नि. भोपाल द्वारा प्रथम चरण (2011–12 और 2012–13) में पूर्ण होना प्रस्तावित थे, अधिक मांग होने के बावजूद भी पूर्ण होना बकाया थे जैसा कि औ. के.वि.नि. ने 58 आवेदकों से ₹ 1.12 करोड़ (अचारपुरा–141 प्लाट) तथा 244 आवेदकों से ₹ 7.15 करोड़ (बगरौदा–347 प्लाट) तथा एक (औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा) का विकास न्यायालय के ठहराव आदेश को ध्यान में रखते हुए रूका था ।

सरकार भविष्य में परिप्रेक्ष्य तथा निगमित योजना का निर्माण करने के लिए सहमत (नवम्बर 2014) हो गयी ।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि./सरकार को औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास हेतु परिप्रेक्ष्य/निगमित योजाए बनानी होगी ।

मण्डीदीप में लॉजिस्टिक हब का कार्यान्वयन न होना

2.1.9 जरूरतमंद उद्यमियों को पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु औ.के.वि.नि. भोपाल ने ''निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा स्थानांतरण'' आधार पर मण्डीदीप में एक लाजिस्टिक हब के विकास का प्रस्ताव (2008) किया तथा एक रियायत अनुबंध पर (जुलाई, 2009) सर्वोच्च बोलीकर्ता/रियायतग्राही (₹ 3.06 करोड़ तीन वार्षिक किस्तों में देय) के साथ ₹ 1.02 करोड़ की प्रथम किस्त की प्राप्ति पर शामिल हुई । भूमि का भौतिक स्वामित्व (12.25 एकड़ तथा 6.25 एकड़) रियायतग्राही को 29 जनवरी 2010 को अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन में सौंपा गया तथा 6.25 एकड़ का पटटाविलेख पंजीकृत किया गया (अक्टूबर 2010)/अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को अनुबंध की तिथि में 30 दिनों के अंदर वित्तीय संवरण प्राप्त कर लेना होगा तथा प्रोजेक्ट दो वर्षो में पूर्व कर लेना होगा ।

हमने पाया कि:

अनुबंध की शर्तो के विरूद्ध रियायतकर्ता को 18.50 एकड़ भूमि तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया

- रियायतग्राही ने वित्तीय संवरण प्राप्त नहीं किया तथा बोली प्रब्याजि, भूभाटक इत्यादि का अनुबंध के निष्पादन के उपरांत भुगतान करने में चूक भी की और आज तक (अक्टूबर 2014) प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में भी असफल रहा । औ.के.वि.नि. ने वित्तीय संस्थाओं को भूमि बंधक बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (अगस्त/अक्टूबर 2010) पट्टाविलेख पंजीयन के पूर्व जारी किए गए थे, जो कि रियायतकर्ता को अनुचित अनुग्रह के प्रसार के समान है।

- औ.के.वि.नि. बैंक गारंटी (₹ 50 लाख) का नगदीकरण करने में असफल रहा जैसा कि रियायतग्राही प्रब्याजि की द्वितीय किस्त (₹ 1.02 करोड़) का भुगतान करने में असफल रहा।

औ.के.वि.नि. समय पर बैंक गारन्टी के ₹ 50 लाख भुनाने में असफल रहा

- रियायतग्राही द्वारा की गयी चूकों के बावजूद, औ.के.वि.नि. समय पर अनुबंध को समाप्त करने तथा भूमि का अधिपत्य वापस लेने की कार्यवाही करने में असफल रहा। इसने न सिर्फ लाजिस्टिक हब के गैर विकास को प्रशस्त किया बल्कि ₹ 6.72 करोड़ की वसूली भी संदेहास्पद परिणित हुई (प्रब्याजि ₹ 2.04 करोड़, भू–भाटक ₹ 36.72 लाख, परामर्श शुल्क ₹ 15 लाख, दण्ड/ब्याज ₹ 4.16 करोड़) इसके अतिरिक्त 18.50 एकड़ भूमि के सम्पति अधिकार (वर्तमान मूल्य ₹ 9.74 करोड़) रियायतकर्ता के अधिकार में ही रहे ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार करते हुए, प्रबंध संचालक ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि आवंटन रदद् किया जा चुका है तथा बैंक गारंटी भी जब्त की जा चुकी है । इस संबंध में, प्रमुख सचिव ने औ.के.वि.नि. को नए विकासकर्ता के चयन हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2014)।

मेगा प्रोजेक्टो में न्यूनतम स्थाई पूँजी निवेश करने में असफलता के लिए छूट की गैर वसूली

2.1.10 उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं पट्टा अनुबंध की शर्तो के अनुसार, मेगा प्रोजेक्टो में भूमि आवंटन की तिथि से तीन वर्षों के अंदर न्यूनतम स्थाई पूँजी निवेश न करने की स्थिति में छूट की राशि *12 प्रतिशत* वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वसूल की जायेगी । फिर भी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार मंत्री, वित्ती मंत्री, मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल करती हुई शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन समिति प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दे सकती है ।

आवंटी के समय पर मेगा प्रोजेक्टों की स्थापना में असफल रहने के बावजूद ब्याज सहित छूट की राशि ₹ 1.22 करोड़ वसूल नहीं गयी

हमने पाया कि चार मामलों में आवंटी अपने प्रोजेक्टों में दिए गए समय में न्यूनतम स्थाई पूँजी निवेश करने में असफल रहे । लेकिन, औ.के.वि.नि. छूट ब्याज के साथ वसूल करने या वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने में असफल रहा (नवम्बर 20014)। परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ राजस्व की हानि तथा आवंटियों को अनुचित अनुग्रह के प्रसार में परिणित हुई ***(परिशिष्ट 2.1.2)*** । हमने पाया कि औ.के.वि.नि./शीर्ष स्तरीय समिति ने न तो प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का समय बढ़ाया न ही पटटाविलेख रदद् किया । भावी आवंटनों के लिए भूमि का अधिपत्य भी वापस नहीं लिया गया ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, प्रबंध संचालक ने निकास सम्मेलन के दौरान कहा (नवम्बर 2014) कि मामले समीक्षा के अंतर्गत है तथा आवंटन नियमों/उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

हस्तांतरण शुल्क तथा विकास शुल्क को न लगाने के कारण आय की हानि

2.1.11 आवंटन नियम 2008 के अनुसार, औ.के.वि.नि. को प्रचलित मूल्य पर 20 प्रतिशत प्रब्याजि हस्तांतरण शुल्क के रूप में एक बार विकास शुल्क के साथ एकत्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त कहे गए नियमों के भाग–19(अ)(i) के अनुसार, मूल आवंटी के अंशधारिता प्रारूप में किसी परिवर्तन की स्थिति में यदि बहुमत अंशधारी अल्पमत अंशधारी बन जाता है, इसे हस्तांतरण माना जाएगा ।

आवंटी से हस्तांतरण तथा विकास शुल्क ₹ 4.56 करोड़ वसूल नहीं किये गये

हमने पाया यद्यपि एक आवंटी की 100 *प्रतिशत* अंशधारिता एक अन्य कम्पनी को हस्तांतरित हो गयी (अप्रैल 2013) तथा कम्पनी का नाम भी बदल गया था, औ.के.वि. नि. ने इसे हस्तांतरित नहीं माना, जो कि हस्तांतरण शुल्क तथा विकास शुल्क के रूप में ₹ 4.56 करोड़[1] की हानि के रूप में परिणित हुआ ।

निकास सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव के स्वीकार किया (नवम्बर 2010) कि वहाँ स्पष्टता का अभाव था तथा इस प्रकार की अनियमितताओं का नई मार्गदर्शिकाओं में ध्यान रखने के लिए सहमत हुए ।

आवंटी के अधिपत्य के अंतर्गत भूमि/भू–खण्ड का गैर–नियमितीकरण

औ.के.वि.नि. हस्तांतरण शुल्क के ₹ 1.08 करोड़ वसूलने में असफल रहा एंव भूखण्ड का नियमितीकरण भी बकाया रहा

2.1.12 वाणिज्य कर विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक आवंटी (पुराना आवंटी) की सम्पूर्ण सम्पत्ति नीलाम (फरवरी 2007) कर दी जो कि एक अन्य आवंटी (क्रेता) द्वारा, 134785 वर्गफिट का प्लाट शामिल करते हुए अधिग्रहीत कर ली गयी। क्रेता ने औ.के.वि.नि. भोपाल को हस्तांतरण तथा अपने पक्ष में पटटाविलेख निष्पादन का अनुरोध (नवम्बर 2008 तथा जुलाई 2009) किया । बदले में, औ.के.वि.नि. ने क्रेता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक नया आवेदन प्रस्तुत करने को सूचित किया (अप्रैल 2009) तथा आगे सूचित किया (मार्च 2014) कि अध्यक्ष के अनुमोदन के अनुसार क्रेता ₹ 1.08 करोड़ हस्तांतरण शुल्क के रूप में जमा करने के लिए उत्तरदायी है और 15 दिनों के अन्दर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा हस्तांतरण शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, प्लाट का आधिपत्य गैर कानूनी माना जाएगा तथा खाली करा लिया जाएगा। तथापि आवंटन का नियमितीकरण तथा पट्टाविलेख का उनके पक्ष में निष्पादन पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी लंबित था (नवम्बर 2014) ।

औ.के.वि.नि. की ओर से निष्क्रियता तथा धीमी प्रक्रिया ₹ 1.08 करोड़ के हस्तांतरण शुल्क की गैर प्राप्ति के रूप में परिणित हुई, इसके अलावा 2009–14 के दौरान ₹ 21.59 लाख[2] की हानि भी हुई । हमने यह भी पाया कि पुराने आवंटी के अधिपत्य में 144209 वर्गफीट भूमि थी, जिसके विपरीत 134785 वर्गफुट भूमि पुराने आवंटी को अभिलेखों में आवंटित थी। इस तरह 9425 वर्गफुट भूमि अनाधिकृत आधिपत्य में रही तथा पुनसर्वेक्षण नहीं कराया गया और अधिक भूमि का पुनः आधिपत्य भी विवादास्पद है ।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि भूमि के नियमितीकरण तथा आवंटी के अनाधिकृत अधिक से अतिरिक्त भूमि का आधिपत्य भी वापस लेने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पुर्नस्थापना शुल्क एकत्रित करने के अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना

2.1.13 औ.के.वि.नि. ने औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप में एक आवंटी को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु 10050 वर्गमीटर भूमि आवंटित (मई 2010) की थी । जैसा

[1] हस्तांतरण शुल्क – 1300 x 60000 x 20 प्रतिशत = 15600000 और विकास शुल्क ₹ 60000 x 500 = 30000000

[2] पट्टा भू–भाटक (₹ 1.88 लाख), हस्तांतरण शुल्क (₹ 2.50 लाख), पुनःस्थापन शुल्क (₹ 0.63 लाख) विकास शुल्क (₹ 15.03 लाख) तथा रख–रखाव शुल्क (₹ 1.55 लाख) = ₹ 21.59 लाख

कि आवंटी इकाई का क्रियान्वयन दो वर्ष के अन्दर करने में असफल रहा, औ.के.वि.नि. ने आवंटी को उत्पादन प्रारम्भ न करने तथा बकाये का भुगतान में चूक करने के लिए 60 दिन का सूचना पत्र जारी किया (अप्रैल 2012) बाद में, प्रबंध संचालक, औ.के.वि. नि. भोपाल ने हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में पट्टाविलेख एक अन्य आवंटी के पक्ष में हस्तांतरित करने का आंवटी का अनुरोध स्वीकार कर लिया ।

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. के अध्यक्ष ने निर्देश जारी (अगस्त, 2012) किए थे कि ऐसे रदद् प्लाट जहां उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ। परन्तु आवंटी ने प्रस्तावित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिक निवेश कर लिया है, 75 प्रतिशत प्रचिलित प्रब्याजि पुनः स्थापना शुल्क के रूप में हस्तांतरण के मामलों में वसूल जाएगी। फिर भी, औ.के. वि.नि. पूर्व आवंटन/पट्टाविलेख रदद् करने में आवंटन नियमों के अनुसार असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष के निर्देशानुसार ₹ 30.15 लाख (10050 वर्गमीटर x ₹ 400x75 प्रतिशत) का पुर्नस्थापना शुल्क लगाने तथा वसूलने का अवसर खो दिया।

सरकार ने कहा (नवम्बर, 2014) कि जैसा कि आवंटी ने लगभग 25 प्रतिशत पूँजी निवेश प्रोजेक्ट में कर लिया था आवंटन रदद् नहीं किया था तथा उनका प्लाट हस्तांतरण का आवेदन स्वीकार कर लिया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि औ.के. वि.नि. के अध्यक्ष के आदेश का पालन करने में असफल रहा, जो कि हस्तांतरण अनुरोध स्वीकार करने के पूर्व जारी हुआ था ।

औ.के.वि.नि. में निगरानी व्यवस्था का आभाव

2.1.14 औ.के.वि.नि. में प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन पर नियमित निरीक्षण प्रतिवेदन की कोई प्रक्रिया तथा निगरानी व्यवस्था नहीं है, जैसे कि क्रियान्वयन की अवस्था पर प्रगतिशील उपलब्धियाँ तथा इकाईयों द्वारा बनाए गये रोजगार सुनिश्चित हो सके । आगे, प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बैंको तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने हेतु औ.के.वि.नि. की भूमि बंधक बनाने हेतु जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की समीक्षा का एक प्रयत्न किया गया था । जैसा कि, औ.के.वि.नि. ऐसी सूचनाएं नहीं बनाते है, लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनें में असमर्थ था कि अनापत्ति प्रमाणपत्र के माध्यम से लिए गए ऋणों का क्रियान्वयन के उद्देश्य में ही उपयोग किया गया है ।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि आकंड़े/सूचना संकलन की अवस्था में थे ।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि. की औद्योगिकरण तथा रोजगार सृजन के लक्ष्य की उपलब्धि पाने हेतु निगरानी को मजबूत करना चाहिये ।

भूमि की लागत को गलत अपनाया जाना

2.1.15 मध्यप्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण हेतु एक आवंटी को 150 एकड़ अविकसित भूमि 2013–14 के दौरान लागू कलेक्टर मार्गदर्शिका मूल्य (10 *प्रतिशत* जोड़कर) आवंटित करने का निर्देश (फरवरी 2014) दिया । औ.के.वि.नि. ने औद्योगिक क्षेत्र, बगरौदा में स्थित 6,07,287 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु आशय पत्र जारी किया (मार्च 2014) तथा ₹ 16.70 करोड़ की कुल लागत वसूल की आवंटन आदेश, भूमि का अधिपत्य तथा पट्टाविलेख का निष्पादन/पंजीयन लंबित था ।

औ.के.वि.नि. के एक आवंटी से भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर दर से ढेड गुना दर वसूलने में असफल रहने से ₹ 20.91 करोड़ की हानि हुई

हमने पाया कि आशय पत्र जारी करते समय, औद्योगिक विचलित भूमि (कृषि उद्देश्य के अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण तथा उपयोग) पर लागू होने वाले कलेक्टर मार्गदर्शिका मूल्य ₹ 563 जो कि भूमि की लागत (₹ 375 प्रति वर्गमीटर) का डेढ़ गुना है प्रभार करने में असफल रहा इसके स्थान पर इसने ₹ 275 प्रति वर्गमीटर की रियायती दर प्रभारित तथा वसूल की । यह ₹ 20.91 करोड़ की अल्प वसूली में परिणित हुई । इसके अतिरिक्त, भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण औ.के.वि.नि. ₹ 20.91 लाख प्रतिवर्ष का भू–भाटक के रूप में हानि भी उठाएगी ।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा (नवम्बर 2014) कि बड़े पैमाने /ब्लूचिप उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने तथा तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु, भूमि रियायती दरों पर दी गयी थी तथा आवंटी पर भूमि की प्रचिलित सरकारी दर पर आरोपित किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर कलेक्टर मार्गदर्शिका मूल्य पर अविकसित भूमि आवंटन करने का निर्देश दिया था जो कि ₹ 563 प्रति वर्गमीटर आता है ।

निरस्त प्लाट के पुनःस्थापन हेतु प्रचलित भूमि दरों का न अपनाना

2.1.16 औ.के.वि.नि. प्रब्याजि तथा अन्य शुल्क की गणना हेतु आशय पत्र जारी होने की तिथि पर प्रचलित भूमि दरों को अपनाती है । आवंटन नियम की कंडिका IV (iii) के अनुसार, आवंटी को आवंटन पत्र की तिथि से 30 दिनों के अन्दर पट्टाविलेख का निष्पादन कराना होगा तथा पट्टाविलेख के निष्पादन न होने की स्थिति में 30 दिन का सूचना पत्र जारी करके आवंटन पत्र रदद् किया जा सकता है ।

हमने पाया कि आवंटी के संबंध में आशय पत्र (दिसम्बर 2008) की शर्तों के गैर अनुपालन के कारण आवंटन निरस्त (जुलाई 2012) होने तथा औ.के.वि.नि. के अध्यक्ष के अंतरिम आदेश (फरवरी 2013) के बावजूद, आवंटन प्रचिलित भूमि दरों को आरोपित करे बिना, बहाल कर दिया गया था तथा औ.के.वि.नि. ने प्रचलित दरों को आरोपित करने के अवसर को गंवा दिया जो कि ₹ 1.35 करोड़ की हानि में परिवर्तित हुई ।

प्रबंध संचालक ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि जैसा कि भूमि की लागत पहले ही वसूली जा चुकी है तथा आशय पत्र जारी किए जा चुके थे अतः आवंटन रदद् नहीं किया जा सकता । पट्टाविलेख निरस्त नहीं किया जा सकता ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि औ.के.वि.नि. ने आवंटन नियमों की आवश्यकता के अनुसार प्रब्याजि तथा अन्य शुल्क की गणना किए बिना आवंटी का अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा अपने वित्तीय हितो को सुरक्षित करने में असफल रहा ।

अतिरिक्त प्रब्याजि न आरोपित करने पर आय की हानि

2.1.17 आवंटन नियम 2008 की कंडिका 9(ii)(4) के अनुसार, कोने के भूखण्डों तथा 80 फिट (24 मीटर) चौडी सड़क पर अवस्थित भू–खण्डों/भवन हेतु दस *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रब्याजि ली जाएगी । आगे, भू–खण्डों के हस्तांतरण के मामले में, यदि मूल आवंटी से अतिरिक्त प्रब्याजि नहीं ली गयी थी, तब यह हस्तांतरिती पर आरोपित तथा वसूल की जाएगी ।

[3] 607287 वर्गमीटर x ₹ 563 = ₹ 34.19 करोड़ धन 10 प्रतिशत = ₹ 37.61 करोड़ ऋण ₹ 16.70 करोड = ₹ 20.91 करोड़

कोने के प्लॉट/80 फिट चौडी रोड पर अतिरिक्त प्रब्याजि न लगाने के फलस्वरूप राजस्व की हानि

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. ने तीन आवंटियों से ₹ 4.05 लाख की अतिरिक्त प्रब्याजि कोने/80 फिट चौडी सड़क पर भू–खण्डो पर नहीं आरोपित की । यह ₹ 4.54 लाख (अतिरिक्त प्रब्याजि ₹ 4.05 लाख तथा भू–भाटक ₹ 0.49 लाख) की आय की हानि में परिणित हुई तथा औ.के.वि.नि. पट्टे की शेष अवधि के दौरान ₹ 0.12 लाख प्रतिवर्ष की हानि उठाते रहेंगे ***(परिशिष्ट 2.1.3)***

सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) दो आवंटियों से मांग कर ली गयी है तथा एक आवंटी के संबंध में, पहले भू–खण्ड के आवंटन के दौरान, अतिरिक्त प्रब्याजि की वसूली का नियम नहीं था तथा आवंटित भू–खण्ड 24 मीटर चौडी सड़क पर नहीं स्थित है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि आवंटित भू–खण्ड पूर्व में आवंटित भू–खण्ड के माध्यम से 24 मीटर चौडी सड़क से जुडा हुआ है ।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि. को सड़क स्थित/कोने के भू–खण्डों पर अतिरिक्त प्रब्याजि की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए ।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर

औ.के.वि.नि. इन्दौर द्वारा भूमि विकास तथा आवंटन

2.1.18 औ.के.वि.नि. ने अपने स्थापना से अब तक 10230.49 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया तथा वर्ष 2009–14, के दौरान मध्य प्रदेश शासन से 1847.36 एकड़ अविकिसत भूमि अधिगृहित की एवं समस्त भूमि विकसित होने के प्रक्रिया में है । औ. के.वि.नि. ने इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ सेंटर के बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2009–14 के दौरान ₹ 115.61 करोड़ का व्यय किया, तथा 769.60 एकड़ विकसित तथा अविकसित भूमि 437 आवंटियों को आवंटित किया और उनसे ₹ 289.76 करोड़ प्राप्त किये । वर्ष 2009–14 के दौरान, वर्ष आधारित अधिग्रहण तथा आवंटन की सूची ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दी गई है ।

जैसा की परिशिष्ट 2.1.1 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–10 और 2010–11 के बाद आवंटन तथा आवंटित क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई है । वर्ष 2010–11 के मध्य आवंटनों की संख्या 191 से घटकर 58 हो गई एवं आवंटन क्षेत्र भी 214.86 एकड़ से घटकर 161.85 एकड़ हो गया । हमने पाया कि अविकसित भूमि का विकास न होने के कारण आवंटनों की संख्या में कमी आई ।

लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार्यते हुए, औ.के.वि.नि. ने यह कहा (नवम्बर, 2014) विकसित भूमि कि अनुपलब्धता तथा मांग में कमी के चलते भूमि आवंटन दिसम्बर, 2012 तक धीमा था, परन्तु वर्ष 2013 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

हमने यह भी पाया कि करीब 452.75 एकड़ भूमि जिसकी कीमत ₹ 16.50 करोड़ थी पर झोपड़ पट्टी/स्थानीय लोगों द्वारा वर्ष 1995 से अवैध कब्जा किया गया है, जिसे खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कि गई।

क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्दौर का विकास

2.1.19 मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आई टी नीति (1999 तथा 2006) के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विकास पर बल दिया/आईटी पार्क का निर्माण निजी क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकास संस्थाओं द्वारा किए जाने के मूल विचार के साथ हुआ । परन्तु किसी भी प्रकार के सहभागिता/विकास हेतु सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण नहीं हो सका ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत (मई 2003) ₹ 85.57 करोड़[4] थी । इस उद्देश्य के लिए औ.के.वि.नि. इन्दौर ने एक सहायक कम्पनी नामतः ''क्रिस्टल आईटी पार्क इन्दौर लिमिटेड'' की स्थापना की और विकासकर्ता का दर्जा प्राप्त किया (सितम्बर 2005) । हालांकि, सहायक कम्पनी के द्वारा आईटी पार्क के विकास हेतु कोई गतिविधि जैसा निर्धारित किया गया था नहीं की गयी तथा इसकी सम्पूर्ण गतिविधयाँ औ.के.वि.नि. इन्दौर की पुस्तकों के माध्यम से की गयी । इसी दौरान कार्य की धीमी प्रगति के कारण एक ठेकेदार को दिया गया निर्माण कार्य (अगस्त 2003) रद्द कर दिया गया (मार्च 2007) तथा बाद में एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को दिया गया (जून/जुलाई 2011) । मार्च 2014 के अंत तक, औ.के.वि.नि. ने क्रिस्टल आईटी पार्क में निर्माण तथा अन्य आधारभूत संरचना सुविधाओं के निर्माण पर ₹118.47 करोड़ व्यय किया तथा 46637.466 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्र दो आईटी भवनों का निर्माण किया था ।

इस संबंध में हमने पाया कि :

- जून 2012 तथा जून 2014 के मध्य, 46637.466 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में से 13610.206 वर्गमीटर (30 प्रतिशत) पाँच आईटी कम्पनियों को आवंटित किया गया था तथा शेष 70 *प्रतिशत* आवंटन योग्य क्षेत्र मांग की कमी के कारण खाली पड़ा था ।

सिविल कार्य पर ₹ 55.57 करोड़ के अनुमानित लागत के विरूद्ध राशि ₹ 118.47 करोड़ औ.के.वि.नि. द्वारा व्यय किए गए

- दिसम्बर 2004 में निर्माण ₹ 55.57 करोड़ की अनुमानित व्यय की तुलना में, कार्य मार्च 2014 में ₹ 118.47 करोड़ की लागत के साथ पूर्ण हुआ । समय तथा लागत की अधिकता के कारण, औ.के.वि.नि. ने ₹ 62.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। औ.के.वि.नि.ने जून 2012 से जून 2014 के दौरान ₹ 2.74 करोड़ का भू–भाटक वसूल किया ।

- औ.के.वि.नि. विकासकर्ता का दर्जा प्राप्त करने (सितम्बर 2005) के बाद परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण पुनः करने में असफल रहा ।

औ.के.वि.नि. ने कहा (नवम्बर 2014) असंगत तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, नियोजन प्रभावित हुआ तथा उच्च गुणवत्ता के कार्य के प्रावधान के कारण लागत बढ़ गयी। निकास सम्मेलन के दौरान प्रबंध निदेशक ने कहा (नवम्बर 2014) उपलब्ध खुले भू–खण्ड/क्षेत्र लागत वसूल करने हेतु बेचे भी जा सकते है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि विकासकर्ता का दर्जा प्राप्त करने के बाद, औ.के.वि. नि.परियोजना की व्यवहारिकता पुनः ज्ञात करने में असफल रहा । आगे मांग की कमी तथा लागत एवं समय की अधिकता के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य को आईटी के लाभ कैसे मिलेंगे तथा लागत कैसे वसूल होगी ।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि. को परियोजनाओं की व्यवहारिकता ज्ञात करनी चाहिए, जब भी बड़े निवेश किए जाने हो ।

मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत छूट

2.1.20 मध्य प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश (जुलाई 2006) एवं आई.पी.पी., 2010 के अनुसार मेगा प्रोजेक्टस हेतु 5 एकड़ भूमि पर जिसमें ₹ 25 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश हो तथा 10 एकड़ भूमि पर जिसमें ₹ 50 करोड़ से लेकर ₹ 100 करोड़ का स्थायी पूँजी निवेश हो, तो ऐसी मेगा परियोजना के लिए भूमि की प्रब्याजि में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी ।

[4] समता के रूप में भूमि – ₹ 30 करोड़, निर्माण लागत – ₹ 49.57 करोड़ तथा अन्य व्यय – ₹ 6 करोड़ ।

औ.के.वि.नि. ने इंडस्ट्रियल एरिया, मेघनगर में 10 एकड़ भूमि (दिसम्बर, 2012) एक आवंटी को आवंटित किया, जिससे उसे 5 एकड़ भूमि पर ₹ 37.10 करोड़ कि स्थायी पूँजी निवेश के अनुसार छूट दी गयी आगे चलकर आवंटी ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा अपनी स्थाई पूँजी निवेश को ₹ 54.09 करोड़ करने के लिए औ.के.वि.नि. से अतिरिक्त भूमि का अनुरोध (मार्च, 2013) किया जिसे औ.के.वि.नि. ने स्वीकार्य करते हुए (अक्टूबर, 2013) 8.1 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित किया । हमने पाया कि आवंटी अपने स्थायी पूँजी निवेश के अनुसार केवल 10 एकड़ भूमि पर ही रियायत का पात्र था, परन्तु औ.के.वि.नि. ने उसे 13.1 एकड़[5] भूमि हेतु छूट प्रदान कर दिया, जिससे उसे 3.1 एकड़ भूमि पर तथा ₹ 60.19 लाख[6] की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई।

औ.के.वि.नि. ने जवाब में यह कहा (नवम्बर, 2014) की रियायत की वजह आवंटी द्वारा दोनो प्रोजेक्टो को अलग अलग बताया जाना है, यदि औ.के.वि.नि. का जवाब दोनो प्रोजेक्टो का अलग अलग होना मान भी लिया जाए फिर भी आवंटी केवल प्रथम परियोजना पर छूट का ही पात्र था ।

मुख्य अवस्थिति पर स्थित भू–खण्डों पर अयोग्य रियायत प्रदान किया जाना

2.1.21 भूमि आवंटन अधिनियम, 2008 की धारा 9(ii)4 के अनुसार मुख्य अवस्थिति पर स्थित भू–खण्डों यथा 80 फिट मुख्य मार्ग एवं किनारे पर स्थित भू–खण्डों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रब्याजी वसूल किया जाना है ।

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. इन्दौर द्वारा मेगा प्रोजेक्टों को न केवल प्रब्याजी पर अपितू अतिरिक्त प्रब्याजी पर भी रियायत प्रदान कर दी गई, जबकि औ.के.वि.नि. भोपाल एवं औ.के.वि.नि. जबलपुर द्वारा केवल प्रब्याजी पर ही रियायत प्रदान की गई, अतः औ.के. वि.नि. इन्दौर को मेगा प्रोजेक्टो को अतिरिक्त प्रब्याजि पर रियायत प्रदान किये जाने के कारण 21 आवंटनों पर ₹ 2.92 करोड़ की हानि हुई ***(परिशिष्ट 2.1.4)***।

अतिरिक्त प्रब्याजि पर भूमि छूट को बढ़ाने के फलस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ राजस्व की हानि हुई

लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए, निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी औ.के.वि.नि. द्वारा एक समान प्रक्रिया का पालन किया जायेगा एवं औ.के.वि. नि. इन्दौर को इस तरह के मामलो की समीक्षा करने के निर्देश दिये ।

मेगा प्रोजेक्टो में स्थायी पूँजी निवेश न करने में विफल रहने पर भी रियायत की वसूली न करना।

2.1.22 हमने पाया कि 11 मामलों में आवंटी नियत समय में अपने प्रोजेक्ट में आवश्यक स्थायी पूँजी निवेश करने में विफल रहने पर औ.के.वि.नि. आज दिनांक (नवम्बर, 2014) तक ब्याज सहित ₹ 10.39 करोड़ वसूलने में असफल रहा। ***(परिशिष्ट 2.1.2)***

आवंटियों के समय पर मेगा प्रोजेक्ट बनाने में असफल रहने पर भी ए.के. व्ही.एन. ने ब्याज सहित छूट की राशि ₹ 10.39 करोड़ की वसूली नहीं की

लेखापरीक्षा के मद को स्वीकार करते हुए औ.के.वि.नि. के प्रबंध संचालक ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2014) कि ये मामले समीक्षाधीन है एवं उन पर आवंटन नियम/औद्योगिक संवर्धन निति के अनुसार कार्य किया जाएगा ।

महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को रियायत प्रदान न किया जाना

2.1.23 आवंटन नियम, 2008 की धारा 9(ii)5 के अनसुार महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति भूतपूर्व सैनिक आदि उद्यमियों को जिनकी भागिता उस उद्यम में 100 *प्रतिशत* है को भूमि की प्रब्याजी से 25 *प्रतिशत* की रियायत प्रदान की जायेगी ।

[5] 5 एकड़ (प्रारंभिक आवंटन) + 8.1 एकड़ (अतिरिक्त आवंटन)

[6] {12160 वर्गमीटर (32400 – 20240) x ₹ 660(600 +60) x 75 प्रतिशत

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. द्वारा 25 आवंटियों (24 महिलाऐं एवं 1 अनुसूचित जाति) को भूमि की प्रब्याजि में ₹ 26.48 लाख की रियायत प्रदान नहीं की गई ।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने सभी औ.के.वि.नि. को रियायत करते समय आवंटन नियमों को पालन करने के लिए निर्देशित किया (नवम्बर, 2014)।

फूड पार्क में सामान्य सुविधाओं का पट्टे पर देने में अनियमितताऐं

2.1.24 किसानों के उत्पाद/फसल की सुरक्षा तथा मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंकरण उद्योगो की स्थापना में प्रोत्साहित करने हेतु, औ.के.वि.नि. ने 2001 तथा 2011 के मध्य निगरानी स्थित फूड पार्क की सामान्य सुविधाओं जैसे शीत गृह, दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र सहित ₹ 13.10 करोड़ की लागत से स्थापना की तथा निजी पक्ष को पाँच वर्षों हेतु पट्टे पर दे दिया ।

इस संबंध में हमने पाया कि:

- पट्टाविलेख में भू–भाटक जमा करने में देरी हेतु दण्ड प्रावधान के अभाव के कारण पट्टागृहीता ने शीत गृह तथा दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र के संबंध में भू–भाटक 107 से 538 दिनों की देरी के साथ प्रेषित की । इससे मार्च 2014 के अंत में ₹ 19.65 लाख की देयताओं के संग्रहण को प्रशस्त किया ।

- औ.के.वि.नि. अन्य आवंटनों पर पट्टाग्रहीताओं से वार्षिक भू–भाटक का तीन गुना सुरक्षा निधि के रूप में एकत्रित करता है । लेकिन, सामान्य सुविधाओं को पट्टे पर देते समय, औ.के.वि.नि. ने एकसमान प्रक्रिया नहीं अपनायी सुरक्षा निधि को या तो एक मुश्त आधार पर या वार्षिक भू–भाटक का एक गुना लिया गया । यह सुरक्षा निधि के ₹ 7.50 लाख के कम संग्रहण में परिणित हुआ ।

- निमरानी में सामान्य सुविधाओं का पट्टाग्रहीता द्वारा कम बीमा कराया गया जो कि औ.के.वि.नि. के साथ संयुक्त नाम से भी नहीं था ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, प्रबंध संचालक ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान, भावी अनुबंधों में कमियो/खामियों को दूर करना स्वीकार किया।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि. को पट्टाविलेखों में दण्ड प्रावधान शामिल करना चाहिए तथा अपने वित्तीय हितों तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त बीमा कवर प्राप्त कना चाहिए ।

भूमि के पूर्ण उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रवर्तन की निगरानी न करना

2.1.25 पट्टा समझौते के अनुसार आवंटी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के वृहद उपयोग के मामले में पाँच वर्ष एवं लघु उद्योग के मामले में तीन वर्ष के भीतर आवंटित भूमि पर अपनी परियोजना का क्रियान्वयन कर पूर्ण उपयोग करेगा एवं अतिशेष/अप्रयुक्त भूमि का औ.के.वि.नि. को समर्पण करेगा । यदि आवंटी द्वारा अतिशेष भूमि के समर्पण में विफल रहने के मामले में आवंटी कार्यान्वयन अवधि की समाप्ति की तारीख से सालाना लीज किराये के पंद्रह गुना भुगतान करेगा ।

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. में भूमि का 100 प्रतिशत उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया जानने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई सिस्टम नहीं है, अतः इस जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा इस खण्ड के अनुपालन को नहीं जांच सका ।

इसके अतिरिक्त, आवंटन नियम, 2008 के अनुसार आवंटी, आवंटित भूमि के 10 *प्रतिशत* पर (50 पेड़ प्रति हेक्टेयर आवंटन नियम 1974 के अनुसार) पौधो को रोपित एवं उनकी देखभाल करेगा एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य नहीं करेगा एवं असफला के मामले में 10 *प्रतिशत* प्रब्याजी दण्ड के रूप में भुगतान करने के उत्तरदायी होगा ।

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. ने पर्यावरण संरक्षण खण्ड के अनुपालन के लिए न तो क्षेत्र रिपोर्ट प्राप्त की और न ही पेड़ न लगाने वाले आवंटियों पर कोई दण्ड आरोपित किया।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने सभी औ.के.वि.नि. को इस विषय के पर गौर करने का निर्देश (नवम्बर 2014) दिया एवं यह भी कहा कि इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाऐंगे ।

विकास शुल्क का लघु संग्रह

2.1.26 जुलाई 2009 से प्रभावी, आवंटन नियम 2008 के परिशिष्ट–क के अनुसार औ.के. वि.नि. विकास शुल्क के रूप में लीज प्रीमियम का 25 प्रतिशत एक बार ही अधिरोपित करेगा । इसके अलावा, अक्टूबर 2009 में उद्योग आयुक्त कार्यालय के स्पष्टीकरण अनुसार संचालक मण्डल, औ.के.वि.नि. द्वारा निर्धारित आवंटन दरें जिसमें विकास शुल्क भी सम्मिलित है किसी भी दशा में आवंटन नियम 2008 में दी सिफारिश दरों से कम नहीं होगी। समन्वय और समीक्षा समिति द्वारा जून 2011 में पूँजी लागत की प्राप्ति हेतु विकास शुल्क की दरें, इन्दौर तथा भोपाल में ₹ 300 प्रति वर्गमीटर न्यूनतम निर्धारित कर दी गई जो 1 जुलाई 2011 से प्रभावी भी थी।

आवंटन नियमों / विकास शुल्क को लागू करने के निर्णय में देरी के कारण 175 आवंटियों से ₹ 6.92 करोड़ की हानि हुई।

हमने पाया कि:

- अन्य औ.के.वि.निगमों के समीक्षा उपरांत यह पाया गया है विकास शुल्क के संदर्भ में लिये गये निर्णयों व दरों को सभी औ.के.वि.निगमों ने शीघ्रता से लागू किया परन्तु औ.के.वि.नि. इन्दौर ने एक वर्ष बाद अर्थात 29 जुलाई 2010 से दरें लागू की जिससे विकास शुल्क के रूप में ₹ 4.34 करोड़ 143 आवंटियों से निगम को कम प्राप्त हुआ ।

- समन्वय और समीक्षा समिति के द्वारा निर्णित ₹ 300 प्रति वर्गमीटर को लागू करने में विलम्ब हुआ (26 जुलाई 2012) जिससे अवधि 1 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2012 के दौरान 32 आवंटियों से ₹ 2.58 करोड़ कम वसूली हुई ।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने (नवम्बर 2014) विकास शुल्क की वसूली हेतु औ.के.वि.नि. को निर्देश जारी किया ।

अनुशंसाः औ.के.वि.नि. को राजस्व हानि से बचने के लिए तत्काल आवंटन नियम/सरकार के निर्णय आदेशों को लागू करना चाहिए ।

रख–रखाव शुल्क का निम्न निर्धारणः

2.1.27 आवंटन नियम, 2008 के परिशिष्ट अ(1) के अनुसार लीज प्रीमियम का 2 प्रतिशत रखरखाव शुल्क अधिरोपित करना चाहिए। इसके बाद, उद्योग आयुक्त द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण अनुसार (अक्टूबर, 2009) औ.के.वि.नि. के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित दर मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी ।

लेखापरीक्षा आपत्ति अनुसार औ.के.वि.नि. ने रख–रखाव शुल्क के रूप में ₹ 48.85 लाख 134 आवंटियों से कम वसूले ।

निर्धारित दरों से कम रख रखाव शुल्क निर्धारित करने से ₹ 48.85 लाख की हानि हुई

सरकार ने (नवम्बर 2014) यह कहा कि रख–रखाव शुल्क पहले से ही जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र द्वारा जारी दरों से अधिक है तथा संबंधित संचालक मण्डल को यह दरें निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया था ।

जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि रख–रखाव शुल्क आवंटन नियम 2008 के अनुसार 2 *प्रतिशत* से कम की दरों से वसूला गया है। निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने (नवम्बर 2014) औ.के.वि.नि. को इस तरह के मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा ।

औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र के आंवटियों से बकाया देय राशि कि गैर–वसूली

2.1.28 लीज समझौता के अनुसार आवंटियों/औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र से वार्षिक लीज रेंट साथ ही अन्य शुल्कों जैसे पानी, रखरखाव आदि कि वसूली संसोधित दरों से की जाएगी । भुगतान में देरी के मामलों में प्रतिवर्ष 12 *प्रतिशत* की दर से दण्डात्मक ब्याज लगाया जाएगा ।

1024 आवंटियों से ₹ 26.92 करोड. की राशि बकाया रही

हमने पाया कि मार्च 2014 के अंत तक बकाया वसूली ₹ 26.92 करोड़, 1024 आवंटियों से जिसमें ₹ 7.89 करोड़ (29 *प्रतिशत*) बकाया वसूली 40 आवंटियों से तीन वर्षो से अधिक बकाया थी । और 126 मामलों के संबंध में बकाया राशि उनके द्वारा जमा कि गई सुरक्षा राशि से अधिक हो गई है । आगे पाया गया कि औ.के.वि.नि. नगदी आधार पर बकाया राशि कि गणना करता है, इससे बकाया राशि के संचय कि सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर संचालक मण्डल को नहीं बताई गई ।

औ.के.वि.नि. ने कहा (नवम्बर 2014) कि बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने (नवम्बर 2014) औ.के.वि. नि. को निर्देश दिया कि बकाया राशि वसूली कि प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा बकाया वसूली को न्यूनतम किया जाए जिससे अशोध्य/संदेहास्पद ऋण परिवर्तित न हो पाए ।

औद्योगिक कैन्द्र विकास निगम लिमिटेड, जबलपुर

औ.के.वि.नि. जबलपुर द्वारा भूमि विकास तथा आवंटन

2.1.29 औ.के.वि.नि. ने अपने स्थापना के साथ ही 2329.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। वर्ष 2009–14 के दौरान औ.के.वि.नि. ने 736 एकड़ भूमि का अधिकग्रहण मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त किया तथा सम्पूर्ण भूमि अविकसित थी । औ.के.वि.नि. ने औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र के बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2009–14 के दौरान ₹ 49.52 करोड़ व्यय किये । औ.के.वि.नि. ने 373.60 एकड़ भूमि 234 आवंटियों को आवंटित कि तथा ₹ 25.86 करोड़ प्राप्त किये । वर्ष 2009–14 के दौरान वर्षवार अधिग्रहण तथा आवंटन सूची ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दी गई है ।

जैसा की परिशिष्ट 2.1.1 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–10 और 2010–11 के बाद आवंटन तथा आवंटित क्षेत्र में भारी कमी आई और आवंटनों की संख्या में 57 में से 55 तथा आवंटित क्षेत्र में 141.29 से 37.71 एकड़ भूमि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान कम आवंटित की गई है ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए औ.के.वि.नि. ने यह कहा कि (जून 2014) सभी जरूरतमंद उद्यमियों को भूमि/भूखण्डों को आवंटन करने का प्रयास शीघ्रता से किया जा रहा है ।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एक सह–निर्माता की पहचान के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), हरगढ़ की स्थापना

औ.के.नि.निगम ने हरगढ़ स्थित सेज के विकास पर टी. ए. की विपरीत राय तथा सह विकासकर्ता की पहचान किये बिना ₹ 5.23 करोड़ खर्च किये ।

2.1.30 औ.के.वि.नि. जबलपुर ने 165.79 करोड[7] की अनुमानित लागत से पीपीपी मोड के तहत 101.21 हेक्टर भूमि हरगढ़, जिला जबलपुर में खनिज और खनिज आधारित उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशेष सेज स्थापित करने के लिए फैसला (दिसम्बर 2007) किया। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने (मार्च, 2008) के बाद, परियोजना रिपोर्ट लेनदेन सलाहकार (टी.ए.) द्वारा तैयार (दिसम्बर, 2009) की गई। टी.ए. द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों के विकास के लिए अत्याधिक जोर दिया गया, जिससे इसकी व्यवहारिकता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आगे चलकर यह मत दिया गया (जुलाई, 2010) कि प्रतिकूल बाजार की स्थितियों/मंदी की वजह से इस परियोजना पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से (अगस्त, 2010) इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हमने पाया कि औ.के.वि.नि. ने सह–निर्माता की पहचान किये बिना तथा अपने स्वयं के लागत लाभ विश्लेषण/व्यवहारिकता की तैयारी बिना, सेज विकास हेतु ₹ 5.23 करोड़ (निर्यात बुनियादी ढ़ाचे के विकास और संबंधित गतिविधियों में ₹ 4.96 करोड़ राज्यों की सहायता हेतु) का व्यय विभिन्न विकास कार्यों के लिए मार्च 2014 तक किया ।

इस प्रकार, परियोजना की प्रतिकूल स्थिरता जानने के बावजूद तथा निजी प्रमोटरों की पहचान किये बिना सेज परियोजना के विकास पर किये गये खर्च की व्यर्थता हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए, निकास सम्मेलन के दौरान प्रबंध संचालक ने कहा (नवम्बर 2014) कि सेज का डीनोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है तथा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरतमंद उद्यमियों को भूमि आवंटित करके लागत वसूल की जाएगी ।

न्यूनतम पूँजी निवेश करने में विफल रहने वाले मेगा प्रोजेक्टो से छूट की वसूली न करना

आवंटियों के समय पर मेगा प्रोजेक्ट लगाने में असफल रहने के बाद भी औ.के.वि.नि. ने ब्याज सहित छूट की राशि ₹ 16.14 लाख की वसूली नहीं की

2.1.31 हमने पाया कि एक आवंटी एक प्रोजेक्ट में निर्धारित अवधि में न्यूनतम पूँजी निवेश करने में विफल रहा एवं औ.के.वि.नि. ब्याज के साथ छूट की वसूली ₹ 16.14 लाख वसूल करने में आज दिनांक तक विफल रहा । ***(परिशिष्ट 2.1.2)***

लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए निकास सम्मेलन के दौरान प्रबंध संचालक ने कहा (नवम्बर 2014) कि मामलो की समीक्षा की जा रही है एवं आवंटन नियमों/आई. पी.पी. के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आवासीय उपयोग के लिए भूमि का अनियमित आवंटन

2.1.32 आवंटन नियम, 2008 की धारा 6(अ) के अनुसार एक आवंटी, आवंटित औद्योगिक भू–खण्ड में 3000 वर्गफुट अथवा आवंटित भूमि के 3 प्रतिशत जो भी कम हो पर श्रमिक/तकनीकी स्टाफ के निवास हेतु भवन निर्मित कर सकेगा । आवासीय उपयोग हेतु भूमि के आंवटन को पुनरीक्षित (फरवरी, 2010) करके 5 प्रतिशत तथा अधिकतम पाँच एकड़ तक सीमित कर दिया गया है ।

औद्योगिक क्षेत्र के बाहर आवासीय उपयोग के लिए भूमि का आवंटन योग्य सीमा से परे था

हमने पाया कि ने औ.के.वि.नि. जनवरी से सितम्बर 2010 के मध्य तीन आवंटियों को औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में औद्योगिक क्षेत्र से बाहर, अधिकृत सीमा से अधिक भूमि का आवासीय उपयोग के लिए आवंटन किया गया । अधिकृत सीमा 279 वर्गमीटर, 1200

[7] निजी प्रमोटर अंशदान (51 प्रतिशत – ₹ 84.55 करोड़), शासकीय भूमि (₹ 12.50 करोड़) राज्य/केन्द्र सहायता (₹ 66.32 करोड़) तथा ऋण/अन्य (₹ 2.42 करोड़)

वर्गमीटर तथा 1200 वर्गमीटर आवंटित किया जाना था, के विरूद्ध औ.के.वि.नि. ने 10,000 वर्गमीटर, 2000 वर्गमीटर एवं 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जो कि क्रमशः 9821 वर्गमीटर, 800 वर्गमीटर 300 वर्गमीटर अधिक थी ।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रबंध संचालक इस प्रकार के मामलों की समीक्षा करने के लिए सहमति दी (नवम्बर, 2014)।

अतिरिक्त प्रब्याजी को प्रभारित न करने के कारण राजस्व की हानि ।

किनारे स्थित/80 फिट चौडी रोड पर स्थित भू–खण्डों पर अतिरिक्त प्रब्याजि न प्रभारित करने से ₹ 22.75 लाख राजस्व की हानि हुई ।

2.1.33 हमने पाया कि बहिर्गमन द्वारा 15 आवंटियों से ₹ 22.75 लाख अतिरिक्त प्रब्याजी की मद में प्रभारित नहीं किये जिसके कारण पट्टे की शेष अवधि के लिए ₹ 0.64 लाख की वार्षिक हानि भी होगी ***(परिशिष्ट 2.1.3)***।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि तीन आवंटियों को माँगपत्र जारी किया गया है एवं शेष आवंटित भू–खण्ड मुख्य मार्ग/किनारे पर स्थित नहीं है ।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि आवंटित भू–खण्ड या तो राज्यमार्ग से लगे हुए या अतिररिक्त मार्ग पर अथवा 80 फुट चौड़े मार्ग पर अवस्थित है ।

विकास शुल्क कम लिया जाना

2.1.34 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी स्पष्टीकरण (29 अप्रैल 2011) के अनुसार, विकास शुल्क की वसूली हस्तांतरण ग्रहीता से की जानी चाहिये यदि यह हस्तांतरणकर्ता अर्थात पूर्व आवंटी से नहीं लिया गया है । हमने पाया कि औ.के.वि.नि. आठ हस्तांतरणियों से विकास शुल्क की राशि ₹ 22.73 लाख लेने में असफल रहा ।

निकास सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2014) मुख्य सचिव ने औ.के.वि.नि. को मामलों की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया ।

निष्कर्ष

- **अधिगृहित भूमि के विकसित न करने के कारण औ.के.वि.नि. में आवंटन प्रक्रिया धीमी हुई ।**
- **औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि अधिगृहित, विकसित एवं आवंटित करने के परिपेक्ष्य में कोई कार्पोरेट/वार्षिक योजनाऐं नहीं बनाई गई ।**
- **औ.के.वि.नि. द्वारा औद्योगिक संवर्धन निति एवं आवंटन नियमों के विरूद्ध प्रमुख स्थानों पर स्थित भू–खण्डों पर रियायत प्रदान की, इसके अतिरिक्त न्यूनतम अचल पूँजी निवेश करने की विफलता पर आवंटी से ब्याज सहित रियायत वसूल नहीं की ।**
- **औ.के.वि.नि. के पास भूमि के पूर्ण उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण खण्ड की क्षेत्र रिपोर्टो के द्वारा निगरानी रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके अतिरिक्त औ.के.वि.नि. ने योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बैंकरो को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के डेटा को नहीं बनाया ।**
- **औ.के.वि.नि. को प्रचलित भूमि मूल्य को आरोपित न करने, मुख्य स्थानों पर स्थित भू–खण्डों पर अतिरिक्त प्रब्याजी न लेने, विकास शुल्क कम आरोपित करने एवं रखरखाव शुल्क को कम आरोपित करने के कारण राजस्व हानि हुई ।**

2.2 मध्यप्रदेश के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुनर्गठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के द्वारा सकल व तकनीकी/वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करके 15 प्रतिशत तक लाने के लिए, सटीक अंतिम सूचनाओं के संग्रहण, विश्वसनीय और स्वचालित प्रणाली स्थापित करने तथा ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाने के लिए ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (यहाँ योजना के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत केन्द्रीय योजना के रूप में जुलाई 2008 में पुनर्गठित, त्वरित विद्युत व सुधार कार्यक्रम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) शुरू की गई ।

मध्यप्रदेश में इस योजना को तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में लागू किया गया था जो कि राज्य की मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मध्य डिस्कॉम), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम) हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष विद्युत वितरण कम्पनी के अनुसार निम्न रहे है :–

पूर्व डिस्कॉम

डिस्कॉम द्वारा भाग–अ के कार्यों को, सूचना प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन एजेंसी (आईटीआईए) ने निम्न प्रदर्शन के कारण निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कर सकी। इस कारण भारत सरकार द्वारा योजना की समयावधि में विस्तार कर ब्याज राशि ₹ 49.61 करोड़ को सहायता में परिवर्तित कर अतिरिक्त बोझ उठाया गया।

आईटीआईए द्वारा परियोजना का उचित क्रियान्वयन न करने से ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा में मानवीय हस्ताक्षेप को समाप्त किया जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राशि ₹ 77 करोड़ के सम्पूर्ण फीडरों का परीक्षण नहीं किया गया और सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय सकल तकनीकि और वाणिज्यिक हानियों को प्रदर्शित नहीं होने के कारण आपेरशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सके।

कार्य का अनुबंध पुराने चूंककर्ता अनुबधकर्ता के साथ करने के कारण जबलपुर शहर में वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.) को नियंत्रित करने की परिकल्पना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका और कार्य भी अनुबंध अवधि में समाप्त नहीं हुआ।

डिस्कॉम द्वारा भाग–ब के अनुबंधितो दिये गये कार्य को पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप सकल तकनीकि और वाणिज्यिक हानियों में कमी नहीं प्राप्त की जा सकी ।

डिस्कॉम द्वारा योजना के तहत प्राप्त धन के उपयोग में वित्तीय विवेक के पालन का ध्यान नहीं रखा गया और टी.के.सी. को ₹ 11.89 करोड़ का अतिरिक्त लाभ सामग्री अग्रिम/लामबंदी अग्रिम पर ब्याज न लेना और कीमत विभिन्नता के रूप में अधिक भुगतान के रूप में दिया गया।

डिस्कॉम द्वारा खरीदनीति से भिन्न जाकर ₹ 6.08 करोड़ अनुचित लाभ चूंककर्ता टर्नकी संविदाकार (टी.के.सी.) के साथ उच्च कीमत पर अनुबंध किया जाकर दिया गया ।

मध्य डिस्कॉम

योजना के भाग–अ के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा योजना की समयावधि का विस्तार कर ब्याज की राशि ₹ 24.10 करोड़ को सहायता में परिवर्तित कर अतिरिक्त बोझ उठाया गया ।

सम्पूर्ण किये गये फीडर राशि ₹ 14.29 करोड़ का परीक्षण नहीं किया गया और न ही आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी (ओ.ए.सी.) किया गया क्योंकि सूचना प्रोद्योगिकी एप्लीकेशन द्वारा फील्ड स्तर पर विश्वसनीय सकल तकनीकि और वाणिज्यिक हानियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सका।

अनुबंधकर्ता के द्वारा कार्य को निर्धारित समयावद्धि के भीतर उचित तरीके से न करने के कारण भोपाल व ग्वालियर शहर में वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.) को नियंत्रित करने की परिकल्पना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका ।

डिस्कॉम द्वारा ₹ 48.10 करोड़ का कार्य विभागीय रूप में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अनुमोदन से पूर्व किया गया जो कि योजना के दिशा निर्देशों के विपरित था।

डिस्कॉम द्वारा योजना के तहत प्राप्त धन के उपयोग में वित्तीय विवेक का पालन का ध्यान नहीं रखा गया और ₹ 16.16 करोड़ का अनुचित लाभ टीकेसी को दिया गया।

डिस्कॉम द्वारा चूककर्ता टी.के.सी. से ₹ 10.55 करोड़ की लागत और जोखिम राशि की वसूली नहीं की गई ।

पश्चिम डिस्कॉम

योजना के भाग–अ के कार्य को निर्धारित समयवद्धि में पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा योजना की समयावृद्धि का विस्तार का ब्याज की राशि ₹ 9.94 करोड़ को सहायता में परिवर्तित कर अतिरिक्त बोझ उठाया गया ।

राशि ₹ 55.36 करोड़ के सम्पूर्ण फीडरों का परीक्षण नहीं किया गया और आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये। सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वानीय सरल तकनीकि और वाणिज्यिक हानियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सका।

टी.के.सी. द्वारा निर्धारित समयावृद्धि के भीतर उचित क्रियान्वयन न कहने के कारण इन्दौर और उज्जैन में वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.) को नियंत्रित करने की परिकल्पना का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

डिस्कॉम द्वारा योजना के तहत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक का पालन का ध्यान नहीं रखा गया और टी.के.सी. को ₹ 6.54 करोड़ का अतिरिक्त लाभ किया गया ।

डिस्कॉम ने विभागीय संचालित शहरों पर योजना निधि से ₹ 8.93 करोड़ की आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय की।

प्रस्तावना

2.2.1 पुनर्गठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) की शुरूआत जुलाई 2008 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (आगे योजना के नाम से प्रयोग) में केन्द्रीय योजना के तौर पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई थी। जिसका उद्देश्य (i) सतत् रूप से वितरण कंपनियों में 15 *प्रतिशत* समग्र तकनीकी और व्यावसायिक (एटी एण्ड सी) हानियां कम करना था। तकनीकी हानियाँ जो कि उपकरणों एवं स्टेशनों के पूरी तरह संधारण, और आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश के कारण हुई हैं। जबकि वाणिज्यिक हानियों का कारण मीटरिंग की कम दक्षता, त्रुटिपूर्ण मीटर वाचन, चोरी और छोटे स्तर पर चोरिया हैं तथा (ii) सटीक बेस लाईन डाटा के संग्रहण और स्वचलित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा के लेखांकन/लेखापरीक्षा तथा बिलिंग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

योजना में जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे शहरी क्षेत्र शामिल किये गये, जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक है। योजना को दो भागों में लागू किया जाना था।

भाग–अ में ऊर्जा के लेखांकन/लेखापरीक्षा बिना मानवीय हस्तक्षेप के सटीक ढंग से ए.टी. एण्ड सी हानियों को काबू करना तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के संग्रहण तंत्र के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का विकास किया जाना था।

इस योजना में सुपरवाईजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्जीबिशन (स्काडा)/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) ऐसे केन्द्रीय नियंत्रण देने के लिए बडे शहर जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पांच लाख से अधिक है, शामिल किये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा पावर फाईनेंस निगम (पीएफसी) द्वारा स्वीकृत भाग–अ तथा स्काडा का विवरण निम्न है :

तालिका संख्या 2.2.1

डिस्कॉम का नाम	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन				डिस्कॉम द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन			
	भाग–अ		स्काडा		भाग–अ		स्काडा	
	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)
पूर्वी	27	173.52	01	20.35	27	115.69	01	16.56
मध्य	32	107.92	02	52.27	32	107.89	02	52.27
पश्चिमी	24	53.21	02	118.40	24	52.05	02	92.90
योग	**83**	**334.65**	**05**	**191.02**	**83**	**275.63**	**05**	**161.73**

(नोट :पूर्वी और मध्य डिस्कॉम द्वारा स्काडा भाग–ब कार्य के सम्बन्ध में अलग से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये)

भाग–ब में सतत विवरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुधार एवं क्षमता वृद्वि करना जिसमें सबस्टेशनों का निर्माण, एरियल बंच केवल बिछाना, दोषपूर्ण इलेक्ट्रो मेग्नेटिक मीटरों को प्रतिस्थापित करके, छेड़छाड रोधी इलेक्ट्रानिक मीटर प्रदान करना और 11 केव्ही तथा कम दबाव वाली लाईनों को बिछाना शामिल है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा पावर फाईनेंस निगम द्वारा स्वीकृत, भाग–ब का विवरण तालिका क्र. 2.2.2 में दिया गया है :–,

तालिका संख्या 2.2.2

डिस्कॉम का नाम	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत भाग–ब परियोजनाएं		पीएफसी द्वारा स्वीकृत भाग–ब परियोजनाएं	
	शहरों की संख्या	प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (₹ करोड़ में)
पूर्वी	27	662.45	27	662.45
मध्य	32	840.53	31	833.39
पश्चिमी	24	501.38	23	479.97
कुल	**83**	**2004.36**	**81**	**1975.81**

(नोटः पूर्वी और मध्य डिस्कॉम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में स्काड़ा की भाग– ब लागत शामिल है)

योजना में भारत सरकार द्वारा, पीएफसी के माध्यम से भाग–अ के लिए 100 *प्रतिशत* ऋण एवं भाग–ब के लिए 25 *प्रतिशत* ऋण दिया जाना शामिल था। शेष (75 *प्रतिशत* भाग–ब) का वितरण कम्पनियों के द्वारा वित्तीयों संस्थाओ से यथा पावर फाईनेंस निगम/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त किया जाना था। तीन साल की दी गई समयावधि में उसके पूर्ण होने पर तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (टीपीआईईए) से समुचित रूप से जाँच कराने के बाद भाग–अ की संपूर्ण ऋण अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाना था। जबकि भाग–ब के अंर्तगत भारत सरकार द्वारा दिया गया 50 *प्रतिशत* तक का ऋण नगरों में 15 *प्रतिशत* ए.टी. एण्ड सी. हानियों में कमी करने पर पाँच साल की अवधि तक सतत् रूप से टीपीआईईए द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् पाँच बराबर किश्तो में अनुदान के रूप में परिवर्तित होना था।

मध्यप्रदेश में यह योजना तीन विद्युत वितरण कंपनियों यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मध्य डिस्कॉम) एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम) में लागू की गई थी।

योजना का क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिये दी गई थी कि क्या निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और क्या वितरण कम्पनियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की संगठनात्मक संरचना

2.2.2 प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है और प्रत्येक कंपनी का प्रबंध संचालक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के तौर पर कार्य करता है जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों हेतु सक्षम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए विभिन्न विभागों यथा निर्माण और योजना, खरीद, शहरी एवं ग्रामीण परियोजना और वित्त विभाग के प्रभारी अधिकारी होते है। योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक वितरण कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विशेष तौर पर योजना कार्यो की निगरानी हेतु मुख्य महाप्रबंधक (शहरी परियोजना) सहायता करते है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या :–

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए योजना की मुख्य धारा के अनुसार बनाई गई थी;
- इस योजना के तहत प्राप्त धन कुशलता पूर्वक प्रभावी ढ़ग से तथा मितव्ययीता से उपयोग किया गया;

- योजना, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार मितव्ययी, प्रभावी व कुशलतापूर्वक लागू की गई; और
- योजना की कुशलता निगरानी के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र का उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि का आंकलन करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड थे :–

- राज्य सरकार पावर फाईनेंस निगम तथा डिस्कॉमों द्वारा हस्ताक्षर किये हुए समझौते के ज्ञापन में निर्दिष्ट लक्ष्य, ऊर्जा मंत्रालय तथा पावर फाईनेंस निगम द्वारा जारी दिशा निर्देश;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ए.टी.एण्ड सी हानियों को वांछित स्तर पर बनाये रखने के लिए लक्ष्य;
- पावर फाईनेंस निगम तथा डिस्कॉमों के मध्य हुए समझौते के ज्ञापन में निर्धारित किए गए नियम व शर्तें ;
- टर्नकी अनुबंध, खरीदी आदेश और श्रम अनुबंध में निर्धारित नियम व शर्तें; तथा
- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अन्तिम रूप से दिया गया टैरिफ आदेश;

लेखापरीक्षा की पद्धति तथा क्षेत्र

2.2.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारम्भ 16 मई 2014 को एन्ट्री सम्मेलन से हुआ था तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में जुलाई 2014 तक योजना की प्रारम्भ अवधि 2008–09 से 2013–14 तक की कार्यान्वयन अवधि में परिकल्पित उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के संदर्भ में सम्पन्न की गई। प्रत्येक डिस्कॉम के मुख्यालय में और चयनित शहरों में अभिलेखों की जाँच की गई।

सरकार द्वारा तीनों डिस्कॉमों के प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर दिये गये उत्तर अक्टूबर–2014 में प्राप्त हुए। निकास सम्मेलन में सरकार के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और तीनों डिस्कॉम के प्रबंध संचालकों के साथ भाग लिया, जो कि 7 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया था। सरकार व प्रबंधन के उत्तरों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। एक्जिट सम्मेलन में सरकार ने लेखापरीक्षा की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सम्बन्धित वितरण डिस्कॉम में अभिलेखों का परीक्षण के दौरान निम्नलिखित निष्कर्षों को पाया गया।

पूर्व डिस्कॉम

2.2.6 पूर्व डिस्कॉम 39.53 लाख उपभोक्ताओं के साथ, 23 राजस्व जिलों की बिजली वितरण आवश्यकता को पूरा करता है। यह राज्य के पूर्वी हिस्से को शामिल कर जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर और शहडोल अर्थात पांच संभागों में फैला हुआ है। पूर्व डिस्कॉम में कुल 159 कस्बे/शहर है जिनमें से 27 कस्बे/शहर जिनकी जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 30000 से ज्यादा थी, में योजना का क्रियान्वयन किया गया। नीचे दी गई तालिका का पूर्व डिस्कॉम में चयनित कस्बों प्रस्तुत डी.पी.आर., स्वीकृत डी.पी.आर. और वित्त की स्थिति को प्रदर्शित करती है।

तालिका संख्या 2.2.3

परियोजना का नाम	प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		कोष की स्थिति	
	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	प्राप्ति (₹ करोड़ में)	उपयोग (₹ करोड़ में)
भाग–अ	27	173.52	27	115.69	74.04	60.87
स्काडा	01	52.01	01	48.22		
भाग–ब	27	662.45	27	662.45	99.63	99.36

(स्त्रोत : लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)

सात शहरो यथा जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सीहोरा, कटनी, मैहर, सतना का चयन अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए किया गया। चयनित शहरों के लिए भाग–अ के लिए ₹ 90.48 करोड़ तथा भाग–ब के लिए ₹ 343.16 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी।

भाग–अ : सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र/प्रणाली की स्थापना

2.2.7 ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा, बिलिंग और आई.टी. आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रो के लिए विश्वसनीय और निरीक्षित बेसलाईन आंकडो को प्राप्त करने के लिए योजना का भाग–अ तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य एक सटीक ढंग से एटी एण्ड सी हानियों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना न्यूनतम करना था। योजना के प्रावधानों के अनुसार एकल डाटा केन्द्र (डी.सी.) और राज्य में डाटा रिकवरी सेंटर (डी.आर.सी.) स्थापित करना था। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व डिस्कॉम में डाटा सेन्टर को स्थापित किया गया।

योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन के परीक्षण में पाई गई कमियाँ इस प्रकार है :–

योजना के भाग–अ की परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब

2.2.8 योजना के अंर्तगत फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सूचना प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन एजेन्सी (आईटीआईए) के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार, एजेन्सी को परियोजना 18 महीने (अगस्त 2011) तक पूरा करना था, जिसमें कि सीहोरा पायलट कस्बा 12 माह (फरवरी 2011) और शेष 26 कस्बे छः माह की समयावधि (अगस्त 2011) तक पूर्ण करने के लिए समयावधि थी। जबकि एजेन्सी द्वारा पायलट मुख्य कस्बा सिहोरा 21 माह की देरी के साथ दिसम्बर 2012 को पूर्ण किया गया तथा शेष शहर 29 माह की देरी के साथ फरवरी–2014 को पूर्ण किये गये (विस्तृत रूप से ***परिशिष्ट 2.2.1 (अ)***। किन्तु सम्पूर्ण प्रणाली का परीक्षण और अनुबन्ध के तहत आवश्यक रूप से हस्तांतरण जुलाई 2014 तक शेष है।

देरी के लिए मुख्य कारण थे, (i) एजेन्सी के साथ किया गया अनुबंध को पावर फाईनेंस निगम द्वारा दिया अनुमति समय (सितम्बर 2009) से पांच माह की देरी से (फरवरी 2010) को अंतिम रूप दिया गया था। (ii) योजना की अनुमति मिलने/प्राप्त होने के 18 माह (जून 2010) के बाद शहरों में भाग–अ की गतिविधियां शुरू की। (iii) और एजेन्सी द्वारा परियोजना के विभिन्न चरणों को कार्यक्रमों के अनुसार लागू करने में विफलता। डिस्कॉम ने अपने पत्राचार में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एजेन्सी को जिम्मेदार ठहराते हुए इंगित किया कि एजेन्सी आवश्यकता को समझने हेतु एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करने और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों के उचित तैनाती/उपयोग में विफल रही है। हालांकि, इस परियोजना के क्रियान्वयन करने में अत्यधिक देरी के लिए एजेन्सी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी।

भाग–अ योजना विलंब से पूर्ण होने के कारण भारत सरकार को ₹ 49.61 करोड़ का अतिरिक्त भार योजना आगे बढ़ाकर करना पड़ा

परियोजना के भाग–अ के निष्पादन में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा योजना की समयावधि 37 माह (मार्च 2015) तक बढ़ाई गई तथा ब्याज (11.50 *प्रतिशत*) की राशि ₹ 49.61 करोड़ को अवशोषित कर अतिरिक्त भार उठाया गया। जैसा कि परियोजना के ऋण के साथ ब्याज योजना के भाग अ के तहत भारत सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तित किया जाना था।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर–2014) कि परियेाजना के निष्पादन में देरी की वजह इसकी जटिल प्रकृति का होना था और कोई भी राज्य तीन साल की निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना को पूरा नहीं कर सका था। निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में सरकार ने इंगित किया कि, योजना का विस्तार मार्च 2015 तक करते हुए भारत सरकार को इस योजना पर होने वाले अतिरिक्त भार की जानकारी थी।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, भारत सरकार/पावर फाईनेंस निगम द्वारा प्रणाली आवश्यकताओं विशिष्टिकरण में विस्तार से योजना की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर दिया था और यह प्रस्ताव दस्तावेज में अनुरोध के माध्यम से बोली लगाने वाले को स्पष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा डिस्कॉम /एजेन्सी, भाग–अ को शुरू कर बिना देरी किये पूरा करता तो इस योजना पर अतिरिक्त बोझ से बचा जा सकता था।

इस सम्बन्ध में मध्य डिस्कॉम तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा पैराग्राफ : 2.2.26 और 2.2.44 में की गई है।

आईटीआईए द्वारा परियोजना का उचित कार्यान्वयन न किये जाने के कारण परिकल्पित उद्देश्यों की उपलब्धि न होना

2.2.9 मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक स्वचालित प्रणाली द्वारा बिलिंग के लिए ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए ऊर्जा बिलिंग के लिए एक सक्षम व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रणाली आईटीआईए के लिए विकसित करना आवश्यक था। आईटीआईए द्वारा विकसित की गई आई.टी. प्रणाली की समीक्षा करते हुए निम्न देखा गया :

योजना के अंतर्गत व्यापक बिलिंग प्रणाली का विकास न करना

2.2.10 एस.आर.एस. के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) टैरिफ आदेश के तहत् निर्दिष्ट प्रावधानों के साथ ऊर्जा के बिल तैयार करने में सक्षम व्यापक बिलिंग प्रणाली को आईटीआईए द्वारा विकसित किया जाना था और डिस्कॉम के सम्पूर्ण उपभोक्ताओं को इसके दायरे में लाया जाना था। हालांकि केवल 60.10 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को (20.99 *प्रतिशत* कम दाब और 99.22 *प्रतिशत* अधिक दाब) नई बिलिंग प्रणाली/आवेदन के एप्लीकेशन के दायरे में लाया गया शेष 40 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को छोड़ दिया गया।

डिस्कॉम में उच्च दाब बिलिंग माड्यूल, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा संचालित न होकर आईटीआईए द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। आईटीआईए द्वारा सर्तकता माडयूल का उपयोग/प्रयोग जुलाई 2014 तक लागू नहीं किया था। जबकि संचालक समिति की बैठकों में (अप्रैल–2012 व अप्रैल–2013) में लागू करने की प्रतिबद्धता की थी। डिस्कॉम में वर्तमान में बिलिंग के लिए विभिन्न प्रणाली/अंतप्रयोगों (साईबेस/राजस्व प्रबंधन प्रणाली और आरएपीडीआरपी) मौजूद है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि नये एप्लीकेशन में गैर आरएपीडीआरपी कस्बों को शामिल करने का उत्तरदायित्व आईटीआईए का था और इस मामले को आईटीआईए में अनुसरण किया गया था। आगे कहा गया कि सर्तकता मॉडयूल विकसित किया गया था और तीन महीने की अवधि में लागू किया जावेगा।

योजना के तहत् सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का अप्रभावी कार्यान्वयन

2.2.11 आई.टी.आई.ए. के साथ किये अनुबंध की शर्तो के अनुसार, परियोजना के पूर्ण हो जाने पर पूरे सिस्टम के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा एस.आर.एस. के अनुसार (i) विकसित आई.टी. प्रणाली विभिन्न क्रियाकलापो के प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय सीमा के संदर्भ में परिचालन की गारंटी सुनिश्चित करना चाहिए (ii) आई.टी.आई.ए. को डेटा सेंटर और डाटा रिकवरी सेंटर में हार्डवेयर व साफ्टवेयर को प्रदान इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि यह सिस्टम/प्रणाली निर्दिष्ट 7.5 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्वि के साथ सभी डिस्कॉम के डेटाबेस को अगले पाँच साल में आच्छादित कर लें।

आईटीआईए, योजना में वांछित प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली क्रियान्वित करने में सफल नहीं रहा

हमने देखा कि आई.टी.आई.ए. द्वारा कुल 83[1] शहर में से 80[2] शहर को बिना उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण आयोजित कर प्रणाली प्रवृत्त घोषित कर डिस्कॉम को सौंप दिया था। आगे लेख है कि डिस्कॉम में पूर्ण डाटा बेस का केवल 25 *प्रतिशत* डेटाबेस का निर्गम जुलाई 2014 तक किया था। लेकिन सिस्टम का प्रदर्शन और घंटे के समय से बहुत ही धीमा था। जबकि 75 *प्रतिशत* डेटाबेस का निर्गम करना शेष हैं। इस योजना के तहत की गई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति का डिस्कॉम द्वारा व्यापक विश्लेषण नहीं किया जिससे कि निर्दिष्ट परिचालन गारंटी को पूरा नहीं करने के कारणों को जाना जा सकें।

डिस्कॉम ने आई.टी.आई.ए. को इस योजना के अंतर्गत खराब हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया था, जो कि आई.टी.आई.ए. कमियों को दूर करने तथा आवश्यक आपूर्ति पाने के लिए पूर्वगामी था। इस कारण हार्डवेयर/साफ्टवेयर में जो कमियां थी, उन्हें अतिरिक्त आपूर्ति के रूप में निशुल्क प्राप्ति के अवसर से डिस्कॉम को वंचित होना पड़ा, जैसा कि एस.आर.एस. में कहा गया है।

यहां तक कि सिहोरा पायलट शहर के प्रणाली प्रवृत्त घोषित करने के 20 माह से अधिक समय लगा। साथ ही नरसिंगपुर, मंडला, सतना शहर में असंगत और गलत बिलिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली में सम्पत्तियों के गैर अपडेशन, सटीक एम.आई.एस. रिपोर्ट न होने जैसी समस्याएं अभी भी विद्यमान है।

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में सरकार ने ऊपर उल्लेखित किए लेखापरीक्षा निरीक्षण टिप्पणियों पर सहमति जताते हुए कहा कि आई.टी.आई.ए. परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में मध्य डिस्कॉम तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष पैराग्राफ 2.2.27 एवं 2.2.46 में चर्चा की गई है।

अनुशंसा :– डिस्कॉम को परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईटीआईए, एसआरएस के अनुसार एक प्रभावी आई.टी. प्रणाली लागू करें।

योजना के तहत् विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के प्रदर्शन में विसंगतिया

2.2.12 ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा और बिलिंग के संचालन के लिए परियोजना के तहत् विकसित एप्लीकेशन के काम–काज पर परीक्षण जांच उपरांत निम्नलिखित विसंगतियॉ पाई गयी :

[1] पूर्व क्षेत्र के 27 शहर, मध्य क्षेत्र के 32 शहर तथा पश्चिम क्षेत्र के 24 शहर
[2] पूर्व क्षेत्र के 27 शहर, मध्य क्षेत्र के 31 शहर तथा पश्चिम क्षेत्र के 22 शहर

स्थायी प्रभारों का निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं के विरूद्व अधिक निर्धारण

2.2.13 एमपीईआरसी टेरिफ आर्डर के अनुसार एल.वी. 1.2 वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क अधिकृत भार 0.5 किलोवाट के आधार पर तय होने थें। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक 75 इकाईयों की खपत 0.5 किलो वाट के बराबर के रूप में लिया गया था।

स्थायी प्रभारों को एमपीईआरसी के टैरिफ आदेश से भिन्न लगाये जाने के कारण ₹ 49.81 लाख की अधिक बिलिंग की गई जिससे 78516 उपभोक्ता प्रभावित हुए

हमने देखा कि एप्लीकेशन द्वारा संधारित श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिल में स्थाई प्रभार पाने के लिए अधिकृत लोड़ फेक्टर को अगले अंक तक बढ़ा दिया। जबकि आंशिक लोड़ फेक्टर 0.5 से कम था। यह टेरिफ आर्डर में इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सामान्य नियमों तथा शर्तों तथा इन उपभोक्ताओं हेतु दी गई टीप के प्रतिकूल था। परिणामस्वरूप डिस्कॉम के उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क से ₹ 49.81 लाख की अधिक बिलिंग एक महीने में हुई थी जिसने 78,516 उपभोक्ताओं को प्रतिकूल प्रभावित किया था।

सरकार ने (अक्टूबर 2014) उत्तर दिया कि टैरिफ आर्डर (2013–14) के अनुसार, प्रत्येक 75 इकाईयों या उसके भाग 0.5 किलोवाट के रूप में माना जाता था और तद्नुसार 75 इकाईयों के बाद प्रत्येक एकल इकाई निर्धारित शुल्क पहुंचने के लिए 0.5 किलोवाट के रूप में लिया गया था।

यह उत्तर मान्य नहीं है जबकि टैरिफ आदेश में इंगित है कि एल.वी श्रेणी सामान्य नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत अधिक लोड़/भार 0.5 से कम होने पर इसे नजर अंदाज किया जाकर अगले पूर्णांक तक बढ़ाकर नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा टैरिफ आदेश में दिये गए उदाहरण में भी वही दोहराया गया था।

इस सम्बन्ध में पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा पैरा 2.2.48 की गयी है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के तहत् ऊर्जा आंकडो का निम्न संचार

2.2.14 सतत् आधार पर ऊर्जा संग्रहक/डाटा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डी.टी.आर. पर मीटर मोडम और जी.पी.आर.एस. सिम्स की स्थापना के लिए प्रदाय योजना थी। मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक स्वचलित तरीके से सटीक ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए मीटर मोडेम डाटा/संग्रहक के निरंतर संचरण आवश्यक था।

आईटी प्रणाली में निम्न संचार के कारण ऊर्जा लेखांकन/ लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप हटाया नहीं जा सका

हमने देखा कि, 633 मोडेम को डी.टी.आर. पर स्थापित किया जाना शेष है और स्थापित 6393 मोडेम में से केवल 3702 मोडेम में ही मोडेम संचार स्थापित किया गया था। मई–2014 के दौरान मोडेम डाटा सम्प्रेषण 10.91 प्रतिशत और 81.74 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार वितरण/डिस्कॉम से, ऊर्जा डेटा में अंतराल को भरने के लिए पुस्तिका लिखित/हस्तलिखित प्रविष्टियां करने को मजबूर हुआ था। जिससे कि ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा आई.टी.आई.ए को स्थापना के लिए सौंपी गई 409 सक्रिय सिम्स निष्क्रिय रखी हुई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकारते हुए सरकार ने (अक्टूबर 2014) जवाब दिया कि मीटर मोडेम संचार दोषपूर्ण/जले हुए मोडेम के कारण बहुत कम था और इस मुद्दे को आईटीआईए के साथ उठाया गया था, लेकिन आईटीआईए द्वारा संसाधन की समस्या का हवाला देकर हल नही किया गया।

इस सम्बन्ध में मध्य और पश्चिमी डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अवलोकन की चर्चा 2.2.30 और 2.2.47 में की है।

एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय एटी एण्ड सी हानियों का प्रदर्शन न किया जाना

2.2.15 इस योजनाअंतर्गत टी.के.सी. के साथ किये अनुबंध के अनुसार, डिस्कॉम द्वारा टीकेसी के माध्यम से पूर्ण किये गये फीडरों पर एटीएण्डसी हानियां नौ प्रतिशत प्राप्त होनी चाहिए, यदि फीडर कार्य पूर्ण हो गया हो और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो।

विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियां प्रदर्शित नहीं होने के कारण ₹ 77 करोड़ के कार्य पूर्ण होने के बावजूद उनके संचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सके

हमने देखा कि ₹ 77 करोड़ के फीडर कार्य पूर्ण होने के बावजूद विश्वसनीय ए.टी. एण्ड सी. हानियों का प्रदर्शन नहीं किया गया था और आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये थे। प्रमाण पत्र जारी होने और आपरेशनल स्वीकृति जारी करने में छह से 24 महीनों की देरी हुई। जिससे डिस्कॉम को संपूर्ण फीडर की कार्यक्षमता का पता नहीं चल सका। यह मुख्यतया भाग–अ एप्लीकेशन के फीडर और शहरी स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को प्रदर्शित न होने के कारण थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकारते हुए सरकार ने अक्टूबर–2014 में उत्तर दिया कि भाग–अ एप्लीकेशन के फीडर और शहरी स्तर पर विश्वसनीय एटी एण्ड सी हानियों को दर्शाने में असमर्थ रहने के कारण आपरेशन स्वीकृति जारी नहीं किये गये थे।

इस सम्बन्ध में मध्य तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा पैराग्राफ : 2.2.31 एवं 2.2.49 में की है।

अनुशंसा :– डिस्कॉम को आईटीआईए पर एप्लीकेशन सुधारने के लिए जोर देना चाहिए जिससे सम्पूर्ण फीडरों का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

अतिरिक्त सामग्री की खरीदी में देरी तथा परामर्श अनुबंध का विस्तार करने के कारण अपरिहार्य व्यय

2.2.16 आई.टी.आई.ए. के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति (मूल मात्रा से 20 प्रतिशत अधिक) अनुबंधित मूल्य पर 18 माह के भीतर की जा सकी। इसके अलावा, आई.टी.आई.ए. के द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने में देरी के कारण डिस्कॉम द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार अतिरिक्त व्यय को आई.टी.आई.ए. पर भारित किया जाना था।

अनुबंध शर्तों पर ध्यान न देने के कारण ₹ 43.35 लाख का अपरिहार्य व्यय हुआ

हमने देखा कि, डिस्कॉम ने सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीदी 18 माह की अवधि के भीतर नहीं करके कीमत विभिन्नता के साथ की और ₹ 20 लाख का अपरिहार्य व्यय किया। साथ ही आई.टी.आई.ए. द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने मे देरी से परामर्श अनुबंध का विस्तार कर ₹ 23.25 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया। परन्तु अनुबंध के अनुसार व्यय को आई.टी.आई.ए. पर डाला नहीं गया था।

सरकार ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में कहा कि पीएफसी ने परियोजना के अंत में केवल एक बार संशोधित डी.पी.आर. अर्थ विस्तृत परियोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। इस प्रकार यहाँ अतिरिक्त मात्रा के लिए आर्डर देने में देरी हो गई थी और वे कीमत विभिन्नता के साथ खरीदे गये।

सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि पी.एफ.सी. ने केवल परियोजना के अंत में एक बार संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। किन्तु परियोजना के निष्पादन के तहत् आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीद से उन्हें रोका नहीं था। इस प्रकार डिस्कॉम ने मूल उर्द्धत मूल्य पर सामग्री की अतिरिक्त मात्रा को खरीदने का एक अवसर खो दिया।

इस सम्बन्ध में मध्य तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अवलोकन की चर्चा पैराग्राफ 2.2.29 तथा 2.2.45 में की है।

पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली

2.2.17 योजनान्तर्गत स्काडा/वितरण प्रबंध प्रणाली (डीएमएस) परियोजना बड़े शहरों के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रण प्रणाली (डीएमएस) के लिए कार्यान्वित की थी। पूर्व डिस्कॉम में स्काडा को ₹ 48.22 करोड़ की स्वीकृति के साथ लागू किया गया था। स्काड़ा के अंतर्गत टीकेसी को लाईन तथा उपस्टेशनों पर काम करना था और नियंत्रण कक्ष के साथ एकीकृत करके केन्द्रीयकृत नियंत्रण प्रणाली को लागू करना था।

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण परियोजना कमजोर क्रियान्वयन

2.2.18 जबलपुर शहर, 29 उप–स्टेशनों को शामिल कर ₹ 48.22 करोड़ रूपये की स्वीकृति लागत के साथ स्काडा परियोजना क्रियान्वयन के लिए चुना गया था। स्काडा के लिए केन्द्रीकृत निविदा प्रक्रिया, भाग–ब हेतु दो बोली प्रणाली के अंतर्गत पूर्वी डिस्कॉम द्वारा किया गया था। निविदा के विरूद्ध आठ फर्मों ने प्रतिक्रिया दी तथा संविदागत अनुमानित लागत के 7.20 *प्रतिशत* नीचे उद्धत, निम्न निविदा कर्ता (एल–1) को ठेका अप्रैल 2012 में सौंपा गया।

कार्य का ठेका पूर्व त्रुटिकर्ता को दिये जाने के कारण स्काडा परियोजना निष्पादन में कमी रही तथा पूर्ण भी नहीं हो सकी

हमने जांच में पाया कि चयनित पार्टी को (भाग–ब के टीकेसी) पुराने ठेके कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने के कारण डिस्कॉम द्वारा कानूनी और ठेका समाप्ति का नोटिस दिया गया था। पिछले ठेके कार्य में एक संतोष जनक प्रदर्शन नहीं होने के कारण डिस्कॉम को इस टीकेसी को उपयुक्त न मानते हुए स्काडा/ भाग–ब कार्य नहीं सौंपना चाहिए था।

टीकेसी के साथ स्काडा के भाग–अ और भाग–ब कार्यो के लिए किए अनुबंध के अनुसार, ठेके कार्य को अनुबंध तारीख से 18 माह के भीतर (जून 2013 और अक्टूबर 2013) पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि टीकेसी द्वारा इस परियोजना को नवम्बर 2014 क्रमशः 17 महीने और 13 दिन के देरी के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।

स्काड़ा कार्यान्वयन की समीक्षा करने पर निम्नलिखित कमियों को देखा :–

- मुख्यतः टीकेसी द्वारा भाग–ब का संतोषजनक क्रियान्वयन न होने के कारण परियोजना को समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका। जुलाई–2014 तक 29 में से केवल पांच उप–स्टेशन ही पूरे किये गये थे।
- स्काडा के भाग–अ का टीकेसी उप–स्टेशनों की लिंक नियंत्रण के साथ नहीं कर सका क्योंकि यह कार्य भाग–ब के द्वारा उप–स्टेशनों के सभी मामले का काम पूरा करने के बाद ही शुरू किया जा सकता था।
- टीकेसी द्वारा परियोजना के अंतर्गत आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री की पर्याप्त मात्रा नहीं रखी थी विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट 2.2.3 (अ)*** तथा लाईन के कार्य पर प्रारम्भिक चरणों की प्रगति नहीं रखी गई थी।
- टीकेसी के द्वारा स्काडा परियोजना का असंतोषजनक क्रियान्वयन के कारण बड़े शहरों के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रण प्रणाली का डीएमएस उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि की तथा कहा (अक्टूबर–2014) कि भाग–ब के टीकेसी को अतीत में केवल कानूनी और ठेके समाप्ति नोटिस जारी किये गए थे, लेकिन टीकेसी को किसी भी डिस्कॉम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया था। इसलिए बोलियो पर विचार कर उन्हें कार्य दिया गया था।

उत्तर मान्य करता है कि डिस्कॉम द्वारा टीकेसी के खराब रिकार्ड के बावजूद उनकी बोली को मान्य किया गया, जिसके कारण परियोजना के निष्पादन में देरी हुई।

इस सम्बन्ध में मध्य तथा पश्चिमी डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा पेराग्राफ 2.2.33 और 2.2.51 में की गई है।

अनुशंसा : डिस्कॉम द्वारा ऐसी पार्टियों को कार्य प्रदान नहीं करना चाहिए, जिनका पूर्व ट्रेक रिकार्ड पुराने अनुबंधो में खराब हो, ताकि कार्य में विलंब से बचा जा सकें।

भाग–बी :– वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, सुधार और विस्तार

2.2.19 इस योजना का भाग–ब के अंतर्गत उपस्टेशनों का निर्माण दोषपूर्ण मीटर के स्थान पर छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रानिक मीटर की प्रतिस्थापन, नग्न कंडक्टर के स्थान पर एरियल बन्च केबल को लगाना और 11 के.वी. और कम तनाव लाईन का निर्माण करना था। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार भाग–अ और भाग–ब को निष्पादन करने के लिए औपचारिक अनुमोदन एक साथ लिए जा सकते थे सिवाय भाग–ब से सम्बन्धित क्षेत्र की गतिविधियों को बाद में शुरू किया जाना था।

डीपीआर के अनुमोदन से पूर्व कार्यों का विभागीय निष्पादन

2.2.20 वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए योजनान्तर्गत निर्माण कार्य पॉवर फायनेंस निगम (पी.एफ.सी.) द्वारा इस योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए था, हमने देखा कि डिस्कॉम ने डीपीआर का अनुमोदन/मंजूर किये जाने से पहले आठ शहरों में विभागीय कार्यो को हाथ में लिया और ₹ 2.65 करोड़ खर्च किये थे। अतः इस राशि को योजना के तहत् पीएफसी से दावा नहीं किया जा सका।

सरकार ने उत्तर (अक्टूबर 2014) दिया कि डिस्कॉम के द्वारा योजना को निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने के लिए डीपीआर के अनुमोदन और अनुबंध को देने के बीच की अवधि के दौरान काम को शुरू किया था और डिस्कॉम द्वारा इस राशि का दावा पीएफसी को प्रस्तावित किया गया।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राशि व्यय पीएफसी से औपचारिक मंजूरी के बिना किए गये थे तथा डिस्कॉम द्वारा अद्यतन (नवम्बर 2014) व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए दावा पीएफसी द्वारा किया जाना प्रस्तावित था।

उपरोक्त संदर्भ में मध्यक्षेत्र डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अवलोकन पर चर्चा कंडिका क्र. 2.2.39 में की गई हैं।

अनुशंसा : डिस्कॉम को तुरंत ही दावा पीएफसी/भारत सरकार को प्रस्तुत कर व्यय की शीघ्र जल्दी प्रतिपूर्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

योजना के भाग–ब को पूरा होने में अत्यधिक विलंब

2.2.21 योजना के भाग–ब के कार्य, किए गये अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार अनुबंधित कार्य अनुबंध करने से 18 महीने के भीतर पूर्ण होना चाहिए था और पीएफसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना को मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था।

डिस्कॉम भाग–ब के कार्यो को 21 माह के विलंब पश्चात भी पूर्ण नहीं कर सका

डिस्कॉम में स्वीकृत 27 शहर में से, 26 शहरों को (मार्च से दिसम्बर 2011) टर्नकी के आधार के तहत् आठ टी.के.सी. को 16 लॉट में दिया गया और एक शहर को विभागीय स्तर पर लिया गया। (विस्तृत रूप में ***परिशिष्ट 2.2.2 (a)*** में है। डिस्कॉम ने निर्धारित की गई 18 महीने की अवधि के भीतर कुल 12 शहरों (एक विभागीय ओर 11 टर्नकी कस्बों) को पूरा कर लिया है और शेष 15 शहरों/कस्बों को 21 माह की देरी के बाद भी जुलाई–2014 तक पूरा नहीं किया जा सका था।

इन शहरों में कार्य का पूरा न किये जाने का मुख्य कारण (क) भाग–अ के डीपीआर अनुमोदन (फरवरी–2009) किए जाने के 12 से 16 महीने के बाद डीपीआर को प्रस्तुत

करना और भाग–ब के डी.पी.आर. के अनुमोदन (जून से अगस्त 2010) 7 से 16 महीने के बाद ठेके/अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना (ख) एक से अधिक बिलिंग शहर/कस्बे का काम एक टीकेसी को बिना वित्तीय क्षमता का आंकलन बोली मूल्यांकन चरण के दौरान नहीं किया गया। (स) टीकेसी के द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री ओर मानवशक्ति को नहीं लगाया जाना। (घ) डिस्कॉम द्वारा नई लाईनों के निर्माण के लिए कार्य योजना का न होना (च) दोषपूर्ण मीटर से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध न होना। (ई) डीपीआर में मात्रा का अनुचित आंकलन।

सरकार ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर–2014) कार्य को दिये जाने में देरी का कारण निविदा पूर्व की पूर्व बोली व्यवस्था और अन्य मूल्यांकन व्यवस्था में तीन से चार महीने का समय अक्टूबर 2010 तक लिया जाना था। अनुबंध हेतु कुछ प्लॉट के लिए प्राप्त दर बहुत उच्च पाई जाने के कारण डिस्कॉम ने फिर से बोलियों को प्राप्त करने का फैसला लिया। आगे बताया है कि टीकेसी को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति और सामग्री जुटाने के निर्देश दिए गये थे।

सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डिस्कॉम द्वारा परियोजना के प्रत्येक चरण में असामान्य समय लगाया जैसे :– डी.पी.आर. प्रस्तुत करना, कार्य को सौंपना निर्धारित अवधि के काम का निष्पादन करने में और योजना के तहत् प्राप्त किए जा रहे सुविधाओं को लम्बे समय के बाद तक प्राप्त करना।

मध्य तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा 2.2.35 एवं 2. 2.53 में की गई है।

अनुबंध के नियम तथा शर्तों का अनुपालन न किया जाना

2.2.22 अनुबंध की शर्तो के अनुसार डिस्काम द्वारा (क) सामग्री और निर्माण की एक्स कार्य की लागत के 10 *प्रतिशत* तक अग्रिम देना था। (ख) उक्त अनुबंध की 18 माह की अवधि पूरी होने के बाद असमायोजित अग्रिम पर प्रभारी ब्याज के रूप में राशि ली जायेगी। (ग) बिल का भुगतान 70 *प्रतिशत* तक सीमित कर शेष में से 10 *प्रतिशत* का समायोजन अग्रिम में और 20 *प्रतिशत* का रोककर रखा जाएगा तथा लामबंदी अग्रिम जिसका भुगतान टीकेसी को परिचालन स्वीकृति प्राप्त होने के प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भुगतान किया जाएगा।

डिस्कॉम द्वारा भुगतान शर्तो का पालन न करने के कारण टीकेसी को ₹ 11.89 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया

हमने पाया कि डिस्कॉम ने अनुबन्ध की शर्तों तथा नियम का पालन नहीं किया (क) ₹ 54 लाख का अतिरिक्त लामबंदी अग्रिम का भुगतान प्रवेश कर के तत्व को बोली मूल्य से छोड़कर नहीं किया गया था। (ख) असमायोजित अग्रिम पर ₹ 6.51 करोड़[4] रूपये को 11.50 *प्रतिशत* की दर से वसूला नहीं गया। (ग) कीमत विभिन्नता की राशि ₹ 4.84 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया, प्रतिधारण राशि रोके बगैर किया। इस प्रकार टीकेसी के लिए ₹ 11.89 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में सरकार ने बताया कि अधिक भुगतान किये गये अग्रिम राशि की वसूली की जायेगी। साथ ही बताया गया कि असमायोजित अग्रिम के विरूद्ध ब्याज भारित करने का प्रावधान अनुबंध में था। आगे यह कि कीमत विभिन्नता का भुगतान अनुबंध के अनुसार था।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिस्कॉम अनुबंध की शर्तो के अनुसार अग्रिम का भुगतान, असमायोजित अग्रिम पर ब्याज के पालन में विफल रही। आगे यह भी कि कीमत विभिन्नता की राशि परिचालन स्वीकृति के अभाव में टीकेसी को जारी की गई।

[3] समस्त कर तथा लेव्ही जैसे कि उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर, मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर रहित।

[4] इसमें स्काडा भाग–ब के अंतर्गत टीकेसी का लागबंदी अग्रिम पर ब्याज ₹ 67.35 शामिल है।

मध्य तथा पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित में लेखापरीक्षा निष्कर्षो को पैराग्राफ 2.2.37 एवं 2.2.54 में दिया गया है।

अनुशंसा : डिस्कॉम को वित्तीय विवेक अपनाते हुए अतिरिक्त/अयोग्य भुगतान की वसूली टीकेसी से करना चाहिए।

चूककर्ता फर्म को एक ही शहर में अनुबन्ध प्रदान करना।

2.2.23 डिस्कॉम ने लॉट बारह (XII) कार्य को ₹ 33.65 करोड़ में टीकेसी से कार्य करने के लिए दिया गया था, कार्य की शुरूआत विस्तारित अवधि (अक्टूबर–2011) तक नहीं करने के कारण जमा धरोहर राशि ₹ 33 लाख को जब्त कर अनुबन्ध को निरस्त किया गया और टीकेसी को बोली के दस्तावेजों के अनुसार दोषी माना गया।

डिस्कॉम की खरीदी नीति के अनुसार, दोषी को पंजीकृत सूची से हटाकर तीन साल के लिए काली सूची में डालना चाहिए, परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। जिसके कारण दोषी टीकेसी ने 2 नवम्बर 2011 को जारी अधिसूचना, 45 दिनों की आदर्श समयावधि के स्थान पर 16 दिनों के समय के साथ उसी कार्य के लिए बोली में भाग लिया।

डिस्कॉम द्वारा चूंककर्ता टीकेसी को ₹ 6.08 करोड़ का अनुचित लाभ काली सूची में शामिल न करके तथा आगे की निविदा प्रक्रिया में उन्हीं कार्यो हेतु भाग लेने दिये जाने के कारण दिया

हमने देखा कि डिस्कॉम को इस बोली के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो कि बोली की समयावधि में कमी के कारण थी। केवल दो बोलियॉ जिसमें से एक चूककर्ता जिसको पिछली बोली में कम दरों में प्राप्त हुई थी, निम्न बोली दाता के रूप में उभरा। इस बोली में निम्न बोली दाता के द्वारा उद्धत मूल्य पिछले बोली से मूल्य ₹ 6.41 करोड़ रूपये ज्यादा था। इस तरह ₹ 6.08 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दोषी चूंककर्ता टीकेसी को दिया गया था।

निकास सम्मेलन में सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि संस्था का नाम काली सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बोली शर्तो में यह प्रावधान नहीं था।

सरकार का उत्तर तर्क संगत नहीं है, जैसे कि डिस्कॉम खरीद नीति से हटकर चूंककर्ता को अनुचित लाभ देकर उसी शहर के लिए बोली में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। इस सम्बन्ध में यह प्रासंगिक है कि पश्चिम डिस्कॉम ने खरीदी नीति के अनुसार एक चूककर्ता/दोषी टीकेसी को योजना के अंतर्गत कार्य की शुरूआत न करने पर तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया गया था।

अनुशंसा : डिस्कॉम को सख्ती से खरीद नीति का पालन करना चाहिए और चूंककर्ता बोलीदाताओं को निविदाताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मध्य डिस्कॉम

2.2.24 मध्य डिस्कॉम, राज्य के मध्य भाग को समाहित कर तीन संभाग यथा भोपाल, ग्वालियर ओर चम्बल में फैले 27.81 लाख उपभोक्ताओं के साथ 13 राजस्व जिलों की बिजली वितरण की आवश्यकता को पूरा करता हैं। मध्य डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में शहरों की कुल संख्या 90 के विरूद्ध 2001 की जनगणना के अनुसार 30000 से अधिक आबादी वाले 32 शहरों में योजना को लागू किया गया था।

मध्य डिस्कॉम में इस योजना को 32 शहरों में लागू किया गया था और योजना का भाग–ब को 31 शहरों में मंडीदीप को छोड़कर जिसमें कि ए.टी. एण्ड सी हानियां 15 *प्रतिशत* से नीचे थी, लागू किया गया था। नीचे दी गई तालिका मध्य डिस्कॉम के चयनित कस्बों प्रस्तुत डीपीआर, स्वीकृत डीपीआर और वित्त व्यवस्था के ब्यौरों को इंगित करती है।

तालिका संख्या 2.2.4

परियोजना का नाम	प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		कोष की स्थिति	
	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	प्राप्ति (₹ करोड़ में)	उपयोग (₹ करोड़ में)
भाग–अ	32	107.92	32	107.89	80.40	64.10
स्काडा	02	101.32	02	101.32		
भाग–ब	32	840.53	31	833.39	389.93	396.01

(स्त्रोत : लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)
(नोट : उपयोग की गई निधि में सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज और चूंक कर्ता टीकेसी के विरूद्व नगदीकरण की गई बैंक गारंटी शामिल है)

हमने भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, भिण्ड मुरैना और दतिया कुल आठ शहरों का चयन रिकार्डों की विस्तृत जांच के लिए किया था चयनित शहरों के लिए योजना के भाग–अ के अंतर्गत ₹ 79.95 करोड़ रूपये तथा भाग–ब के लिए ₹ 614.87 करोड़ रूपये की संस्वीकृत लागत को शामिल किया गया।

भाग– अ : सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की स्थापना

2.2.25 भाग–अ के अंतर्गत एक सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की स्थापना करना था, जिसके द्वारा मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक ढंग से एटीएण्डसी हानियों को संगणित किया जा सके। एकल डेटा केन्द्र ओर राज्य में डाटा रिकवरी केन्द्र के निर्माण की योजनानुसार संग्रहक डेटा केन्द्र मध्य क्षेत्र डिस्कॉम में स्थापित किया गया था। नमूना जाँच के दौरान भाग–अ के क्रियान्वयन में पाई गई कमियां निम्न हैं :–

योजना के भाग–अ परियोजना के पूरा करने में अत्यधिक देरी

2.2.26 जैसा कि पेराग्राफ 2.2.8 में उल्लेखित है कि आईटीआईए द्वारा मुख्य शहर विदिशा को 21 महीने की देरी के साथ दिसम्बर 2012 में ओर शेष 31 शहरों को जुलाई–2014 में पूरा किया गया। मुख्य शहर भोपाल को पूरा किया जाना शेष है जैसा कि ***2.2.1 (b) परिशिष्ट*** में दिया गया है। आईटीआईए द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के कारण भारत सरकार ने योजना की समयावधि को 37 महीने (जून 2015) तक बढ़ाकर राशि ₹ 24.10 करोड़ के अतिरिक्त भार को वहन किया।

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में सरकार ने कहा कि, भारत सरकार को इस योजना का विस्तार मार्च–2015 तक करते हुए अतिरिक्त वित्तीय भार के बारे में जानकारी थी।

यह उत्तर मान्य नहीं हैं जबकि डिस्कॉम और आईटीआईए योजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने में असमर्थ रहे थे। भारत सरकार द्वारा योजना की समयावधि का विस्तार योजना पर अतिरिक्त भार के साथ किया था। इसके अलावा यदि डिस्कॉम /आईटीआईए भाग–अ के कार्य को बिना देरी के शुरू करके खत्म करना चाहिए था जिससे अतिरिक्त भार से बचा जा सकता था।

योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का अप्रभावी कार्यान्वयन

2.2.27 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.11 में चर्चा की गई थी, उपभोक्ताओं की कुल संख्या का मात्र 22.90 प्रतिशत (22.90 *प्रतिशत* कम दाब तथा 22 *प्रतिशत* अधिक दाब) को नए सिस्टम/तंत्र के अंतर्गत निगरानी में लाया गया। ओर शेष 77.10 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को छोड़ा गया। सात में से केवल दो क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के उच्चदाब

उपभोक्ताओं के बिलिंग को आईटीआईए द्वारा पीछे से संचालित किया जा रहा है। जिससे डिस्कॉम पूर्णरूप से आईटीआईए पर निर्भर है।

यहां तक कि पायलट शहर विदिशा के प्रणाली प्रवृत्त (दिसम्बर–2012) घोषित होने के 20 माह के बाद भी ग्वालियर संभाग में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का डेटा बेस में अंतराल, जैसे 7000 उपभोक्ताओं का प्रदर्शित न होना, ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा के लिए ऊर्जा डेटा का संचार उपयुक्त न होना, जी.आई.एस. में एलटी लाईन का प्रदर्शन न होना, जहाँ समग्र लाईन मौजूद था। स्थानांतरण प्रक्रिया का असमर्थ प्रदर्शन और सटीक एम.आई.एस. विवरण का उपलब्ध न होना, जैसी समस्याओं का (नवम्बर–2014) बना रहना था।

निकास सम्मेलन में (नवम्बर–2014) में सरकार ने ऊपर उल्लेखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमत होकर कहा कि आईटीआईए परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं था।

आईटीआईए से दांडिक शुल्क की वसूली न किया जाना

2.2.28 शहरों में नेटवर्क बैंडविथ सेवाओं के लिए डिस्कॉम द्वारा किए गए अनुबंध की शर्तो के अनुसार शहरों के लिंक करने में होने वाली दो महीने की देरी तक लिंक शुल्क का भुगतान करने का दायित्व डिस्कॉम पर था और दो महीने से अधिक की देरी पर लिंक शुल्क आईटीआईए से वसूल किया जाना था।

नेटवर्क लिंक से शहरों के जोड़ने का कार्य विलंब से होने के कारण ₹ 1.31 करोड़ की दाण्डिक ब्याज राशि टीकेसी से वसूल नहीं की गई

हमने बैंडविथ सेवा प्रदाता द्वारा शहरों के लिए उपलब्ध कराये लिंक और आईटीआईए द्वारा उपलब्ध वास्तविक कनेक्शन की समीक्षा उपरान्त पाया कि आईटीआईए द्वारा कस्बों/शहरों को जोड़ने में विलम्ब, 1 माह से कम तथा 18 माह के बीच अनुज्ञेय दो महीने की अवधि से अधिक था। डिस्कॉम द्वारा ₹ 1.31 करोड़ के दंड शुल्क को अद्यतन तक (नवम्बर 2014) वसूल करना आईटीआईए से शेष था।

सरकार ने (अक्टूबर–2014) लेखापरीक्षा/टिप्पणियों को स्वीकार कर कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया दंड शुल्क को आईटीआईए के भविष्य के बिलों से वसूल किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षो को पैराग्राफ 2.2.43 में उल्लेखित किया गया है।

सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीदी में देरी, तथा परामर्श अनुबंध का विस्तार करने के कारण अपरिहार्य व्यय

2.2.29 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.16 में उल्लेखित है डिस्कॉम द्वारा सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीदी कीमत विभिन्नता के साथ करके ₹ 72.88 लाख का अपरिहार्य व्यय किया। आगे, डिस्कॉम ने परामर्श अनुबन्ध का विस्तार कर ₹ 28.46 लाख की अतिरिक्त व्यय राशि को आईटीआईए पर नहीं डाला।

अनुबंध शर्तो का पालन न करने के कारण ₹ 1.01 करोड़ का अपरिहार्य व्यय हुआ

सरकार ने उत्तर (अक्टूबर–2014) में कहा कि पी.एफ.सी. ने परियोजना के अंत में केवल एक बार संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए थे। अतः अतिरिक्त मात्रा के आर्डर देने में देरी हुई थी तथा वे कीमत विभिन्नता के साथ खरीदे गये थे।

यह उत्तर मान्य नहीं हैं, जैसा कि पीएफसी ने डिस्कॉम को परियोजना के अंत में केवल एक बार संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए थे, किन्तु परियोजना के निष्पादन के तहत आवश्यक सामग्री की खरीद से रोका नहीं था।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के तहत ऊर्जा डाटा का निम्न संचार

2.2.30 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.14 में उल्लेखित है, मध्य क्षेत्र डिस्कॉम में 5999 मोडम को डी.टी.आर.एस. पर स्थापित किया जाना शेष हैं और स्थापित 4904 मोडम में से केवल 4827 मोडेम में ही संचार स्थापित किया जा रहा था। मई–2014 में एक महीने के दौरान मोडेम द्वारा किया गया डेटा सम्प्रेषण 2.04 *प्रतिशत* से 84.31 *प्रतिशत* के मध्य था। अतः डिस्कॉम को ऊर्जा डेटा के अंतराल को भरने के लिए हस्तलिखित प्रविष्टियॉ करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जिसके कारण ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके साथ ही आईटीआईए को स्थापना के लिए सौंपी गई 393 सक्रिय सिम्स निष्क्रिय रखी हुई हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए सरकार ने (अक्टूबर 2014) जवाब दिया कि मीटर मोडेम संचार बहुत कम था और आईटीआईए द्वारा इसे हल नहीं किया गया था।

एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय ए.टी. एण्ड सी. हानियों का प्रदर्शन न किया जाना

2.2.31 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.15 में उल्लेखित है, मध्य क्षेत्र डिस्कॉम में ₹ 14.29 करोड़ (नवम्बर–2012 और अप्रैल–2014) के फीडर कार्य को पूर्ण होने के उपरान्त भी एटीएण्डसी हानियां प्रदर्शित न होने के कारण आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गये थे। इसका मुख्य कारण शहर स्तर पर भाग–अ के एप्लीकेशन द्वारा फीड़र स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों का प्रदर्शन न होना था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार करते हुए सरकार ने (अक्टूबर–2014) में कहा कि भाग–अ एप्लीकेशन सही और विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को निकालने में असमर्थ रहने के कारण आपरेशन स्वीकृति जारी नहीं किए गए थे।

पर्यवेक्षी नियंत्रण ओर डाटा अधिग्रहण

2.2.32 योजनान्तर्गत, स्काडा/वितरण प्रबन्ध प्रणाली परियोजना शहरों के लिए केन्द्रीकृत नियत्रंण प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यान्वित की थी। मध्य क्षेत्र डिस्कॉम में स्काडा को कार्यान्वित करने के लिए ₹ 101.32 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। स्काडा के अंतर्गत टीकेसी को लाईन तथा उपस्टेशनों का काम करना था, और उन्हें नियंत्रण कक्ष के साथ एकीकृत करना था, जिससे कि केन्द्रीकृत नियंत्रण के साथ डीएमएस पर लागू किया जा सकता था।

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण परियोजना का कमजोर क्रियान्वयन

2.2.33 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.18 में उल्लेखित है : भोपाल तथा ग्वालियर शहर 109 सब–स्टेशनों को शामिल कर स्काडा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए थे। स्काडा क्रियान्वयन की समीक्षा उपरान्त हमने निम्नलिखित कमियों को देखा।

- टीकेसी के साथ भाग–अ और भाग–ब के स्काडा कार्यो के अनुबंध के अनुसार सम्पूर्ण कार्य अनुबंध दिनांक से 18 माह (क्रमशः जून–2013 तथा अक्टूबर–2013) तक पूर्ण होना चाहिए था। जबकि स्काडा परियोजना के भाग–अ ओर भाग–ब के अनुबंधकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि से 17 माह और 13 माह की देरी के बाद भी नवम्बर–2014 तक कार्य पूर्ण नहीं किये गये थे। इसका मुख्य कारण भाग–ब के टीकेसी द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया जाना था।

- मध्य क्षेत्र डिस्कॉम में भाग–अ और भाग–ब के अनुबंधकर्ता द्वारा क्रमशः 91 और 56 उप–स्टेशनों का कार्य लिया था परन्तु जुलाई–2014 तक कोई भी उप–स्टेशन का कार्य पूरा नहीं किया गया था।

- आगे, टीकेसी द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री की पर्याप्त मात्रा नहीं रखी गई थी, जैसे कि विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट 2.2.3 (b)*** में दिया है तथा शहरों की लाईन में सम्बन्धित कार्य शुरूआती चरण पर थे।

- टीकेसी के द्वारा स्काडा परियोजना का कमजोर क्रियान्वयन के कारण बड़े शहरों के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रित डाटाबेस मेनेजमेन्ट सिस्टम का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

सरकार ने अपने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि की तथा अक्टूबर 2014 में कहा कि भाग–ब के टीकेसी द्वारा परियोजना के कार्यो को निष्पादित नहीं करने के कारण सम्पूर्ण परियोजना पर प्रभाव आया और परियोजना समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी। आगे यह बताया गया कि ग्वालियर शहर में भाग–ब के टीकेसी द्वारा कुछ उप–स्टेशनों को पूरा कर लिया है परन्तु भाग–अ के टीकेसी द्वारा कार्य को नहीं लिया गया।

भाग–ब : वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण सुधार और विस्तार

2.2.34 भाग–ब के अंतर्गत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण उप–स्टेशनों का निर्माण, दोषपूर्ण मीटर के स्थान पर छेड़छाड रहित इलेक्ट्रानिक मीटर की स्थापना, नग्न कंडेक्टर के स्थान पर एरियल बैंड केबल को लगाना, 11 के वी और कम दाब लाइन की स्थापना द्वारा किया जाना था।

योजना के भाग–ब को पूरा करने में अत्यधिक देरी

2.2.35 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.21 में उल्लेखित है, डिस्कॉम ने स्वीकृत 31 शहरों में से 29 शहरों के कार्य को 13 लाट में विभाजित कर टर्नकी आधार पर छहः टीकेसी को दिया गया तथा दो शहरों के कार्य को विभागीय रूप में किया गया था। जैसा कि विस्तृत ***परिशिष्ट 2.2.2 (b)*** में था। डिस्कॉम ने विभागीय कार्य को पूर्ण कर लिया था परन्तु टर्नकी के आधार पर दिये गए 29 शहरों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। 18 माह की अवधि को छोड़कर जुलाई 2014 तक 21 माह का विलंब रहा।

इन शहरों में कार्य के पूरा न किए जाने का मुख्य कारण (क) भाग–अ के डी.पी.आर में अनुमोदन (फरवरी–2009) किए जाने के बाद से 12 से 16 महीने की देरी के बाद प्रस्तुत करना और भाग–ब के डी.पी.आर. के अनुमोदन (मार्च से अगस्त 2010) से 7 से 19 माह/महीने के बाद अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना था। ये पैराग्राफ 2.2.21 (ब) और (फ) में दिये गये कारणों के अलावा है।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कार्य का अनुबन्ध किये जाने में देरी मुख्यतः बोली पूर्व व्यवस्था तथा अन्य मूल्यांकन व्यवस्था के कारण डिस्कॉम द्वारा मार्च–2011 तक का समय लिया गया था, और उसके अनुसार अनुबंध किये गए थे। इसके अलावा टीकेसी में पर्याप्त सामग्री और मानवशक्ति को लगाने के निर्देश दिये गये है, जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि डिस्कॉम द्वारा परियोजना के प्रत्येक चरण जो कि डी.पी.आर. प्रस्तुत करना, कार्य का अनुबंध (मार्च 2011) करना, निर्धारित समयावधि में कार्य का निष्पादन होने और योजना के तहत् प्राप्त लाभ को लम्बे समय के बाद भी प्राप्त न किया जाना में गंभीर विलंब किया।

संचालन समिति के अनुमोदन के अलावा कार्य का निष्पादन

2.2.36 भारत सरकार द्वारा ली गई 26 वें संचालन समिति की बैठक (अगस्त–2012) में संशोधित मात्रा के बिल में मूल्य भिन्नता को मंजूर डी.पी.आर. के 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया था।

हमने देखा कि डिस्कॉम द्वारा 11 शहरों में मंजूर डी.पी.आर. लागत से 10 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक के मात्रा के बिल को संशोधित किया, जिससे ₹ 5.50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आया।

निकास सम्मेलन में सरकार ने कहा (नवम्बर–2014) कि डी.पी.आर. कम समय के भीतर तैयार किये गए थे। अतः सही मात्रा नहीं प्राप्त की जा सकी थी, आगे आश्वासन दिया कि अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पीएफसी को दावा किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पश्चिम डिस्कॉम से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष पैराग्राफ 2.2.56 में किया है।

अनुशंसा :– डिस्कॉम को निर्धारित व्यय सीमा से परे किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति पीएफसी से करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन न होना

डिस्कॉम द्वारा भुगतान शर्तों का पालन न करने के कारण टीकेसी ₹ 16.16 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया

2.2.37 जैसे कि पैराग्राफ 2.2.22 में उल्लेखित है। डिस्कॉम ने अनुबंधित शर्तो का पालन नहीं किया तथा टीकेसी को ₹ 13.71 करोड़ का अनुचित लाभ इस तरह प्रदान किया गया (क) कर से तत्वों को शामिल कर ₹ 1.75 करोड़ का अधिक अग्रिम भुगतान (ब) असमायोजित अग्रिम पर 11.50 *प्रतिशत* की दर से ब्याज राशि ₹ 9.41[5] करोड़ की राशि वसूल की जानी। (स) अग्रिम राशि तथा प्रतिधारित राशि को घटाए बिना सामग्री के शेष के लिए कीमत विभिन्नता (100 *प्रतिशत*) के रूप में ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान।

आगे, अनुबंध की शर्तो के अनुसार डिस्कॉम को मुख्यतः चार सामग्री डी.टी.आर. एल्यूमीनियम एलाय, कन्डक्टर, एरियल बन्च केबल, पोली विन्नी क्लोराईड केबल और कम दाब ऊर्जा मीटर के लिए ही 70 प्रतिशत सामग्री अग्रिम प्रदान करना था। जबकि डिस्कॉम ने लाट–xi के टीकेसी को ₹ 2.45 करोड़ की सामग्री अग्रिम का भुगतान दो अयोग्य सामग्री (एच–बीम ₹ 1.89 करोड़+जोइटस ₹ 0.56 करोड़) के लिए कर दिया था।

निकास सम्मेलन में (नवम्बर–2014) में सरकार ने पैराग्राफ 2.2.22 के उत्तर के अलावा कहा कि निविदा दस्तावेजों में उक्त सामग्रियों पर अग्रिम भुगतान का प्रावधान था, किन्तु अनुबंध में भूल से शामिल नहीं किया गया था।

यह उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि डिस्कॉम द्वारा इस योजना के तहत् अंतिम रूप से दिया ठेके अनुबंध में अग्रिम भुगतान करने की स्थिति से इस मामले को छोड़कर ऊपर वर्णित सामग्री मद को किसी में शामिल नहीं किया गया था।

[5] इसमें ₹ 2.30 करोड़ का ब्याज जो स्काडा भाग ब टीकेसी से सम्बन्धित शामिल है।

दोषी चूककर्ता ठेकेदार से जोखिम तथा लागत राशि का संग्रह न होना

2.2.38 टीकेसी अनुबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो डिस्कॉम अनुबंध को दोषी ठेकेदार की लागत और जोखिम पर समाप्त कर सकता है।

डिस्कॉम चूंककर्ता टीकेसी से जोखिम तथा लागत सम्बन्धी राशि ₹ 10.55 करोड़ वसूल नहीं कर सकी

डिस्कॉम ने उपरलिखित/बताई गई शर्तो को लागू कर लाट– IV और लाट– V और लाट– X के टीकेसी के तीन अनुबंध को समाप्त (नवम्बर 2013) कर दिया और बैंक गारंटी की राशि ₹ 8.79 करोड़ को भुना कर लामबंदी अग्रिम की राशि ₹ 88 लाख को वसूल किया था। डिस्कॉम ने मई 2014 लाट–X और लाट –V का कार्य क्रमशः ₹ 32.83 करोड़ और ₹ 10.58 करोड़ में छोडे गये कार्य की राशि क्रमशः ₹ 26.09 करोड़ और ₹ 7.26 करोड़ में विभागीय रूप में दिया था। जबकि लाट– IV के बन्च कार्य की राशि ₹ 12.48 करोड़ के विरूद्ध कार्य को नये टीकेसी (जुलाई 2014) को राशि ₹ 22.64 करोड़ में दिया था। डिस्कॉम को इन दोनों टीकेसी पर से राशि ₹ 10. 55 करोड़[6] रूपये की वसूली करना अभी तक शेष है।

निकास सम्मेलन में सरकार ने कहा कि (नवम्बर 2014) कि किसी भी तरह के अतिरिक्त व्यय को टीकेसी से वसूल किया जाएगा।

डी.पी.आर. के अनुमोदन से पहले कार्यों का विभागीय रूप में क्रियान्वयन

डिस्काम ने पीएफसी से बगैर औपचारिक अनुमोदन के ₹ 48.10 करोड़ के कार्य संपादित किये

2.2.39 जैसा कि कण्डिका 2.2.20 में उल्लेखित है, डिस्कॉम ने पीएफसी द्वारा अनुमोदन/मंजूर किए जाने से पहले 23 शहरों का कार्य किया और ₹ 48.10 करोड़ की राशि का व्यय किया।

सरकार ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2014) डिस्कॉम ने योजना की समयावधि के भीतर कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से डी.पी.आर. के अनुमोदन से पहले ही कार्य को शुरू किया था। और इस कार्य की राशि का दावा पीएफसी को किया जाएगा।

यह उत्तर मान्य नहीं है, जैसा कि व्यय पीएफसी से औपचारिक अनुमति के बिना किए गए थे और अभी तक, व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

परियोजना प्रबंधन कन्सल्टेंसी का अप्रभावी कामकाज

2.2.40 डिस्कॉम ने योजना कार्यो की निगरानी के लिए (अक्टूबर 2014) परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी (पीएमसी) को 13 माह की अवधि के लिए ₹ 3.69 करोड़ रूपये में कार्य दिया।

चुनिंदा शहरों अर्थात् ग्वालियर, दतिया, डबरा, भिंड, मुरैना, सीहोर, विदिशा और रायसेन कस्बों के अभिलेखों का परीक्षण जांच के दौरान हमें पीएमसी के कामकाज से निम्न कमियां पाई गई :–

डिस्कॉम द्वारा योजना के पर्यवेक्षण हेतु लगाई गई परियोजना प्रबन्धन एजेन्सी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रही

- पीएमसी के साथ मासिक बैठकों में प्रबन्धन ने बताया कि पीएमसी द्वारा दी गई सेवाएं खराब गुणवत्ता की थी। टीकेसी द्वारा कार्य पूर्ण रूप में दिखाया गया और निष्पादन की मात्रा में अन्तर थे।

- पीएमसी द्वारा टीकेसी के पास रखे गए सामग्री की मात्रा और डिस्कॉम को वापिस की गई सामग्री से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं रखा गया था। पीएमसी द्वारा हटाई गई सामग्री की वापसी सुनिश्चित किए बिना ही बिलों को पारित कर दिया।

[6] बैंक गांरटी के नगदीकरण को छोड़कर अतिरिक्त भार तथा एलडी (₹ 20.22 करोड़ – (₹8.79 करोड़ + ₹ 88 लाख))

- पीएमसी और टीकेसी के बीच समन्वय में कमी से कार्य के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव रहा। भिण्ड शहर में टीकेसी के परियोजना प्रबंधक द्वारा निकाली गई विसंगतियों के सुधार के अभाव में बिल पारित करने के लिए पीएमसी पर प्रभाव डाला और भुगतान हेतु बिल पारित करने के लिए मजबूर किया गया था।

निकास सम्मेलन में सरकार ने कहा (नवम्बर–2014) है कि पीएमसी को नियमित रूप से अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए कहा जा रहा है।

अनुशंसा: डिस्कॉम को टीकेसी और पीएमसी के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

पश्चिम डिस्कॉम

2.2.41 पश्चिम डिस्कॉम राज्य के पश्चिम भाग को समाहित कर दो सम्भाग इंदौर और उज्जैन में फैले 39.96 लाख उपभोक्ताओं के साथ 15 राजस्व जिलों की बिजली वितरण की आवश्यकता को पूरा करता है। पश्चिम डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में शहरों की कुल संख्या 108 के विरूद्ध 24 शहरों को जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 30,000 से अधिक होने के कारण योजना में शामिल किये गए थे।

डिस्कॉम में योजना के भाग–अ को 24 शहरों तथा भाग–ब को 23 शहरों, पीथमपुर को छोड़कर जिसमें कि एटीएण्डसी धारा 15 ***प्रतिशत*** से नीचे था लागू की गई थी। नीचे दी गई तालिका पश्चिम डिस्कॉम के चयनीत कस्बों, प्रस्तुत डीपीआर, स्वीकृत डीपीआर और वित्त व्यवस्था को ब्यौरे से इंगित करती है।

तालिका संख्या 2.2.5

परियोजना का नाम	प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		कोष की स्थिति	
	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	शहरों की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	प्राप्ति (₹ करोड़ में)	उपयोग (₹ करोड़ में)
भाग–अ	24	53.21	32	52.05	37.69	19.39
स्काडा	02	118.40	02	92.90		
भाग–ब	24	501.38	31	479.97	215.86	261.82

(स्त्रोत : लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)
(नोट : उपयोग की गई निधि में सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज और चूंक कर्ता टीकेसी के विरूद्ध नगदीकरण की गई बैंक गारंटी शामिल है)

इन्दौर, उज्जैन, देवास, बड़नगर, बड़वाह और नागदा छः शहरों का चयन रिकार्डो की विस्तृत जांच के लिए किया गया था। चयनित शहरों के लिए भाग–अ के अंतर्गत ₹ 28.01 करोड़ व भाग–ब के लिए ₹ 376.57 करोड़ की अनुमोदित लागत को शामिल किया गया था।

भाग–अ : सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की स्थापना

2.2.42 योजना के भाग–अ के अंर्तगत एक सक्षम सूचना प्रौद्योगकी तंत्र की सीपना करना था, जिसके द्वारा ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा व बिलिंग हेतु विश्वसनीय एवं सटीक बेस लाईन डाटा प्राप्त हो। मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक ढंग से एटीएण्डसी हानियों को प्राप्त किया जा सके। योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान निम्न कमियां पाई गई थी :–

आईटीआईए से दंड शुल्क की वसूली न होना

2.2.43 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.28 में उल्लेखित है कि आईटीआईए द्वारा शहरों को बैंडविथ से जोड़ने में अनुज्ञेय दो महीने की अवधि से परे विलम्ब दो माह से 21 माह के मध्य था। इस सम्बन्ध में डिस्कॉम द्वारा दंड शुल्क ₹ 65 लाख को अद्यतन (नवम्बर–2014) तक वसूल किया जाना शेष था।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को मान्य करते हुए बताया (अक्टूबर, 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गये दांडिक शुल्क की वसूली की जायेगी।

योजना के भाग–अ को पूरा करने में अत्यधिक देरी

2.2.44 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.8, में उल्लेखित है आईटीआईए द्वारा पायलट शहर महू को 21 माह की देरी के साथ दिसम्बर 2012 में और शेष 22 शहरों को जुलाई 2014 में पूरा किया गया था। दो मुख्य शहर (इन्दौर एवं उज्जैन) को पूरा किया जाना शेष है। जैसा कि *परिशिष्ट **2.2.1 (स)*** में वर्णित है। आईटीआईए द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी के कारण भारत सरकार ने योजना की समयावधि को 37 माह (मार्च 2015) तक बढ़ाकर राशि ₹ 9.94 करोड़ अतिरिक्त भार वहन किया।

निकास सम्मेलन में (नवम्बर 2014) में सरकार ने कहा कि भारत सरकार की इस योजना का विस्तार मार्च 2015 तक करते हुए अतिरिक्त वित्तीय भार की जानकारी थी।

यह उत्तर मान्य नहीं है जबकि डिस्कॉम और आईटीआईए योजना को निश्चित समयावधि मे पूरा करने में असमर्थ रहें थे, और भारत सरकार द्वारा समयावधि का विस्तार योजना पर अतिरिक्त बोझ के साथ किया था। इसके अलावा डिस्कॉम /आईटीआईए को भाग–अ के कार्य को बिना देरी के साथ शुरू और समाप्त करना था, जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार से बचा जा सकता था।

सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीदी में देरी तथा परामर्श अनुबंध का विस्तार करने के कारण अपरिहार्य व्यय

2.2.45 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.16 में उल्लेखित है डिस्कॉम ने सामग्री की अतिरिक्त मात्रा की खरीदी, कीमत विभिन्नता के साथ करके राशि ₹ 48.44 लाख का अपरिहार्य व्यय किया। आगे, डिस्कॉम ने परामर्श अनुबंध के विस्तार करने का अतिरिक्त व्यय ₹ 21.16 लाख को आईटीआईए पर नहीं डाला।

सरकार ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2014) पीएफसी ने परियोजना के अंत में केवल एक बार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। अतः सामग्री की अतिरिक्त मात्रा के आर्डर देने में देरी हुई थी तथा वे कीमत विभिन्नता के साथ खरीदे गए थे।

यह उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि पीएफसी ने परियोजना अन्त में एक बार संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे परन्तु परियोजना में निष्पादन के तहत् आवश्यक सामग्री की खरीदी से रोका नहीं था।

योजना के तहत् सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का अप्रभावी कार्यान्वयन

2.2.46 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.11 में उल्लेखित है कि उपभोक्ताओं की कुल संख्या का मात्र 12.61 *प्रतिशत* (12.61 *प्रतिशत* निम्न दाब तथा शून्य *प्रतिशत* उच्च दाब) को नये सिस्टम/प्रणाली तंत्र की निगरानी में लाया गया था और शेष 87.39 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को छोड़ा गया। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय को जुलाई–2014 तक नये एप्लीकेशन के अंतर्गत नहीं लाया गया था।

यहां तक कि पायलट शहर महू के प्रणाली प्रवृत्त (दिसम्बर 2012) घोषित होने के 20 माह से अधिक समय लगा, नागदा, बड़वाह शहर में भौगौलिक सूचना प्रणाली में सम्पत्तियों का अपडेशन न होना, जी.आई.एस. ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा के लिए ऊर्जा डेटा का संचार न होना, सटीक एम.आई.एस. विवरण का उपलब्ध न होना जैसी समस्याएं (नवम्बर–2014) बरकरार थी।

सरकार ने उपर उल्लेखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकृत कर (अक्टूबर–2014) में कहा था कि बचे हुए उपभोक्ताओं की जानकारी को भेजने के लिए आईटीआईए जिम्मेदार था, और यह मामला आईटीआईए के साथ उठाया गया है। आगे यह बताया गया कि उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग तीन महीने की अवधि में विकसित की जायेगी।

निकास सम्मेलन में (नवम्बर–2014) सरकार ने उपर उल्लेखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर बताया कि आईटीआईए परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में तहत् ऊर्जा डेटा का निम्न संचार

2.2.47 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.14 में उल्लेखित है डिस्कॉम में 686 मोडेम को डी.टी.आर. पर स्थापित किया जाना शेष है और स्थापित 2146 मोडेम मे से केवल 2056 मोडेम में ही संचार स्थापित किया जा रहा था। एक माह के भीतर मोडेम द्वारा किया गया डेटा सम्प्रेषण तीन *प्रतिशत* और 93 *प्रतिशत* के मध्य, मई 2014 के अंत में था, जिससे डिस्कॉम को ऊर्जा डेटा के अंतराल को भरने के लिए हस्तलिखित प्रविष्टियों को करने को मजबूर होना पड़ा था। जिससे मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने का परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके साथ ही आईटीआईए को स्थापना के लिए सौंपी गई 418 सक्रिय सिम्स भी निष्क्रिय रखी हुई थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष मान्य करते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि मीटर मोडेम का संचार प्रतिशत बहुत कम रहा क्योंकि अधिकतम मोडेम जले हुए या खराब थे तथा प्रकरण आईटीआईए के ध्यान में लाया गया, उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया।

निम्न दाब उपभोक्ताओं पर नियत प्रभारों का अधिक निर्धारण

₹ 29.77 लाख के स्थायी प्रभारों का अधिक निर्धारण के कारण 42471 उपभोक्ता प्रतिकूल प्रभावित हुए

2.2.48 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.13 में उल्लेखित है एप्लीकेशन द्वारा संधारित श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिल में स्थाई प्रभार आरोपित करने के लिए अधिकृत लोड़ फेक्टर को अगले अंक तक बढ़ा दिया जाता है। जबकि आशिंक लोड़ फेक्टर 0.5 से नीचे था। परिणामस्वरूप डिस्कॉम के 42471 उपभोक्ताओं को प्रतिकूल प्रभावित किया गया तथा ₹ 29.77 लाख की अधिक बिलिंग की गई।

सरकार ने (अक्टूबर–2014) में उत्तर दिया कि टैरिफ आर्डर (2013–14) के अनुसार, प्रत्येक 75 इकाइयों या उसके भाग के लिए 0.5 किलोवाट के रूप ये माना जाता था। और तदनुसार 75 इकाईयों के बाद प्रत्येक एकल इकाई निर्धारित शुल्क पहुंचने के लिए 0.5 किलोवाट के रूप में लिया गया था।

यह उत्तर मान्य नहीं हैं जबकि टैरिफ आर्डर में इंगित है कि एल.बी. श्रेणी के सामान्य नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत अधिकृत लोड़/भार 0.5 से कम होने पर रखे नजर अंदाज किया जाना चाहिए ओर अगले पूर्णांक तक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा टैरिफ आर्डर में दिया गया उदाहरण भी दोहराया गया।

एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों का प्रदर्शन न किया जाना

2.2.49 जैसा कि कंडिका 2.2.15 में वर्णित है, डिस्कॉम रू. 55.36 करोड़ के पूर्ण हुए फिडर कार्य से एटीएण्डसी हानियों को टीकेसी के माध्यम से 9 प्रतिशत पर प्राप्त नहीं कर सके तथा आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके । इसका मुख्य कारण भाग–अ के एप्लीकेशन द्वारा फीडर शहर स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को न दर्शा पाना था।

सरकार ने जबाव में लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकारते हुए कहा कि (अक्टूबर 2014) भाग–अ के एप्लीकेशन के फीडर और शहरी स्तर पर सही और विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को निकालने में असमर्थ रहने के कारण आपरेशन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे।

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण

2.2.50 योजनान्तर्गत स्काडा वितरण प्रबन्ध प्रणाली परियोजना बड़े शहरों के लिए केन्द्रीय नियंत्रित वितरण प्रबन्ध प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यान्वित की गई थी। पश्चिम क्षेत्र में स्काड़ा/डी.एम.एस. को क्रियान्वित करने के लिए ₹ 92.90 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। स्काडा के अंतर्गत टीकेसी को लाईन तथा उपस्टेशनों का काम करना था और उन्हें नियंत्रित कक्ष के साथ एकीकृत करके केन्द्रीकृत वितरण प्रबन्ध प्रणाली को लागू करना था।

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण परियोजना का कमजोर क्रियान्वयन

2.2.51 जैसा कि पैराग्राफ 2.2.18 में उल्लेखित है इन्दौर ओर उज्जैन शहर 93 उप–स्टेशनों को शामिल कर स्काडा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गये थे। टीकेसी के साथ भाग–अ के और भाग–ब में अनुबंध के अनुसार परियोजना का सम्पूर्ण कार्य अनुबंध दिनांक से 18 माह (क्रमशः जून–13 और अक्टूबर 2013) की अवधि तक पूर्ण होना चाहिए था। जबकि परियोजना के भाग–अ और भाग–ब के अनुबंधकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि से क्रमशः 17 और 13 माह की देरी के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण भाग–ब मे टीकेसी द्वारा कार्य का निष्पादन न होना था।

पश्चिमी क्षेत्र में स्काडा क्रियान्वयन की समीक्षा उपरान्त निम्न कमियों को पाया गया :

- इन्दौर में भाग–अ के टीकेसी द्वारा 72 उपस्टेशनों के निर्माण कार्य में ये 48 उपस्टेशनों का कार्य पूर्ण किया गया था, और उज्जैन में 21 उप–स्टेशनों में से किसी का भी कार्य पूरा नहीं किया गया था। जबकि भाग–ब के टीकेसी द्वारा इन्दौर में 3 सब स्टेशनों का कार्य पूरा किया गया था और 69 उपस्टेशनों का कार्य बहुत धीरे चल रहा है। साथ ही साथ उज्जैन में भाग–ब में टीकेसी द्वारा आठ उपस्टेशनों का कार्य शुरू नहीं किया गया था तथा शेष 13 उपस्टेशनों पर कार्यपूर्णता 17 फीसदी से 59 फीसदी के मध्य थी।

- टीकेसी द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री की पर्याप्त मात्रा नहीं रखी थी विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.2.3 (सी)*** में था। शहरों में लाईन से जुड़े कार्य भी शुरूआती चरण पर थे।

- टीकेसी के द्वारा कार्य परियोजना का निष्पादन न करने के कारण बड़े शहरों के लिए नियंत्रित का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

सरकार ने अपने उत्तर में (अक्टूबर–2014) तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा की भाग–ब के टीकेसी द्वारा परियोजना के कार्यो का निष्पादन न करने के कारण पूरी परियोजना पर प्रभाव आया और परियोजना समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी।

भाग–बः वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, सुधार और विस्तार

2.2.52 भाग–ब के अंतर्गत वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उपस्टेशनों का निर्माण, दोषपूर्ण मीटर के स्थान पर छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रानिक मीटर की स्थापना, नग्न कंडेक्टर के स्थान पर एरियल बन्च केबल की स्थापना, 11 केवी और कम दाब लाइन का निर्माण 23 शहरो में किया जाना था।

योजना के भाग–ब को पूरा करने में अत्यधिक विलंब

2.2.53 जैसे कि पैराग्राफ 2.2.21, में उल्लेखित है कि डिस्कॉम ने अनुमोदित 23 शहरों में से 20 शहरों के कार्य को विभागीय रूप से किये, और बचे तीन शहरों के कार्य को तीन लाट में बांटकर टर्नकी आधार पर दो टीकेसी को दिये गये थे। जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.2 (स)*** में वर्णित है। डिस्कॉम ने 19 शहरों में विभागीय कार्य को पूर्ण कर लिया था। जबकि टर्नकी के आधार पर दिये गए तीनों कार्य में से कोई भी जुलाई–2014 तक पूर्ण नहीं किया गया था। जिसमें अनुबंध में निर्धारित 18 माह की समयावधि के उपरांत 19 माह की देरी हो गई थी।

इन शहरों के कार्य के पूरा नहीं किये जाने के मुख्य कारण (क) भाग–अ के डीपीआर को अनुमोदित किए जाने में 12 से 16 महीने की देरी के साथ प्रस्तुत करना और भाग–ब डीपीआर (मार्च से अगस्त 2010) के अनुमोदन से 10 से 18 महीनों के बाद अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना था। डिस्कॉम ने अनुबंध के लिए उद्धृत दर अधिक होने के कारण फिर से बोलियॉ बुलवाई। ये कारण परिशिष्ट पैराग्राफ 2.2.21 (ब) से (फ) में दिये गये कारणों के अतिरिक्त थी।

सरकार ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014)में कार्य को देने में देरी को स्वीकार किया है और आगे यह बताया है कि टीकेसी को पर्याप्त मानव शक्ति और सामग्री को लगाने के निर्देश दिए गये है, जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो जाए।

अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन न होना

2.2.54 जैसे कि पैराग्राफ 2.2.22 में उल्लेखित है डिस्कॉम ने अनुबंधित शर्तो का पालन नहीं किया और टीकेसी को ₹ 6.54 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दिया (अ) कर तत्वों को शामिल कर ₹ 2.48 करोड़ का अधिक लामबंदी अग्रिम प्रदान किया (ब) असमायोजित अग्रिम पर 11.50 *प्रतिशत* की दर पर ब्याज राशि ₹ 3.22[7] करोड़ वसूल नहीं करना (स) सामग्री के लिए दी गई कीमत विभिन्नता की राशि में से प्राप्ति राशि को घटाए बिना ₹ 0.84 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान।

निकास सम्मेलन में सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि लामबंदी अग्रिम के लिए दिया गया अतिरिक्त भुगतान वापस लिया जाएगा, अनुबंध की शर्तों के अनुसार असमायोजित अग्रिम पर चार्ज किया जाता था और ठेके की शर्तों के अनुसार कीमत विभिन्नता का भुगतान डिस्कॉम द्वारा किया गया।

यह उत्तर मान्य नहीं है जबकि डिस्कॉम अनुबंध की शर्तो जैसे लामबंदी अग्रिम का भुगतान, असमायोजित अग्रिम पर ब्याज आरोपित करना, पालन करने में असमर्थ रही। आगे, कीमत विभिन्नता राशि, टीकेसी को स्वीकृति प्रमाण पत्र के बिना जारी किया गया था।

[7] स्काडा भाग अ टीकेसी को लामबंदी अग्रिम पर ब्याज ₹ 1.59 करोड़ शामिल

आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीद

डिस्कॉम द्वारा आवश्यकता से अधिक डीटीआर खरीदने के कारण ₹ 8.93 करोड़ का अपरिहार्य व्यय किया गया

2.2.55 डिस्कॉम ने योजना का क्रियान्वयन 20 शहरों में विभागीय रूप से सामग्री की खरीद और श्रम अनुबंध के द्वारा किया था। योजना के कार्यो उपयोग और पूर्ण होने के विवरण के अनुसार खरीदे गए डीटीआर वितरण ट्रांसफार्मर के खरीद आदेश के परीक्षण उपरांत हमने पाया कि डिस्कॉम ने खरीदे गए 1415 डीटीआर में से मात्र 609 डीटीआर का उपयोग 20 शहरों में योजनान्तर्गत किया था। अत : इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.93 करोड़ के 806 डीटीआर की अतिरिक्त खरीदी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की गई।

निकास सम्मेलन में (नवम्बर–2014) में सरकार ने कहा कि डिस्कॉम /डीटीआर की शेष मात्रा का उपयोग योजनान्तर्गत कस्बों में ही किया गया था और योजना के अलावा कहीं और उपयोग नहीं किया गया था।

यह उत्तर मान्य नहीं है जबकि योजनान्तर्गत शेष बचे डीटीआर के उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी डिस्कॉम द्वारा नहीं दी गई थी। यह तथ्य की पुष्टि करता है कि योजना के वित्त से खरीदे गए डीटीआर का उपयोग निश्चित उद्देश्य के अलावा किया गया था।

संचालक समिति के अनुमोदन से भिन्न कार्य का निष्पादन

डिस्कॉम ने संचालन समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 20.33 करोड़ का व्यय किया

2.2.56 डिस्कॉम ने संचालक समिति के अनुमोदित 10 फीसदी से परे जाकर इन्दौर शहर के कार्य का वित्त बीओक्यू को संशोधित किया और ₹ 20.33 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ योजना पर डाला गया। जैसा कि पैराग्राफ 2.2.36 में उल्लेखित हैं।

निकास सम्मेलन (नवमबर–2014) में सरकार ने कहा कि डीपीआर कम समय में तैयार किये गए थे। अतः सही राशि प्राप्त नहीं की जा सकती थी आगे आश्वासन दिया कि अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पीएफसी को दावा किया जाएगा।

निष्कर्ष

पूर्वी डिस्कॉम

- **डिस्कॉम और आईटीआईए द्वारा योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने में असमर्थ रहने के कारण बढ़ाये गये अवधि के ब्याज को अनुदान में बदलकर ₹ 49.61 करोड़ के अतिरिक्त भार को अवशोषित करके भारत सरकार को योजना की समयावधि का विस्तार करना पड़ा।**
- **आईटीआईए द्वारा परियोजना का उचित क्रियान्वयन न होने के कारण ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने का परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।**
- **सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय ए.टी.एण्ड सी. हानियों को दर्शाने में असमर्थ रहने के कारण ₹ 77 करोड़ के फीडर के पूरा होने के बावजूद परीक्षण और परिचालन स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया।**
- **पुराने दोषी ठेकेदार को टीकेसी को कार्य सौंपना और उसके समय पर कार्य पूरा न करने के कारण वितरण प्रबन्धन तंत्र पर केन्द्रीय नियंत्रण के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।**

- डिस्कॉम ने योजनान्तर्गत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक को प्राप्त न करके टीकेसी को ₹ 11.89 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।
- डिस्कॉम ने खरीद नीति का विचलन किया और ₹ 6.08 करोड़ का अनावश्यक लाभ देकर चूककर्ता टीकेसी को ऊंचे मूल्य पर कार्य प्रदान किया।

मध्य डिस्कॉम

- डिस्कॉम और आईटीआईए द्वारा योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने में असमर्थ रहने के कारण बढ़ाये गये अवधि के ब्याज को अनुदान में बदलकर ₹ 24.10 करोड़ के अतिरिक्त भार को अवशोषित करके भारत सरकार को योजना की समयावधि का विस्तार करना पड़ा।
- सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को दर्शाने में असमर्थ रहने के कारण ₹ 14.29 करोड़ के फीडर के पूरा होने के बावजूद परीक्षण और परिचालन स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया।
- टीकेसी द्वारा कार्य का उचित क्रियान्वयन न करने और उसके समय पर पूर्ण न होने के कारण भोपाल और ग्वालियर में वितरण प्रबन्धन तंत्र पर केन्द्रीय नियंत्रण के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- डिस्कॉम ने योजनान्तर्गत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक का प्रयोग न कर, टीकेसी को ₹ 16.16 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।
- डिस्कॉम ने चूंककर्ता टीकेसी से ₹ 10.55 करोड़ की जोखिम और लागत राशि की वसूली नहीं की।

पश्चिम डिस्कॉम

- डिस्कॉम और आईटीआईए द्वारा योजना के भाग–अ के कार्यान्वयन को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने में असमर्थ रहने के कारण बढ़ाये गये अवधि के ब्याज को अनुदान में बदलकर ₹ 9.94 करोड़ के अतिरिक्त भार को अवशोषित करके भारत सरकार को योजना की समयावधि का विस्तार करना पड़ा।
- सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन द्वारा फीडर स्तर पर विश्वसनीय एटीएण्डसी हानियों को दर्शाने में असमर्थ रहने के कारण ₹ 55.36 करोड़ के फीडर के पूरा होने के बावजूद परीक्षण और परिचालन स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया।
- टीकेसी द्वारा कार्य का उचित क्रियान्वयन न करने और उसके समय पर पूर्ण न होने के कारण इंदौर और उज्जैन में वितरण प्रबन्धन तंत्र पर केन्द्रीय नियंत्रण के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- डिस्कॉम ने विभागीय संचालित शहरों पर योजना निधि से ₹ 8.93 करोड़ की आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय की।

2.3 सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्ड़ों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एम.पी.ई.बी.) के विघटन के फलस्वरूप 22 नवम्बर 2001 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना हुई । 31 मार्च 2014 की स्थिति में, कम्पनी के चार ताप विद्युत गृह है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 3720 मेगावाट है ।

पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, कम्पनी द्वारा वैद्यानिक आवश्यकताओं के अनुपालनार्थ लगाई गई वायु एवं जल प्रदूषण निरोधि व्यवस्था की उपलब्धता एवं पर्याप्तता की जाँच हेतु सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (एस.टी.पी.एस.) में निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई ।

परिचालन दक्षता

कम्पनी, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा निर्धारित केन्द्र ताप दर (स्टेशन हीट रेट) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, परिणामस्वरूप, कोयले एवं तेल की खपत मापदण्डों से अधिक रही, जिसके फलस्वरूप, मरमम्त/उन्नयन कार्यों पर भारी खर्च के उपरांत भी पर्यावरण में अधिक जहरीले अपशिष्ट छोड़े गए ।

वायु प्रदूषण

कम्पनी, फ्लू गैस में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकी, जैसा की पर्यावरण (प्रोटेक्शन) नियम, 1986 में अपेक्षित था, क्योंकि उसने न तो इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) का उन्नयन किया, और न ही नियमित अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम लागू किया, जिसके फलस्वरूप कम्पनी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र. प्र.नि.वो.) के निर्देशों के पालन में असफल रही । कम्पनी, वर्तमान निस्तारण स्तर की निगरानी हेतु ₹ 1.33 करोड़ की लागत से स्थापित सतत् निगरानी प्रणाली को दक्षता से संचालित/सुधार नहीं सकी जो कि 2010 से बन्द पड़े है। कम्पनी सूखा राख संकलन तंत्र की स्थापना न करने के कारण 100 प्रतिशत फ्लाई राख का उपयोग नही कर सकी। फ्लाई राख के विक्रय से प्राप्त ₹35.96 करोड़ का आधारित वस्तुओं हेतु व्यवस्था/सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग करने में असफल रही ।

जल प्रदूषण

कम्पनी, इकाई क्रमांक 6 से 9 हेतु एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लॉट (ई.टी.पी.) का निर्माण न करने के कारण एम.पी.पी.सी.बी. के 100 प्रतिशत राखड़ बाँध निस्तार पुनर्चक्रीकरण के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी जिसके फलस्वरूप निस्तार में कुल निलंबित ठोस (टी.एस.एस.) की मात्रा भी अधिक रही । कम्पनी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) का निर्माण भी नहीं किया ।

हानीकारक अपशिष्ट

कम्पनी ने हानिकारक अपशिष्ट (रेज़िन) का, हानिकारक अपशिष्ट हजारडस वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैन्डलिंग, एवं ट्रांस बाउन्ड्री मूवमेन्ट) नियम 2008 में प्रदत्त 90 दिनों की समय सीमा में निपटान नहीं किया/न हीं जले हुए तेल को

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से निपटान किया ।

परिचय

2.3.1 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 22 नवम्बर 2001 को हुई थी । मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड (एम.पी.ई.बी.) के विघटन के उपरांत विद्युत उत्पादन का कार्य कम्पनी को सुपुर्द कर दिया गया (जून 2005) एवं एम.पी.ई.बी. की समस्त ताप एवं जल विद्युत उत्पादन सम्पत्तियाँ कम्पनी को सौंप दी गई । 31 मार्च 2014 को कम्पनी के स्वामित्व में चार ताप विद्युत केन्द्र, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (ए.टी.पी.एस.), चचई, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस.जी.टी.पी.एस.) वीरसिंहपुर, सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (एस.टी.पी.एस.) सारणी, एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत केन्द्र (एस.एस.टी.पी.एस.) खण्डवा है । जिनकी स्थापित क्षमता 3720 एम.डब्ल्यू थी । इन केन्द्रों की प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता एवं स्थापना दिनांक का विवरण ***परिशिष्ट 2.3.1*** में दर्शाया गया है ।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 जो कि संविधान में हमारे स्वच्छ वातावरण के राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाती है, का मुख्य उद्देश्य समस्त वर्तमान एवं विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है । इस नीति के एक सिद्धांत स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है कि सर्वांगिण विकास को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, और इसे प्रथक रूप से नहीं देखा जा सकता।

स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) बिजली के एक इकाई के उत्पादन के लिए लगने वाली ताप का एक माप है । यह किसी ताप विद्युत केन्द्र की दक्षता को आँकने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है । अधिक ताप दर (हीट रेट) का परिणाम विद्युत उत्पादन के लिए अधिक कोयले एवं तेल की खपत है । जिसके फलस्वरूप फ्लाई राख जनित वायु एवं जल प्रदूषण में वृद्धि होती है । तीन ताप केन्द्रों की एस.एच.आर. एवं एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य तालिका 2.3.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.3.1

ताप विद्युत केन्द्र का नाम[1]	2011–12		2012–13		2013–14	
	एस.एच.आर. मानदण्ड	वास्तविक एस.एच.आर.	एस.एच.आर. मानदण्ड	वास्तविक एस.एच.आर.	एस.एच.आर. मानदण्ड	वास्तविक एस.एच.आर.
एस.टी.पी.एस सारणी इकाई 6–7	2700	3450	2700	3690	2700	3727
एस.टी.पी.एस सारणी इकाई 8–9	2700	3490	2700	3691	2700	3676
एस.टी.पी.एस सारणी इकाई 10–11	.	.	.	.	2400	3183
ए.टी.पी.एस. चाचाई इकाई 1–2	3300	3669	3300	3767	3200	3791
ए.टी.पी.एस. चाचाई इकाई 3	2450	2670	2450	2845	2450	2705
एस.जी.टी.पी.एस.इकाई 1–2	2600	2990	2600	3051	2600	3102
एस.जी.टी.पी.एस.इकाई 3–4	2600	2938	2600	3057	2600	3122
एस.जी.टी.पी.एस.इकाई 500 मेगावाट	2425	2559	2425	2644	2425	2615

(स्त्रोतः एस.टी.पी.एस. प्रदत्त आँकड़े)

[1] इकाई 1–5 निलंबित, अतः विलोपित

जैसा कि तालिका से प्रतीत होता है, एस.टी.पी.एस. में एस.एच.आर. 2011–12 से 2013–14 के दौरान 2700 के मापदण्ड के विरूद्ध 3450 से 3727 तक रहा, इसके परिणामस्वरूप एस.टी.पी.एस. में वायु प्रदूषण का स्तर अन्य ताप विद्युत केन्द्रों से अधिक रहा। अतः पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए, एस.टी.पी.एस. में पर्यावरण मापदण्डों के पालन विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई ।

ताप केन्द्र में प्रथक पर्यावरण निगरानी शाखा केन्द्र प्रमुख के नियंत्रण में कार्यरत है। प्रयोगशाला वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ के जिम्मे है, जिनकी जिम्मेदारी निम्न हैः–

- विभिन्न विधियों के आवश्यकतानुसार नमूनों की जांच एवं विश्लेषण करना तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.पी.सी.बी.) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- हानिकारक अपशिष्ट के संचालन, तथा भण्डारण के लिए एम.पी.पी.सी.बी. से सहमति प्राप्त करना, एवं
- संयत्र के विरूद्ध दायर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कानूनी मामलो से निपटना।

2.3.2 प्रदूषण नियंत्रण नीति पर्यावरण संरक्षण के लिए बने नियमों और विनियमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) स्थापित किये गये है । मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.एस.सी.बी.) मध्यप्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण नीतियों तथा अधिनियमों के कार्यान्वयन की देख रेख कर रहा है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) एवं भारत सरकार भी प्रदूषणकर्ता उद्योगों/निकायों को सीधे दिशा निर्देश जारी करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत अधिकार प्राप्त है ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 निष्पादन लेखापरीक्षा, एस.टी.पी.एस. द्वारा इकाई 6 से 11 में निम्न हेतु लगाए गए तंत्रों के अस्तित्व एवं पर्याप्तता पर राय बनाने के व्यापक उद्देश्य के साथ सम्पन्न की गई थीः

- संयंत्र की परिचालन क्षमता में सुधार अर्थात एस.एच.आर. को कम करना;
- वायु प्रदूषण अर्थात् संयंत्र से उत्सर्जित फ्लू गैस में धूल के स्तर (निलंबित पार्टिकुलेट मैटर्स) के स्तर की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- राखड़ बाँध एवं अपशिष्ट जल के एफ्ल्युएन्ट उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) कर सीवेज उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) क्रमशः के द्वारा पुनर्चक्रीकरण कर जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- जले तेल, ट्रॉसफार्मर तेल, तेल सोखित अपशिष्ट, जलि हुई रेज़िन का उचित निपटान ।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से प्राप्त मानदण्डों पर आधारित थेः

- वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं नियम, 1986 के अंतर्गत ताप विद्युत गृहों द्वारा वायु प्रदूषण के लिए निर्धारित मानदण्ड ;
- जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत ताप विद्युत गृहों द्वारा जल प्रदूषण के लिए निर्धारित मानदण्ड;
- हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 1989

- ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रदूषण के संबंध में सी.पी.सी.बी. तथा एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश, एवं
- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं ताप विद्युत गृहों के प्रदूषण विषयक निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय–समय पर जारी आंतरिक दिशा–निर्देश।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

2.3.5 कम्पनी की एक निष्पादन लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के मार्च 2010 में समाप्त वर्ष के लखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था । लेखापरीक्षा निष्कर्षों में पर्यावरण संबंधी विषय जैसे वायु प्रदूषण, राख निपटान एवं जल प्रदूषण सम्मिलित थे । इस प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा 13 अक्टूबर 2011 को चर्चा की गई परन्तु समिति द्वारा नवम्बर 2014 तक कोई सिफारिश नहीं दी गई । लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें एवं एस.टी.पी.एस. द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, को यथोचित कंडिका में सम्मिलित किया गया है ।

2011–12 से 2013–14 की अवधि के लिए संयंत्र में पर्यावरण मापदण्डों के पालन विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान, 11 इकाईयों में से 6 इकाईयों में की ही समीक्षा की गई क्योंकि पाँच इकाईयाँ (इकाई 1–5) अक्टूबर 2012 से जनवरी 2014 के मध्य बंद कर दी गई।

लेखापरीक्षा में पर्यावरण मुद्दों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों ताप विद्युत गृह विषयक वैद्यानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी अधिनियमों, नियमों, विनियमनों एवं दिशा निर्देशों, कम्पनी के बोर्ड सदस्यों की मीटिंग के बोर्ड एजेंडा एवं मिनिट्स, प्रबंधन के साथ चर्चा–परिचर्चा एवं ज्ञापन जारी कर जानकारी माँग कर जानकारियाँ एकत्रित की गई।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति से प्रबंधन को 16 मई 2014 को सम्पन्न एन्ट्री सम्मेलन में अवगत करा दिया गया । लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षो से कम्पनी एवं मध्य प्रदेश शासन को सूचित कर दिया गया (जून 2014) एवं निकास सम्मेलन (7 नवम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं कम्पनी के प्रबंधन निदेशक की उपस्थिति में चर्चा की गई । प्रतिवेदन के अंतिमिकरण के दौरान कम्पनी / शासन द्वारा बहिर्गमन सभा में व्यक्त किये गए विचारों (अक्टूबर 2014) को सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा व्यापक उद्देश्यों की तर्ज पर आयोजित की गई एवं उपर्युक्त विभिन्न विधियों की रोशनी में एस.टी.पी.एस. के प्रदर्शन का अध्ययन किया गया । लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

एस. टी. पी. एस. परिचालन दक्षता

एम.पी.ई.आर.सी. मापदण्डों के विरूद्ध अधिक स्टेशन हीट रेट एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव

2.3.6 स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) ताप विद्युत केन्द्र / गृह की दक्षता की आकलन करने का महत्वपूर्ण माध्यम है । दक्षता में सुधार के व्यापक परिणाम हो सकते है, दक्षता बढ़ाने अर्थात कम हीट रेट से प्रति विद्युत इकाई के उत्पादन के लिए कम ईधन की आवश्यकता होती है । इसी तरह, दक्षता में वृद्धि का प्रभाव संयंत्र उत्सर्जन स्तर पर पड़ता है । चूँकि प्रति विद्युत इकाई के उत्पदान हेतु कम ईधन की आवश्यकता होती है, अतः प्रति उत्पादित इकाई के लिए कम कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, आदि युक्त कोयले के दहन से कम उत्सर्जन होता है ।

एस.एच.आर. से संबंधित तालिका 2.3.1 के विश्लेषण से हमने पाया कि 2011–12 से 2013–14 की अवधि के दौरान एस.टी.पी.एस, एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों को प्राप्त नहीं कर सका । प्रत्येक इकाई हेतु एस.एच.आर., एम.पी.ई.आर.सी. निर्धारित मापदण्डों से अधिक था, अतः कोयला एवं तेल की खपत भी कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक रही । कोयले एवं तेल की खपत भी कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक रही । 2011–12 से 2013–14 की अवधि, इकाई 6–9 (2011–12, 2012–13) एवं इकाई 6–11 (2013–14) के कोयले एवं तेल की खपत के कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड, अतिरिक्त खपत, अतिरिक्त खपत का मूल्य एवं अतिरिक्त खपत से उत्पन्न अतिरिक्त राख का विवरण तालिका 2.3.2 एवं 2.3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3.2

वर्ष	कुल कोयला खपत (एम.टी.)	निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खपत (एम. टी.)	अतिरिक्त कोयला खपत (एम.टी.)	अतिरिक्त खपत का मूल्य (₹ करोड़)	अतिरिक्त खपत के कारण उत्पादित राख (एम.टी.) (कोयले में 40 प्रतिशत राख की मात्रा के आधार पर)
2011–12	3730661	3037112	693549	208.33	277420
2012–13	4178091	3243039	935052	244.77	374021
2013–14	4069351	3116317	953034	402.36	381214
कुल	**11978103**	**9396468**	**2581635**	**855.46**	**1032654**

(स्त्रोतः एस.टी.एस. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

तालिका 2.3.3

वर्ष	कुल तेल खपत (के.एल.)	निर्धारित मापदण्ड (के. एल.)[2]	अतिरिक्त खपत (के.एल.)	अतिरिक्त मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
2011–12	18213	5911	12302	49.27
2012–13	16747	7436	9311	45.13
2013–14	26794	6966	19828	110.45
कुल	**61754**	**20313**	**41440**	**204.85**

(स्त्रोतः एस.टी.एस. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2011–12 से 2013–14 के दौरान 25.82 लाख एम.टी. (27 प्रतिशत) कोयला एवं 0.41 लाख के.एल. (204 प्रतिशत) तेल मापदण्डों के अतिरिक्त जलाया गया, जिसके प्रभाव से, 10.33 लाख एम.टी. अधिक राख उत्पन्न होने से वायु एवं जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम्पनी ने देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ डालते हुए कोयले एवं तेल की अतिरिक्त खपत पर ₹ 1060.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन किया ।

[2] वर्ष 2013–14 में उपभोग मापदण्ड, 2012–13 की अपेक्षा कम प्रतीत हो रहे है, ऐसा नव–स्थापित इकाईयाँ 10 एवं 11, जिनका मापदण्ड इकाई 6–9 से कम है, को सम्मिलित करने के कारण है ।

शासन/कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि, अधिक एस.एच.आर., संयंत्र की उम्र, डिजाइन अनुसार कोयले की उपलब्धता एवं व्यापक सुधार तथा संधारण (आर.एवं.एम.) कार्यक्रम के अभाव के कारण है ।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, ऊर्जा ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में कम्पनी को स्थिति की समीक्षा करने एवं संयंत्र के आधुनिकिकरण/नवीकरण/प्रतिस्थापना के विषय में निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि, एम.पी.ई.आर.सी. संबंधित संयंत्र के विभिन्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रत्येक संयंत्र के लिए प्रथक एस.एच.आर. मापदण्ड निर्धारित करती है, न की सभी संयंत्रों के लिए एक ही मापदण्ड। अतः प्रत्येक संयंत्र से अपने मापदण्ड प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। उपकरण की दक्षता बढ़ाने हेतु संयंत्र के संधारण कार्य के लिये उपयुक्त कार्य में देरी के कारण ताप दर अधिक रही। जिसके फलस्वरूप कोयले एवं तेल की अधिक खपत हुई। इसका पर्यावरण एवं कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

प्रदूषण नियंत्रण पर किया गया व्यय

2.3.7 एम.ओ.ई.एफ/एम.पी.पी.सी.बी. के अनुसार एस.टी.पी.एस. को इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) का उन्नयन, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट (एस.टी.पी.) का निर्माण, ऑन लाइन निगरानी उपकरण की स्थापना एवं 100 प्रतिशत राख के उपयोग की व्यवस्था करनी थी।

एस.टी.पी.एस. ने ई.एस.पी. के सुधार एवं संधारण पर ₹ 4.61 करोड़ खर्च किए, जैसा कि कंडिका 2.3.9 में चर्चा की गई है, इसके अतिरिक्त ऑन लाइन निगरानी उपकरण की खरीद एवं सुधार पर ₹ 78.11 लाख वहन किए जैसा कि कंडिका 2.3.10 में चर्चा की गई है तथा 2011–12 से 2013–14 के दौरान अन्य सामग्रियों/उपभोग पर ₹ 1.27 करोड़ खर्च किए । उक्त खर्च वहन करने के उपरांत भी एस.टी.पी.एस. प्रदूषण को नियंत्रित करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एम.ओ.ई.एफ. एवं एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं हो सका ।

वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण

कोयले की राख, एक महीन कण होने के कारण जब वातावरण की एक निश्चित मात्रा में अधिक एकाग्र होने की दशा में प्रदूषक सिद्ध होता है । यदि नियंत्रित न किया जाए तो ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्ल्यू गैस पर्यावरण को प्रभावित करती है । फ्ल्यू गैस में धूल के स्तर (सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर) को नियंत्रित करना ताप विद्युत संयंत्रों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आगे राख, ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन के लिए जलाए गए कोयले के जलने के उपरांत का शेष है । राख का तकरीबन 20 प्रतिशत हिस्सा निचली राख के रूप 'फ्लाई ऐश' के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) में एकत्र किया जाता है । इसे पर्यावरण में विकास से रोक कर एकत्र एवं निपटान करना होता है ।

निर्दिष्ट एस.पी.एम. स्तर की अप्राप्ति

2.3.8 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) का स्तर 150 एम.जी./एन.एम.^{3} (मिलिग्राम प्रति धन मीटर निर्धारित है । एम.पी.पी.सी.बी. ने अपने सहमति पत्र (फरवरी 2011) में कहा है कि उद्योग सभी मौजूदा ई.एस.पी. का उन्नयन करें जिससे सभी चिमनियों से उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर रहे एवं इन्हे उन्नत कर 50एम.जी./एन.एम.^{3} के आदर्श मानक को प्राप्त किया जाए ।

2011–12 से 2013–14 अवधि के एस.पी.एम. स्तर का इकाई वार, मासिक औसत तालिका 2.3.4 में दिया गया है:

तालिका 2.3.4

(एस.पी.एम. का मासिक औसत एम.जी/एन.एन.[3]में)

इकाई	वर्ष		
	2011–12	2012–13	2013–14
6	403	459	404
7	439	477	396
8	485	470	414
9	463	461	418
10	.	.	उपलब्ध नहीं[3]
11	.	.	

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा एम.पी.पी.सी.बी. को दिए मासिक प्रतिवेदन से संकलित)

कम्पनी फ्लू गैस में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकी, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अपेक्षित था ।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एस.पी.एम. स्तर पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में वांछित 150 एम.जी./एन.एम.[3] के मानक से अधिक था और निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी इकाईयों में लगातार उच्च बना रहा । जैसा कि सी.ए.जी. के मार्च 2010 में समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में पहले ही प्रविदित था (कंडिका 2.2.50), कि उत्सर्जन स्तर नियमित रूप से उच्च बने रहे एवं ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय, जैसे ई.एस.पी. का उन्नयन, जैसा कि कोपू की मीटिंग (जून 2012) में ऊर्जा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था नहीं किए गए, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है ।

इकाई क्रमांक 10 एवं 11 की स्थापना 18 अगस्त 2013 एवं 16 मार्च 2014, क्रमशः को हुई थी अपितु एस.टी.पी.एस. द्वारा एस.पी.एम. के विश्लेषण हेतु स्टेक उत्सर्जन के ऑकड़े नहीं संकलित किए गए ।

अनुशंसाः हम अनुशंसा देते है कि कम्पनी को एस.पी.एम. स्तर को मानकों के अनुरूप रखने के लिए ई.एस.पी. का उन्नयन करवाना चाहिए ।

इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटरों का उन्नयन न होना एवं अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम की स्थापना न होना

2.3.9 एम.पी.पी.सी.बी. ने समय–समय पर (अक्टूबर 2007, फरवरी 2011, अक्टूबर 2013) समस्त स्थापित अक्टूबर 2013) समस्त स्थापित ई.एस.पी. के उन्नयन हेतु निर्देशित किया था । एम.ओ.ई.एफ. ने भी एस.पी.एम. के उच्च स्तर को दृष्टिगत रखते इकाई 6 से 9 के ई.एस.पी. के उन्नयन हेतु निर्देशित किया था (फरवरी 2009) ।

हमने पाया कि कम्पनी ने इकाई 6 से 9 के ई.एस.पी. के उन्नयन के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की । इकाई 6 से 9 के ई.एस.पी. 340 से 380 एम.जी./एन.एम.[3] के निकास बोझ को सहन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे । उत्सर्जन को मानकों के भीतर लाने के लिए कम्पनी ने 2011–12 से 2013–14 की अवधि में मरम्मत और रखरखाव तथा ई.एस.पी. के यांत्रिक सुधार में ₹ 4.61 करोड़ का व्यय किया । एस.पी.एम. स्तर को कम करने के उद्देश्य से एस.टी.पी.एस. ने अक्टूबर 2005 से इकाई 6 से 9 के ई.एस.पी. के प्रवेश स्तर पर अस्थायी आंतरिक डिज़ाइन प्रणाली के माध्यम से अमोनिया गैस की डोजिंग प्रारम्भ की ।

[3] कम्पनी द्वारा इकाई 10 एवं 11 हेतु इस प्रकार की रिपोर्ट के संधारित न किए जाने का तर्क देते हुए आँकड़े उपलब्ध नहीं करवाए गए ।

[4] इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला चलित बायलरों से निकलने वाली फ्लू गैसों में एस.पी.एम. धूल धनत्व को कम करता है ।

कम्पनी ने न तो इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) का उन्नयन किया, न ही स्थायी तौर पर अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम की स्थापना की जिसके परिणामस्वरूप एस. पी.एम. स्तर उच्च रहे

हमने देखा कि एस.टी.पी.एस. ने इकाई 7,8 एवं 9 में सितम्बर 2013 के दौरान निरंतर दो दिन अमोनिया डोजिंग का परीक्षण किया, और सफलतापूर्वक एस.पी.एम. स्तर को सीमा (150 एम.जी/एन.एम.^{3}) के भीतर ले आया गया । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है, कि एम.पी.पी.सी.बी. अधिकारियों द्वारा इकाई 7 एवं 8 में (6 व 9 बन्द थी) 12 मार्च 2014 को अमोनिया डोजिंग के साथ परीक्षण किया गया तथा 85 एम.जी./एन.एम.^{3} एवं 77 एम.जी./एन.एम.^{3} क्रमशः एस.पी.एम. स्तर प्राप्त किया गया । प्राप्त परिणाम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में दिए मानकों के भीतर रहने के उपरांत भी एस.टी.पी.एस. ने स्थायी तौर पर अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम लागू नहीं किया। 2011–12 से 2013–14 की अवधि के दौरान अस्थाई प्रयोग हेतु 24,800 किलोग्राम अमोनिया गैस की खरीद पर ₹ 17.69 लाख का व्यय किया गया। आगे,एस.पी.एम. स्तर को मापदण्डों में रखने हेतु कम्पनी ने चारों इकाईयों हेतु ₹ 2.99 करोड़ प्रति वर्ष, समस्त स्थापना, संचालन एवं करों के साथ, की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम के लागू करना अनुमोदित किया (सितम्बर 2013)। यद्यपि, अभी तक (नवम्बर 2014) कोई भी क्रयादेश जारी नहीं किया गया ।

शासन/कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि अत्यधिक पूँजी व्यय की आवश्यकता के कारण व्यापक सुधार एवं संधारण की योजना नहीं बनाई गई। आगे, निकास सम्मेलन में (नवम्बर 2014) कम्पनी ने कहा कि अब अमोनिया डोसिंग नियमित आधार पर अपनायी जा रही है ।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अब तक किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में एस.पी.एम. स्तर निरंतर उच्च बना रहा ।

अनुशंसाः हम कम्पनी को ई.एस.पी. के उन्नयन न होने तक एस.पी.एम. स्तर कम रखने हेतु अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम लागू करने की सलाह देते हैं ।

वास्तविक समय सतत निगरानी उपकरणों की स्थापना

2.3.10 वास्तविक समय सतत निगरानी उपकरण, वर्तमान उत्सर्जन स्तर की निगरानी के उद्देश्य से स्थापित किए जाते है । यह एक समय बिन्दु पर उत्सर्जन स्तर की स्थिति उच्च परिशुद्धता के साथ जानने में मदद करता है ।

एम.पी.पी.सी.बी. एस.टी.पी.एस. के संचालन हेतु समय – समय पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सशर्त सहमति प्रदान करता रहा है, जिसके अनुसार कम्पनी को उत्सर्जन के समस्त स्त्रोतों पर वास्तविक समय सतत् निगरानी तंत्र स्थापित करने होंगे । फरवरी 2011 में एम.पी.पी. सी.बी. ने एस.टी.पी.एस. को उक्त कार्य छः माह के भीतर सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया।

हमने पाया कि 2005–06 के दौरान एस.टी.पी.एस. ने इकाई 6 से 9 हेतु ऑन लाइन निगरानी तथा अन्य उपकरणों की खरीद एवं स्थापना पर ₹ 1.33 करोड़ का व्यय किया। यह उपकरण वर्ष 2010 तक संतोषप्रद कार्य करते रहे, उसके पश्चात् यह लगातार समस्या देने लगे और बाद में बन्द पड़ गए । अतः अधिनियम की शर्त के पालनार्थ कम्पनी ने वैयक्तिक रूप से नमूने एकत्र करना प्रारंभ कर दिया । कम्पनी ने इन उपकरणों के सुधार एवं मरम्मत पर ₹ 18.11 लाख व्यय किए, परन्तु इन्हें आज दिनांक (नवम्बर 2014) तक भी क्रियाशील नहीं बनाया जा सका । इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2012 के मध्य ₹ 60.00 लाख की लागत से इकाई 10 एवं 11 के लिए खरीद गए ऑन लाइन निगरानी तंत्र अभी तक (नवम्बर 2014) स्थापित नहीं किए गए ।

कम्पनी ने तथ्य स्वीकार करते हुए कहा कि (नवम्बर 2014) तंत्र स्थापित किए जा चुके हैं एवं एम.पी.पी.सी.बी. को आकड़े प्रेषित करना वर्ष 2014 के अंत तक प्रारंभ कर दिया जाएगा । वर्तमान में पारंपरिक पद्धति से आकड़े प्रस्तुत किए जा रहे है ।

अतः तथ्य बना रहता है कि वैयक्तिक संकलन में अनुचित संग्रह, रिकॉडिंग एवं रिर्पोटिंग के कारण तथ्य किसी भी स्तर पर बदल सकते हैं जिससे एस.पी.एम. विश्लेषण को सत्य व निष्पक्ष तस्वीर प्रतिबिधित नहीं होती ।

अनुशंसाः हम अनुशंसा करते है कि कम्पनी को एम.पी.पीसी.बी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुपालनार्थ ऑन लाइन निगरानी उपकरणों को कार्यात्मक बनाने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए ।

फ्लाई राख का उपयोग न होना

2.3.11 एम.पी.पी.सी.बी. ने अपने सहमति पत्र (फरवरी 2011) के माध्यम से अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालनार्थ वायु एवं जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इकाई 6 से 9 में मार्च 2012 से मार्च 2015 की अवधि के मध्य सूखा फ्लाई राख संग्रह प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देशित किया ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना (सितम्बर 1999) के अनुसार, प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से कम से कम 10 वर्ष तक राख आधारित उत्पादों जैसे सीमेंट, कांक्रीट, ब्लॉक, ईट, सड़क निर्माण एवं अन्य निर्माण हेतु फ्लाई राख के उपयोग हेतु कार्य योजना के निर्माण की परिकल्पना भी की गई थी ।

कम्पनी 100 *प्रतिशत* फ्लाई राख उपयोग स्तर प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि, उसने सूखी फ्लाई राख संकलन प्रणाली की स्थापना नहीं की

इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना (सितम्बर 2009) के अनुसार इकाई 6 से 9 द्वारा उत्पादित 100 प्रतिशत फ्लाई राख अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्ष के भीतर उपयोग कर ली जावे । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) ने भी कम्पनी को इस विषय में नोटिस जारी कर (अगस्त 2013) पुरानी इकाईयों की फ्लाई राख के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए नवम्बर 2014 को समय सीमा निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृहों या उनके सहायक इकाई जो भी लागू हो, द्वारा फ्लाई राख एवं फ्लाई राख आधारित उत्पादों की बिक्री से अर्जित राशि को प्रतिशत फ्लाई राख उपयोगिता स्तर प्राप्त करने तक उक्त राशि को फ्लाई राख उपयोग हेतु वांछित सुविधाओं के विकास हेतु ही उपयोग किया जावे ।

हमने पाया किः

- एस.टी.पी.एस. जो कि औसत 20 लाख एम.टी. राख सालाना का उत्पादन करता है, सूखी फ्लाई राख संकलन प्रणाली स्थापित नहीं कर सका, जो कि मार्च 2012 से मार्च 2015 के मध्य स्थापित की जानी थी तथा इसे इकाईयों के निलंबन/लीजिंग/व्यापक मरम्मत एवं रखरखाव का निर्णय होने तक स्थगित कर दिया गया । यद्यपि अभी तक (नवम्बर 2014) कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- एस.टी.पी.एस. ने राख आधारित उत्पादों जैसे सीमेंट, कॉक्रीट ब्लॉक ईंट इकाईयों आदि को फ्लाई राख प्रदाय करने की अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया तथा फ्लाई राख की उपयोगिता हेतु कार्य योजना भी तैयार नहीं की ।
- अधिसूचना (सितम्बर 2009) के अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति में फ्लाई राख का वास्तविक उपयोग मात्र 10 *प्रतिशत* था एवं उपयोगिता के वर्तमान परिवेश में 100 *प्रतिशत* उपयोगिता की सम्भावना कठिन प्रतीत होती है ।
- 2011–12 से 2013–14 की अवधि के दौरान एस.टी.पी.एस. ने फ्लाई राख एवं फ्लाई राख आधारित उत्पादों की बिक्री से ₹ 2.68 करोड़ प्राप्त किए । यद्यपि, फ्लाई

राख की उपयोगिता हेतु सुविधाओं के विकास, प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए कोई भी राशि खर्च नहीं की । यह भी देखा गया कि सूखी फ्लाई राख से अर्जित राजस्व की उपयोगिता के लिए एक विशेष रिजर्व बनाया एवं 31 मार्च 2013 की स्थिति में इसमें ₹ 35.96 करोड़ स्थायी जमा के रूप में निवेशित थे ।

जैसा कि मार्च 2010 में समाप्त वर्ष के लिए सी.ए.जी. के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में उल्लेखनीय था (कंडिका 2.2.51) एक निजि पार्टी के साथ 5000 एम.टी. फ्लाई राख प्रति माह प्रदाय करने के अनुबंध (जून 2010) के अतिरिक्त राख निपटान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई । ऊर्जा विभाग ने कोपू की मीटिंग (जून 2012) में कहा, यद्यपि, सारणी के समीप राख के बहुत कम ग्राहक है, इसके बावजूद राख उठाने के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं एवं राख उठाना प्रारम्भ किया जा चुका है और राख के उठाव में गति तेज होने का आश्वासन दिया । यद्यपि, अभी तक (नवम्बर 2014) इस दिशा में कोई भी उल्लेखित उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि इकाई 10 एवं 11 में सूखी फ्लाई राख संकलन का प्रावधान है जबकि इकाई 6–9 में पुराने डिज़ाइन के चलते, उन्नयन/स्थापना हेतु जगह उपलब्ध न होना एवं सुधार एवं संधारण की अत्याधिक पूँजीगत लागत के चलते लागू न किए जाने के कारण उक्त प्रावधान मौजूद नहीं है । साथ ही, दक्ष/बड़े फ्लाई राख उपभोक्ताओं की उपलब्धता न होने के कारण फ्लाई राख का उपयोगिता प्रतिशत कम है और भविष्य में यह बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बताया कि फ्लाई राख उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने हेतु सुविधाओं के विकास हेतु राजस्व खर्च करने के प्रयास किए जा रहे है ।

कम्पनी ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में कहा कि स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किये जायेंगे ।

अनुशंसा: हम कम्पनी को, फ्लाई राख की बिक्री से प्राप्त धन को फ्लाई राख के उपयोग हेतु लंबित सुविधाओं के विकास हेतु खर्च करने की अनुशंसा करते हैं ।

जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24(1) में निर्दिष्ट है कि ''किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी धारा या कुएँ या नाले या भूमि पर राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विषाक्त अथवा प्रदूषक तत्व का निस्तार नहीं करना चाहिए । विद्युत संयंत्र से निष्काशित जल, (विषाक्त पदार्थो से युक्त और उच्च तापमान पर होता है) जल प्रदूषण का स्त्रोत होता है, जिससे जलीय जीवों को हानि तथा भूजल प्रदूषित होता है ।

मानकों से अधिक कुल निलंबित ठोस

2.3.12 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/एस.पी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पानी में व्याप्त अपशिष्ट में कुल निलंबित ठोस (टी.एस.एस.) की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह देखा गया कि टी.एस.एस. की मात्रा, राखड बाँध में 106 से 125 मिलीग्राम, धासेड़ नाला में 94 से 360 एवं पाशा नाला में 108 से 1707 मिलीग्राम रही । 2011–12 से 2013–14 की अवधि के लिए टी.एस.एस. की मात्रा का छः जगहों से सालाना 12 अवसरों पर लिया गया मासिक विवरण तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3.5

ऐसे माह की संख्या जिनमें टी.एस.एस. की मात्रा 100 मिलीग्राम से कम/ अधिक रही

क्र.	स्थान	वर्ष		वर्ष		वर्ष	
		2011–12 दर्ज टी.एस.एस.		2012–13 दर्ज टी.एस.एस.		2013–14 दर्ज टी.एस.एस.	
		100 से कम	100 से अधिक	100 से कम	100 से अधिक	100 से कम	100 से अधिक
1	राख तालाब	0	12	0	12	0	12
2	देनवा नदी	08	04	09	03	08	04
3	धासेड़ नाला	01	11	06	06	02	10
4	तवा जलाशय	12	0	12	0	10	02
5	देनवा–तवा संगम	04	08	08	04	07	05
6	पाथा नाला	0	12	0	12	0	12

(स्त्रोतः एस.टी.पी.एस. की मासिक प्रतिवेदन/दस्तावेजों से संकलित आँकड़े)

कम्पनी 100 *प्रतिशत* राख तालाब निस्तार का पुनर्चक्रीकरण, जैसा कि एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा चाहा गया था, क्योंकि उसने इकाई 6–9 के लिए एफ्लूऐन्ट ट्रीटमेंट संयंत्र की स्थापना नहीं की जिससे निस्तार में कुल निलंबित ठोस की मात्रा अधिक रही

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि तवा जलाशय को छोड़कर ज्यादातर टी.एस.एस. मानकों से अधिक रहा । इसके अतिरिक्त हमने पाया कि यद्यपि विश्लेषण छः स्थानों पर किया गया था, परन्तु एस.टी.पी.एस. ने एम.पी.पी.सी.बी. को केवल प्रथम तीन स्थानों की विश्लेषण रिपोर्ट ही प्रस्तुत की ।

उच्च टी.एस.एस. का कारण कम्पनी द्वारा इकाई 6–9 हेतु ई.टी.पी. का निर्माण न करावाया जाना है, जैसा कि कंडिका 2.3.13 में चर्चा की गई है ।

राख तालाब निस्तार के उपचार/पुनर्चक्रीकरण की शर्त का पालन न करना

2.3.13 एम.पी.पी.सी.बी. समय–समय[5] पर जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत एस.टी.पी.एस. के संचालन हेतु, सहमति पत्र, पत्र की दिनांक से छः माह के भीतर 100 *प्रतिशत* राख तालाब निस्तार के उपचार/पुनर्चक्रीकरण की शर्त के अधीन प्रदान करता रहा है ।

हमने पाया कि एस.टी.पी.एस. इकाई 6–9 के राख तालाब को सेटलिंग टैंक के माध्यम से उपचार/पुनर्चक्रीकरण कर रहा था जो कि एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित शर्त के अनुपालनार्थ अपर्याप्त था । यह भी पाया गया की एस.टी.पी.एस. ने 2011–12 से 2013–14 के दौरान 100 *प्रतिशत* राख तालाब निस्तार के उपचार/पुनर्चक्रीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 11698098 M^3, 9162737 M^3 तथा 7364873 M^3 क्रमशः छोड़ते हुए मात्र 19, 24 एवं 23 प्रतिशत निस्तार का ही पुनर्चक्रीकरण किया । यह एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित शर्त से बहुत कम था । यह भी देखा गया कि एफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट संयंत्र की अनउपलब्धता के चलते 2013–14 में इकाई 10 एवं 11 का 387126 M^3 राख तालाब निस्तार पुनर्चक्रीकरण नहीं किया जा सका ।

मध्यप्रदेश शासन ने वन भूमि के डायवर्जन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धांतिक अनुमति लेने के उपरांत, राख तालाब के निर्माण हेतु एस.टी.पी.एस. सारणी को 111 हैक्टेयर वन भूमि आवंटित कर दी (नवम्बर 2009) । कम्पनी ने राख तालाब के निर्माण हेतु ₹ 33.17 करोड़ लागत का कार्यादेश जारी किया (अगस्त 2010) जो

[5] अक्टूबर 2007, फरवरी 2011, अक्टूबर 2013

कि साइट सौंपने (दिसम्बर 2010) की तिथि से 18 माह के भीतर पूरा किया जाना था। अतः कार्य में देरी हुई और अभी भी (सितम्बर 2014) कार्य प्रगति पर है, इस तथ्य के बावजूद कि नवीन राख तालाब की आवश्यकता वर्तमान तालाब के भर जाने के कारण ही नहीं अपितु एफ्लूएंट उपचार संयंत्र की अनउपलब्धता के कारण भी है ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि इकाई 6–9 का पुराना राख तालाब भर चुका है और नया राख तालाब, जिसके लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रतीक्षित है शीघ्र ही क्रियान्वित हो जाएगा । साथ ही इकाई 10 व 11 का राख तालाब सितम्बर 2014 से क्रियान्वित हो चुका है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, एस.टी.पी.एस. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बिना पर्यावरणीय अनुमति लिए राख तालाब के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया । तथ्य बना हुआ है कि अभी तक (नवम्बर 2014) राख तालाब निर्मित नहीं हो पाया है ।

अतः सहमति पत्र की स्पष्ट शर्त के बावजूद 100 *प्रतिशत* राख तालाब निस्तार का पुनर्चक्रीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका ।

अनुशंसाः हम अनुशंसा करते है कि कम्पनी इकाई 6 से 9 हेतु नवीन राख तालाब के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जिससे जल प्रदूषण नियंत्रित कर पर्यावरण की रक्षा की जा सके ।

सीवेज़ उपचार संयंत्र के बिना विद्युत संयंत्र का परिचालन

एम.पी.पी.सी.बी. एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की आवश्यकता के बावजूद कम्पनी ने एस.टी.पी. का निर्माण नहीं किया

2.3.14 एम.पी.पी.सी.बी. समय समय पर (अक्टूबर 2007, फरवरी 2011, अक्टूबर 2013) एस.टी.पी.एस. के संचालन हेतु जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के धारा 25/26 के अंतर्गत सहमति प्रदान करता रहा है, यह सहमति, सहमति पत्र की तिथि से 16 माह के भीतर उपनगर के घरेलू अपशिष्ट के उपचार हेतु एस.टी.पी. के निर्माण की शर्त के अधीन होती है ।

हमने पाया कि सहमति पत्र (फरवरी 2011) के स्पष्ट निर्देश के पश्चात् भी कम्पनी ने दो वर्ष बीत जाने के उपरांत, उपनगर व सार्वजनिक इमारतों के सीवेज़/ड्रेनेज़ संकलन व्यवस्था के निर्माण हेतु टर्नकी आधार पर ₹ 13.58 करोड़ की लागत का कार्यादेश जारी किया (सितम्बर 2013), जिसका कार्य अब तक (नवम्बर 2014) प्रगति पर था ।

कम्पनी ने निकास सम्मेलन में (नवम्बर 2014) बताया कि एस.टी.पी. मार्च 2015 से क्रियान्वित हो जावेगा ।

हानिकारक अपशिष्ट का अनुचित निपटान

कम्पनी हानिकारक अपशिष्ट मैनेजमेंट, हैन्डलिंग व ट्रॉस बाउन्ड्री मूवमेंट में विदित 90 दिनों की समय सीमा में हानिकारक अपशिष्ट (रेजिन) का निपटान नहीं कर रही थी

2.3.15 एम.पी.पी.सी.बी. ने विद्युत संयंत्र के संचालन हेतु सहमति (10 जून 2010) प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि कम्पनी, हानिकारक अपशिष्ट (मैजेजमेंट, हैन्डलिंग व ट्रॉसबाउन्ड्री मूवमेंट) नियमों 2008 का पालन करेगी तथा कम्पनी को हानिकारक अपशिष्ट जैसे, उपयोगित तेल, ट्रॉसफार्मर तेल, तेल सोखित अपशिष्ट, जली हुई रेज़िन, बैटरी आदि के संकलन, उपचार, भण्डारण परिवहन तथा निपटान हेतु सुविधाओं के संचालन के लिए अधिकृत किया । उपयोगित तेल का निपटान सी.पी.सी.बी. के पास पंजीकृत, अधिकृत रीप्रोसेसर्स के माध्यम से तथा जले हुए रेजिन को म.प्र. अपशिष्ट प्रबंधन, प्रोजेक्ट, धार के माध्यम से निपटान किया जाना था । इन नियमों के अनुसार समस्त हानिकारक अपशिष्ट को नब्बे दिनों के भीतर निपटान किया जाना था । एम.पी.पी.सी.बी. ने पाँच वर्ष में 5000 लीटर रेज़िन के संकलन, उपचार, भण्डारण, परिवहन तथा निपटान हेतु सुविधा की सहमति (जून 2010) प्रदान की थी ।

वर्ष 2011–12 से 2013–14 में उत्पादित, बिक्री किये तथा शेष हानिकारक अपशिष्ट का विवरण तालिका 2.3.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3.6

हानिकारक अपशिष्ट का विवरण

वस्तु	2011–12				2012–13				2013–14			
	पूर्व शेष	प्राप्त	बेचा	शेष	पूर्व शेष	प्राप्त	बेचा	शेष	पूर्व शेष	प्राप्त	बेचा	शेष
उपयोगिता तेल (मात्रा किलो लीटर में)	3.46	9.50	8.99	3.97	3.97	5.20	5.17	4.00	4.00	5.50	0	9.50
जली हुई रेज़िन (मात्रा KL में)	6.90	4.59	0	11.50	11.50	1.00	0	12.50	12.50	3.00	0	15.50

(स्त्रोतः एस.टी.पी.एस. द्वारा प्रदत्त ऑकड़े)

हमने पाया कि:

- तीन वर्ष में प्राप्त 8595 लीटर रेज़िन की मात्रा अपने आप में ही 5000 लीटर की स्वीकृत मात्रा से अधिक थी;
- 31 मार्च 2014 को रेज़िन की शेष मात्रा 15495 लीटर थी । यह एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा अधिकृत 5000 लीटर से अधिक थी;
- एस.टी.पी.एस. ने अधिनियम में निर्देशित 90 दिनों की समय सीमा के भीतर उपयोगित तेल व रेज़िन (हानिकारक अपशिष्ट) का निपटान नहीं किया और यह सालो साल पर्यावरण पर खतरे के रूप में संग्रहित होते रहे;

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2014) में कम्पनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारा और बताया कि अनुमति लेने के पश्चात्, अब रेज़िन की भट्टी में कोयले के साथ जला कर निपटान किया जा रहा है ।

अनुशंसाः हम कम्पनी को हानिकारक अपशिष्ट के निपटान के मानकों के पालन हेतु त्वरित कदम उठाने की सलाह देते हैं ।

निष्कर्ष

- कम्पनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की दक्षता बढ़ाने में असफल रही एवं साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित केन्द्र ताप दर मापदण्डों (जो की समीक्षा अवधि के दौरान 2700 के मानक के विरूद्ध 3727 के उच्च स्तर तक पहुँच गया) को प्राप्त करने में भी असफल रही, इसके परिणामस्वरूप कोयले (2581635 मैट्रिक टन) एवं तेल (41440 किलोलीटर) की अतिरक्त खपत हुई एवं वायु व जल प्रदूषण पर प्रभाव पड़ा।

- कम्पनी ने फ्लू गैस में कोयले की राख के निस्तार को नियंत्रित करने हेतु न तो इलक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर का उन्नयन किया, न ही अमोनिया फ्लू गैस कंडिशनिंग लागू की जिसके परिणामस्वरूप फ्लू गैस में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के स्तर का मासिक औसत 150 एम.जी./एन.एम.^{3} के मानक के विरूद्ध 396 से 485 एम.जी./एन.एम.^{3} रहा, ऑन लाइन निगरानी उपकरण क्रियाशील न होने के कारण एक निर्धारित समय बिन्दु पर निस्तार के स्तर की सटीक जानकारी नहीं प्रदर्शित हो सकी ।

- 100 प्रतिशत फ्लाई राख के उपयोग की कार्य योजना न होने के कारण जल प्रदूषण अधिक था । फ्लूएंट उपचार संयंत्र युक्त नवीन राख तालाब निर्मित व क्रियाशील नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप जल में कुल निलंबित ठोस की मात्रा मानकों से अधिक रही तथा सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण में भी देरी हुई एवं

- कम्पनी ने हानिकारक अपशिष्ट (मैनेजमेन्ट, हैंडलिंग, व ट्रॉस बाउन्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2008 में निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा में जली हुई रेज़िन का निपटान नहीं किया एवं इसके संकलन से पर्यावरण पर खतरा बना रहा ।